₹ 20

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

क्रान्ति

जुलाई 2014



★ ज़कात का महत्व
—मक़सूद आलम रशादी

★ रोज़ों के आत्मिक प्रभाव
—मुहम्मद अली शाह शुऐब

★ उपवास से जीवन रक्षा
—हर्बर्ट एम॰ शेल्टन

★ लोकतंत्र की घुटती आवाज़
—डॉ॰ मुहम्मद अहमद

★ बढ़ते महिला अपराध
—मुशर्रफ़ अली

पुरुषों ने जो कुछ कमाया है,
उसके अनुसार उनका हिस्सा है
और जो स्त्रियों ने कमाया है
उसके अनुसार उनका हिस्सा है ।
–क़ुरआन

"जिस किसी ने तंगदस्त को
मुहलत दी या अपना हक़ जो उस
पर था माफ़ कर दिया तो अल्लाह
क़ियामत के रोज़ की सख़्तियों से
उसको निजात अता फ़रमाएगा ।"
(मुस्लिम)

A. Salam Ansari
Mumbai

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 24 अंक 1 जुलाई 2014

नमाज़ क़ायम करो, ज़कात दो और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं उनके साथ तुम भी झुक जाओ । –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं
संपादकीय मामलों के लिए लिखें–
संपादक, 'कान्ति' मासिक
डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव
जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025
ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार
एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–
प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक
डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव
जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय
09818799223, 011-26949430

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 20/- विशेषांक रु० 30/-
वार्षिक रु० 220/-, दो वर्ष 425/-
पांच वर्ष 1000/-, आजीवन रु० 5000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–100 रियाल
यूरोप व अमेरिका से–35 US डॉलर
वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

ग़लती

ग़लतियां हम सब करते हैं
ग़लती करके पछताते भी हैं
कई बार वही ग़लती दोहराते भी हैं
कहते हैं इन्सान ग़लती का पुतला है
(To err is human)
काम करेंगे तो ग़लती की संभावना भी रहेगी
प्रयास होना चाहिए कि ग़लती न हो
हो जाए तो उसे मान लेने में
किंचित संकोच न हो तथा अविलंब
उसे सुधारने का हर संभव प्रयत्न हो ।

ग़लती करके उसे उचित ठहराना
ऐसा है जैसे वही ग़लती फिर दोहराना
मानसिक संकीर्णता और हठधर्मी दिखाना
विचारकों का कथन है–
(Many times it takes less time to
rectify a mistake than to justify it)
ग़लती सुधारने में कम समय और परिश्रम
लगता है बजाय उसे सही ठहराने के ।

ग़लती मान लेना हृदय की निर्मलता दिखाता है
ग़लती को उचित सिद्ध करने का हठ
दूषित मानसिकता दर्शाता है ।

ग़लती के संदर्भ में हमारा मूल-मंत्र
हमेशा होना चाहिए–
(Rectify Never Justify)
उसे सुधारना
उचित न ठहराना !

■ **ओमप्रकाश बजाज**
बी-2, गगन विहार, गुप्तेश्वर,
जबलपुर-482001 (म०प्र०)



कहां क्या है ?

ग़लती (कविता)	–ओम प्रकाश बजाज	3
क़ुरआन ज्योति		5
ज़कात देना अनिवार्य है (हदीस मंजरी)		6
शराब का फैलाव : एक बड़ा आत्मघाती क़दम (संपादकीय)		7
सच्चा लोकतंत्र (आपके पत्र)		9
हाथ की लकीरों में क़िस्मत...(विचारणीय)	–लालचन्द चौहान	13
महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध (दृष्टिकोण)	–मुशर्रफ़ अली	15
किस मर्ज़ की दवा हैं 'आयोग' ? (अभिमत)	–सी॰ के॰ रहमानी	17
दोहे	–डॉ॰ रामसनेही लाल शर्मा	18
मां जी (कहानी)	–फ़य्याज़ क़ुरैशी	19
नये छलावे–ओमप्रकाश बजाज, सुख–चैन–राजेश कुमार सागर (लघुकथाएं)		21
लोकतंत्र की घुटती आवाज़ (फेसबुक उवाच)	–डॉ॰ मुहम्मद अहमद	23
ग़ज़लें–हफ़ीज़ जालंधरी और रामावतार त्यागी		25
ज़कात का महत्व (विशेष आयोजन)	–मुहम्मद मक़सूद आलम रशादी	28
विशेष प्रकार का दान है ज़कात	–डॉ॰ मुहम्मद ज़ियाउर्रहमान आज़मी	33
रोज़ों के आत्मिक प्रभाव	–मुहम्मद अली शाह शुऐब	34
उपवास से जीवन रक्षा	–हर्बर्ट एम॰ शेल्टन	38
समय का सदुपयोग करें युवा (प्रेरणा)	–विद्या प्रकाश	40
कैसे करें पसीने की दुर्गंध से बचाव ? (स्वास्थ्य चर्चा)		41
बच्चों की सामान्य बीमारियां (स्वास्थ्य चर्चा)	–डॉ॰ सूर्यकान्त मिश्र	43
विश्व व्यापार नियमों में बदलाव (अर्थ–उपभोक्ता)	–भारत डोगरा	45
जनता को पेयजल सुरक्षा अधिकार चाहिए (विमर्श)	–दिलीप बीदावत	48
थैली वाले जानवर (बालवीथी)		50



(56) वे अल्लाह की क़सम खा-खाकर कहते हैं कि हम तुम्हीं में से हैं, हालांकि वे कदापि तुम में से नहीं हैं । वास्तव में तो वे ऐसे लोग हैं जो तुम से भयभीत हैं । (57) अगर वे कोई शरण-स्थली पा लें, या कोई खोह या घुस बैठने की जगह, तो भागकर उसमें जा छिपें ।[56] –क़ुरआन, 9 : 56-57

56. मदीना के ये मुनाफ़िक़ अधिकतर, बल्कि सब-के-सब धनी और बूढ़े-पुराने लोग थे । इब्ने कसीर ने अल-बिदाया वन-निहाया में इनकी जो सूची दी है, उसमें केवल एक युवक का वर्णन मिलता है, और निर्धन इनमें से कोई भी नहीं । ये लोग मदीना में जायदादें और फैले हुए कारोबार रखते थे और दुनिया देखे होने के कारण वे अपने स्वार्थों के पुजारी बन गये थे । इस्लाम जब मदीना पहुंचा और आबादी के एक बड़े हिस्से ने पूरी निष्ठा और ईमान भरे उत्साह के साथ उसे अपना लिया, तो उन लोगों ने अपने आपको एक विचित्र उलझन में पाया । उन्होंने देखा कि एक ओर तो स्वयं उनके अपने क़बीलों की भारी संख्या, बल्कि उनके बेटों और बेटियों तक को इस नये दीन ने ईमान के नशे से भर दिया है, उनके विपरीत अगर वे कुफ़्र व इंकार पर जमे रहते हैं तो उनकी सत्ता, सम्मान और प्रसिद्धि सब मिट्टी में मिल जाती है, यहां तक कि उनके अपने घरों में उनके विरुद्ध विद्रोह के उत्पन्न हो जाने का भय है ।

दूसरी ओर इस दीन का साथ देने का अर्थ यह है कि वे सारे अरब से, बल्कि आसपास की क़ौमों और राज्यों से भी लड़ाई मोल लेने को तैयार हो जाएं । मनोकामनाओं की दासता ने मामले के इस पहलू पर विचार करने की क्षमता तो उनके भीतर बाक़ी ही नहीं रहने दी थी कि सत्य और यथार्थ भी अपने आपमें कोई मूल्यवान वस्तु है, जिसके इश्क़ में इंसान ख़तरे मोल ले सकता है और जान व माल की क़ुरबानियां सहन कर सकता है । वे दुनिया के तमाम मामलों और समस्याओं पर केवल स्वार्थ और अपने हित की दृष्टि से विचार करने के आदी हो चुके थे, इसलिए उनको अपने हितों की रक्षा के लिए यही उचित जान पड़ा कि ईमान का दावा करें, ताकि अपनी क़ौम के बीच अपनी वाह्य सम्मान और अपनी जायदादों और अपने कारोबार को बाक़ी रख सकें, मगर निष्ठापूर्ण ईमान न ग्रहण करें, ताकि उन ख़तरों और हानियों से बच जाएं तो निष्ठा का मार्ग अपनाने से निश्चित रूप से सामने आनी थीं । उनकी इसी मानसिक दशा और सोच का यहां इस तरह उल्लेख किया गया है कि वास्तव में ये लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं, बल्कि हानियों के भय ने इन्हें ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ बांध दिया है । जो चीज़ इन्हें इस बात पर मजबूर करती है कि अपने आपको मुसलमानों में गिनती कराएं, वह केवल यह डर है कि मदीना में रहते हुए खुल्लम-खुल्ला ग़ैर-मुस्लिम बनकर रहें तो मान-मर्यादा समाप्त होती है और बीवी-बच्चों तक से संबंध समाप्त हो जाते हैं । मदीना को छोड़ दें तो अपनी जायदादों और कारोबारों से हाथ धोना पड़ता है और उनके भीतर कुफ़्र के लिए भी इतनी निष्ठा नहीं है कि उसके लिए वे उन हानियों को सहन करने के लिए तैयार हो जाएं । इस उलझन ने उन्हें कुछ ऐसा फांस रखा है कि मजबूर होकर मदीने में बैठे हुए हैं, कुढ़न के साथ नमाज़ें पढ़ रहे और ज़कात का 'जुर्माना' भुगत रहे हैं, वरना आए दिन जिहाद और आए दिन किसी न किसी भयानक शत्रु के मुक़ाबले और आये दिन जान व माल की क़ुर्बानियों की मांगों की जो 'मुसीबत' उन पर पड़ी हुई है, उससे बचने के लिए इतने बेचैन हैं कि अगर कोई छेद या बिल भी ऐसा नज़र आ जाए जिसमें उन्हें शरण मिलने की आशा हो, तो ये भागकर उसमें घुस बैठें ।

For Information On
City Shops, Roads, Restaurants, Magazines, Schools and much more.
Syed Shahbaz Alam Barvi
Business Development Director (09049185093)
Visit us:
www.shoppinglanes.com

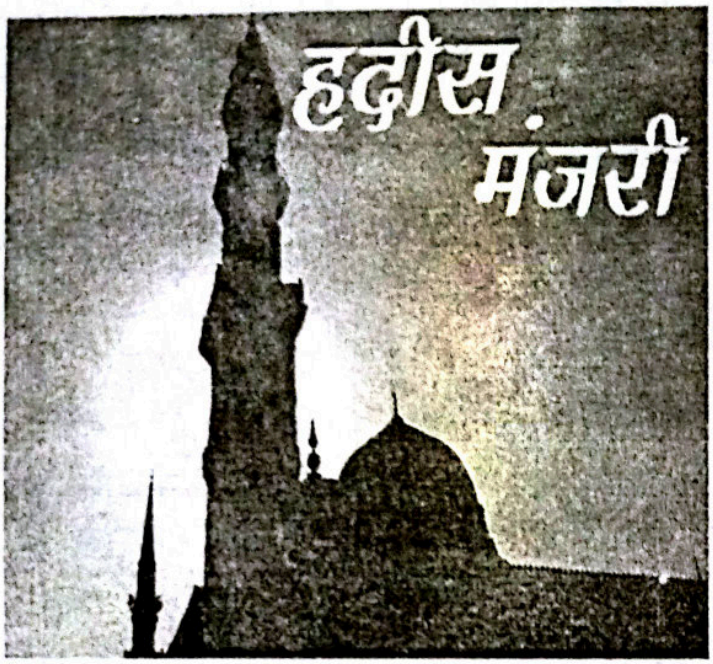

ज़कात (दान) देना अनिवार्य है

● हज़रत इब्न उमर (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "इस्लाम की आधारशिला पांच चीज़ों पर रखी गयी है : इसकी गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं और यह कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) उसके बन्दे और उसके रसूल हैं, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात देना, अल्लाह के घर (काबा) का हज और रमज़ान के रोज़े रखना ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि नज्द वालों में से एक व्यक्ति अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के पास आया । उसके सिर के बाल बिखरे हुए थे । हम उसकी आवाज़ की गूंज तो सुन रहे थे, किन्तु हम समझ नहीं रहे थे कि वह क्या कह रहा है ? यहां तक कि वह अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के क़रीब हो गया और आपसे इस्लाम के संबंध में पूछने लगा । अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "रात-दिन में पांच नमाज़ें अनिवार्य हैं ।" उसने कहा : क्या मुझ पर उनके अतिरिक्त भी कुछ है ? आपने कहा : "नहीं । हां चाहो तो स्वैच्छिक नमाज़ें पढ़ सकते हो ।" फिर अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "रमज़ान के रोज़े अनिवार्य हैं ।" उसने कहा : क्या मुझ पर उनके अतिरिक्त भी रोज़े हैं ? आपने कहा : "नहीं, हां चाहो तो स्वैच्छिक रोज़े रख सकते हो ?" रावी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने उससे ज़कात का ज़िक्र किया । उसने कहा : क्या उसके अतिरिक्त भी मेरे ज़िम्मे कुछ है ? आपने कहा : "नहीं, हां चाहो तो स्वैच्छिक रूप से कुछ और दे सकते हो ।" वह व्यक्ति यह कहते हुए वापस लौटा : अल्लाह की क़सम, मैं न इसमें कुछ और बढ़ाऊंगा और न इसमें कोई कमी करूंगा । इस पर अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "यदि उसने सच कहा, तो वह सफल हो गया ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत इब्न अब्बास (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने हज़रत मुआज़ (रज़ि॰) को (हाकिम बनाकर) यमन वालों की तरफ़ भेजा और कहा : "तुम उन्हें इस बात के लिए आमंत्रित करना कि वे इसकी गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं और यह कि मैं अल्लाह का रसूल हूं । फिर अगर वे इस बात को मान लें, तो उन्हें बताना कि अल्लाह ने उन पर हर दिन-रात में पांच बेला की नमाज़ें अनिवार्य की हैं । अगर वे इसका भी पालन करने लगें, तो उन्हें बताना कि अल्लाह ने उन पर ज़कात (दान) अनिवार्य की है जो उनके धनवानों से ली जाएगी और उनके निर्धनों को दी जाएगी ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत इब्न उमर (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "मुझे आदेश मिला है कि उस समय तक लोगों से युद्ध करूं जब तक कि वे इस बात की गवाही न दें कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं और यह कि (हज़रत) मुहम्मद (सल्ल॰) अल्लाह के रसूल हैं और नमाज़ क़ायम करें और ज़कात दें । जब वे ऐसा कर लें, तो उन्होंने अपने ख़ून और अपने माल को मुझसे बचा लिया सिवाय उस हक़ के जो इस्लाम का होता है और उनका हिसाब लेना अल्लाह के ज़िम्मे है ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

('रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

शराब का फैलाव : एक बड़ा आत्मघाती क़दम

सरकारें कितनी जनविरोधी हो सकती हैं, इसे जानने के लिए सरकार की सरपरस्ती में शराब के व्यापक फैलाव की क्षोभकारी घटनाओं को देखिए । हमारे देश के हर राज्य में इसका 'प्रकोप' बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते आम जनता बेहद परेशान और त्रस्त है । हम देखते हैं कि आम जनता शराब की 'ज़हरीली' दुकानों को बन्द कराने के लिए आये दिन सड़क पर उतर आती है, विरोध के अन्य संवैधानिक क़दम उठाती है । फिर भी शराबबन्दी की दिशा में राजनीतिक स्तर पर कुछ भी सोचा न जाना वाक़ई चिंताजनक है । राजस्थान की प्रचंड बहुमत वाली भाजपा सरकार ने पिछले दिनों शराब के फैलाव का एक और क़दम उठाकर आम जन को हैरानी और परेशानी में डाल दिया है । राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार का मानना है कि साधन सम्पन्न, उच्चवर्गीय और उच्च कुलीन लोगों को शराब की दुकानों पर जाकर और भीड़ में शामिल होकर शराब खरीदने में शर्म, संकोच तथा हीनता का अनुभव होता है, इस स्थिति को बदलना राज्य सरकार की प्राथमिकता है । इस सिलसिले में राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति की ध्वजावाहक भाजपा की वसुंधरा सरकार ने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित सभी मॉल्स में खरीदारी करने के लिए जाने वाले सम्पन्न, उच्चवर्गीय और उच्च कुलीन लोगों के लिए मॉल्स में ही शराब खरीदने की व्यवस्था की जाये । राजस्थान की शुरू से ही राज्य सरकार से यही उम्मीदें रही हैं कि वसुन्धरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार सभी वर्गों के हितों में कुछ न कुछ क्रान्तिकारी कदम उठाये । राज्य सरकार लोकसभा चुनाव होने तक तो एकदम शान्त रही, लेकिन केन्द्र में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलते ही राज्य में भाजपा सरकार के परिवर्तन की हवा बहने लगी है । वसुंधरा सरकार के फ़ैसले के अनुसार शराब ख़रीदने में होने वाले शर्म, संकोच तथा हीनता से मुक्ति दिलाने के व्यापक प्रबंध किये जा रहे हैं । अब जयपुर के हर मॉल्स में शराब की दुकान होगी । उल्लेखनीय है कि भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में शराब की हज़ारों नयी दुकानें खोली थी और देर रात तक शराब की बिक्री होती थी, जिसके चलते हज़ारों परिवार बर्बाद हो गये और अनेक घर टूट गये । इस स्थिति पर कांग्रेस सरकार ने असफल नियन्त्रण करने का प्रयास किया था । अब भाजपा ने अपने पूर्व एजेंडे पर फिर से काम करना शुरू कर दिया है । उसे परवाह नहीं कि आम जन की कितनी ही परेशानी बढ़े, उसे तो राजस्व की उगाही से ही मतलब है ।

प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि शराब एक ज़हरीला पदार्थ है । भोजन में यह गुण होना चाहिए कि वह शरीर का पोषण करे, नसों को बढ़ाये और शक्ति पैदा करे, लेकिन ज़हर में ये गुण नहीं होते । ज़हर को परिभाषित करते हुए डॉ॰ लेथवे लिखते हैं, "जो पदार्थ जीवित शरीर की नसों में चेतन शक्ति को नष्ट करता है अथवा जीवन का ह्रास करता है वह ज़हर है ।" शराब वह ज़हरीला पदार्थ है, जो आदमी को इतना मदहोश करता है कि वह होशोहवास खो बैठता है । उसकी बुद्धि पर परदा पड़ जाता है । शराब मस्तिष्क में उत्तेजना और व्याकुलता उत्पन्न करती है, मस्तिष्क के विकास को रोकती है, ज्ञान तंतुओं को समेटती है । डॉ॰ एस॰ के॰ वर्मा लिखते हैं, "मद्यपान से सबसे पहले प्रभावित होता है मस्तिष्क का उच्चतम कार्य । मदिरा सेवन से निर्णय की क्षमता घट जाती अथवा समाप्त हो जाती है, किन्तु भावनाएं फिर भी शोख़ रहती हैं । प्रकारान्तर में

आवाज़ बदलती है, ज़बान लड़खड़ाती है तथा मांसपेशियों को सकल संचालन उलझता है, जिससे व्यक्ति सीधा चल पाने में अक्षम हो जाता है । भले-बुरे की समझ न रह जाने से अनेकानेक अपराध बढ़ते हैं ।'' (दैनिक जागरण, 25 जून 97) शराब का ज़हरीलापन इन्सान की ज़िन्दगी ख़त्म कर डालता है । एक बार मैरांडा पहाड़ियों की एक खान में चार आदमी और एक लड़का क़ैद करके बन्द कर दिये गये । उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया गया । उसमें पानी का एक स्रोत बहता था । उनमें से एक आदमी के पास चोरी से शराब की एक बोतल छिपी रह गयी थी । दस दिन बाद जब उन्हें छोड़ देने के लिये निकाला गया, तो पता चला कि उस व्यक्ति ने पानी को छुआ भी नहीं, शराब ही पी, वह आठवें दिन ही मर चुका था । बाक़ी सबने पानी पिया और वे जीवित निकले । मेडिकल साइंस की दृष्टि से इसकी वजह यह थी कि शरीर में पानी की आपूर्ती होती रही । अत: जैविक तत्व तेज़ी से नहीं नष्ट हो सके । शरीर की हड्डी में 22 प्रतिशत, नसों में 76 प्रतिशत, रक्त में 70 प्रतिशत, अंतड़ियों के रस में 87 प्रतिशत पानी का अंश रहता है । शराब नसों और पुट्ठों की छोटी कोशिकाओं को नष्ट करके उनका बढ़ना रोक देती है । सर विक्टर होसल (एफ॰ आर॰ एस॰) ने सच कहा है, ''अल्कोहल (शराब) डॉक्टरी के लिये भी योग्य नहीं है । भोजन भी नहीं है ।''

इस्लाम की सद्क्रान्तियों में से एक है शराब और मादक पदार्थों के सेवन से मानवता को निजात दिलाना । अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के समय में अरब समाज इतना पतित था कि जीवन में भोग-विलास की जो भी सामग्री प्राप्त हो सकती थी उससे आनन्द लेना और आज़ादी के साथ शराब पीना लोगों की दिनचर्या में शामिल हो गयी थी । लेकिन उन पर इस्लामी शिक्षाओं का इतना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा कि शराब पीना बिल्कुल बंद कर दिया और जब क़ुरआन की ये आयतें अवतरित हुईं, तो जिन लोगों के पास जो कुछ शराब थी, उसे मदीना की गलियों में बहा दी– ''ऐ ईमान लाने वालो ! यह शराब, जुआ और ये थान एवं पांसे शैतान के गंदे कामों में से हैं । अत: इनसे बचो ताकि तुम सफल हो सको । शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के द्वारा तुम्हारे बीच वैमनस्य व द्वेष पैदा कर दे और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज़ से रोक दे । फिर क्या तुम बाज़ आ जाओगे ? अल्लाह का आदेश मानो और रसूल का आदेश मानो और (इन चीज़ों से) बचते रहो । यदि तुमने (हुक्म मानने से) मुंह मोड़ा, तो जान लो कि हमारे रसूल पर केवल स्पष्ट रूप से (संदेश) पहुंचा देने की ही ज़िम्मेदारी है ।'' (क़ुरआन, 5: 90-92)

क़ुरआन की इन आयतों में शराब के लिए ''ख़म्र'' शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसकी व्याख्या हज़रत उमर (रज़ि॰) ने इन शब्दों में की है, ''ख़म्र उस चीज़ को कहते हैं जो बुद्धि पर परदा डाल दे ।'' शराब मन-मस्तिष्क को सर्वाधिक प्रभावित करती है और बुद्धि को नष्ट कर डालती है । डॉ॰ ई॰ मैक्डोवेल कासग्रेव (एम॰ डी॰ आर॰ सी॰ पी॰) के अनुसार, ''अल्कोहल मस्तिष्क को नष्ट कर देती है ।'' इस्लाम ने हर प्रकार की शराब ही को हराम नहीं किया है, बल्कि इसके अन्तर्गत हर वह चीज़ आ जाती है जो जो नाश्वर हो और मनुष्य की सोचने-समझने की शक्ति को नष्ट करे या उसे क्षति पहुंचाये । हमारे देश में इस समय शराब की 120 करोड़ लीटर वार्षिक क्षमता की 165 से अधिक फैक्टरियां हैं । यहां महिला-दुर्व्यवहार और अपराध की अन्य घटनाओं में भारी वृद्धि होती जा रही है । एक अमेरिकी शोध के अनुसार, 95 फ़ीसद हत्याओं, 24 फ़ीसद आत्महत्याओं के लिए शराब सेवन ज़िम्मेदार है, जबकि 25 से 30 फ़ीसद मानसिक विक्षिप्तता के शिकार हो जाते हैं । वास्तव में शराब-सेवन समाज के लिए कलंक है, अभिशाप है । इससे जनता को दूर रखने के लिए व्यापक और प्रभावकारी क़दमों की आवश्यकता है ।

सच्चा लोकतंत्र

'कान्ति' मासिक पत्रिका मई 2014 का अंक मुझे प्राप्त हुआ । दृष्टिकोण के अंतर्गत शीर्षक 'भारत में चुनाव की समस्याएं' लेखक मुहम्मद निज़ामुद्दीन का लेख मैंने सरसरी अध्ययन किया । इस संबंध में मेरे जो विचार थे अधिकांश उन्हीं विचारों को लेखक ने सच्चे लोकतंत्र के संबंध में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर रखा है । मैं उनके सच्चे लोकतांत्रिक विचारों का पूर्णतया समर्थन करता हूं ।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने लोकतंत्र की परिभाषा सच्चे अर्थों में की (अब्राहम लिंकन) लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा व जनता के हित के लिए होता है । 67 वर्ष से अधिक हुए स्वतंत्र भारत में यह परिभाषा पूर्णतया चरितार्थ नहीं हो रही है । प्रश्न उठता है कि सच्चा लोकतंत्र कहां रहा है । इसका दूसरा रूप में सच्चे अर्थों में चुनाव कराना ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो लोकसभा 2014 के चुनाव हो रहे हैं । चुनाव में अधिकांश धनबल, बाहुबल व शक्तिबल का प्रयोग हो रहा है । चुनाव में अधिक लड़ने वाले किसी भी राजनैतिक दल के हों उनमें आपराधीकरण व भ्रष्टाचार से ओतप्रोत और बुद्धिहीन होते हैं । एक सामान्य व्यक्ति जो बुद्धिजीवी हैं, ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ हैं वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है । एक तत्व लोकतंत्र में घुसे हुए हैं जिनके कारण हमारा स्वतंत्र देश आर्थिक व सामाजिक दृष्टिकोण से एक नहीं हो पाया है ।

पूर्व चुनाव आयुक्त श्री टी०एन० शेषन याद आते हैं । यदि वे वर्तमान में पद पर होते, तो चुनाव में समस्याएं उत्पन्न नहीं होतीं ।

चुनाव सही ढंग से हो इसके लिए मैं लेखक के विचारों से सहमत हूं (1) चुनाव ख़र्चीले नहीं हो (2) दलबदलु की बीमारी समाप्त हो (3) अपराधीकरण व भ्रष्टाचार का समावेश नहीं हो । (4) पूर्णतया अनुशासन रहे (5) क्षेत्रीय व राष्ट्रीय राजनैतिक दलों की संख्या निश्चित हो (6) चुनाव में बुद्धिजीवी ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ प्रत्याशी को ही प्राथमिकता रहे । (7) धनबल, बाहुबल व शक्तिबल की समाप्ति हो (8) चुनाव ख़र्चे की राशि सीमित हो, आय व्यय का लेखा-जोखा पूर्णतया निष्पक्ष हो (9) राजनैतिक दलों के उद्देश्य राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत हो (10) निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या सीमित हो ।

इन उपरोक्त बातों को ध्यान में रखा जाए तो सच्चा लोकतंत्र तो आएगा ही व सर्वसाधारण, बुद्धिजीवी व ईमानदार व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकेगा । देश का चहुमुखी विकास भविष्य में होगा ।

रामस्वरूप झैवर
भीलवाड़ा (राज०)

संसार से आगे

इस जगत में मनुष्य के लिए धर्म पर आचरण कठिन इसलिए होता है कि परोक्ष की बातें उसे दिखायी नहीं पड़ती हैं । जो कुछ संसार में हो रहा होता है, जिसे वह अपनी भौतिक आंखों से देखता और उसका अनुभव करता रहता है, वह वहीं तक सीमित होकर रह जाता है । परलोक की बातें, धर्म जिनकी व्याख्या करता है, उसकी नज़रों से ओझल रहती हैं ।

यह ईश्वर का वरदान है कि उसने परलोक की बातें अपने दूतों के माध्यम से समय-समय पर मनुष्य को बनाने की व्यवस्था की और अंत में उन सच्चाइयों को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया ।

हमें अपनी भौतिकता से निकलकर इन बातों पर विचार करना चाहिए । मन की आंखें खोलकर प्रकृति का अध्ययन करना चाहिए । सांसारिक जीवन के बाद के जीवन को स्वीकार करना चाहिए और उस जीवन के लिए तैयारी करनी चाहिए । सच्चाई यह है कि हमें यह जीवन उसी जीवन की तैयारी के लिए दिया गया है । परलोक का वह जीवन हमेशा के लिए होगा । एक व्यक्ति को वहां कैसा जीवन मिलेगा यह पूर्णतः निर्भर है इस जीवन में उसके कर्मों पर ।

अ० सलाम
सोलापुर, महाराष्ट्र

लोकसभा चुनाव

लोकसभा चुनाव 2014 से पूर्व जितने भी चुनाव हुए हैं,

उनमें यह सब कुछ देखने को नहीं मिला जैसा कि इस चुनाव में हुआ । नेता अस्ली मुद्दे न उठाकर एक-दूसरे की बुराइयां निकालने में ही लगे रहे । एक नेता ने किसी के बारे में एक बात कही तो उसने उससे आगे बढ़कर दो और बातें कहीं ।

नेतागण जनता की परेशानी के प्रति तो उदासीन रहे मगर अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर बहुत चिंतित नज़र आये । अधिकतर समय आरोप-प्रत्यारोप और एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने में ही गंवा दिया ।

जनता चाहती है कि एक स्थिर सरकार बने जो महंगाई को कम करे । बेरोज़गारों को रोज़गार दे । महिलाओं को सुरक्षा दे । उद्योग बढ़ाये, शिक्षा का प्रचार-प्रवार करे । किसानों के लिए आपदा कोष बनाए । योग्यता के आधार पर नौकरियां दिलाए ।

सबके लिए शिक्षा !
सबके लिए रोज़गार !
सबके लिए स्वच्छ पेय जल !
सबके लिए भोजन !
सबके लिए बिजली !
सबके लिए विकास !
का अपना वादा पूरा करे ।
हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई
देश में खुशहाली आये
करें प्रार्थना सब मिल भाई !

यशपाल जैन आदर्श

व्यास मार्ग, राजा पार्क, जयपुर

विचारणीय

आप सभी से सविनय निवेदन है कि कृपा करके मेरे विचारों का अवलोकन करके सोचें क्या हमारा समाज व देश इन विचारों को चरितार्थ नहीं कर रहा ? समाज भी हमीं से बना है अपितु हम ही क्यों न इन प्रश्नों को सकारात्मक रूप में परिवर्तित कर दें, प्रयास करिए सभी कुछ संभव है, एक नज़र इन प्रश्नवाचक बिन्दुओं पर ।

कैसे कहेंगे ?

जिस देश में महंगाई पर लगाम नहीं
ख़र्चों पर कोई विराम नहीं
उस देश को अनुशासित कैसे कहेंगे ?
जिन रिश्तों में कोई गरिमा ही न हो
मर्यादा की कोई सीमा न हो
उन रिश्तों को सुरक्षा कवच कैसे कहेंगे ?
जिस घर में अभिभावकों की लापरवाही हो
बच्चों पर कोई अंकुश ही न हो
ऐसे अभिभावक को पथ-प्रदर्शक कैसे कहेंगे ?
जब देश में नारी-बच्चों का उत्पीड़न हो
बुज़ुर्गों के अपमान की सीमा न हो
उस देश की संस्कृति को सभ्य कैसे कहेंगे ?
जब भ्रष्टाचार क़दम-क़दम पर हो
रिश्वत के बिना कोई काम न हो
उस देश की राजनीति को उत्कृष्ट कैसे कहेंगे ?
जिस देश में रोटी मिलती न हो
और भूख से जनता मरती हो
उसे देश का आर्थिक विकास कैसे कहेंगे ?
जिस देश में धरने-बन्द-प्रदर्शन हों
वार्ताओं में असलहें निकलते हों
उस देश को शांतिप्रिय कैसे कहेंगे ?

शशिप्रभा शर्मा

1936/3, पन्नापुरी, हापुड़,
ग़ाज़ियाबाद (उ०प्र०)

अच्छे लेख

'कान्ति' पत्रिका की सफलता उसके प्रकाशन के 23 वर्ष बाद भी दिखायी पड़ रही है । जिस लगन और मेहनत से इसे शुरू किया गया था वह लगातार जारी है, बधाई ।

मई 2014 का अंक पढ़ा । संपादकीय सटीक है । ''पूंजीवाद साम्राज्य और आर्थिक शोषण'', ''आर्थिक आज़ादी के लिए मतदाता वृत्ति की ज़रूरत'' आदि बहुत अच्छे लेख हैं ।

अंजनी रस्तोगी

अध्यक्ष अरविन्द महिला विकास समिति,
मढ़ई चौक, बदायूं (उ०प्र०)

शुभकामनाएं

सर्वप्रथम आपको बधाई ! आप पिछले कई सालों से पत्रकारिता में बेहद अच्छा काम कर रहे हैं । कृपया इसका ऐसा ही स्वरूप बनाए रखें । मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं ।

अभिजीत राणे

समूह संपादक-मुंबई मित्र/वृत्त मित्र, मुंबई (महाराष्ट्र)

सुझाव

आपकी पत्रिका 'कान्ति' नियमित रूप से मिलती रहती है। सदस्यता न लेने के बावजूद भी आप अपनी पत्रिका मुझे प्रेषित करते रहते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अधिकतर संपादक बिना सदस्यता के पत्रिका नियमित नहीं भेजते, किन्तु आपने मुझे पत्रिका नियमित भेजी है। आपका यह कार्य क़ाबिले तारीफ़ है।

आपकी पत्रिका वैसे तो काफ़ी अच्छी है किन्तु अगर आपको बुरा न लगे तो एक सुझाव देना चाहूंगी। जिस तरह आप इस्लाम का प्रचार-प्रसार करते हैं, उसी तरह सभी धर्मों के बारे में जानकारी प्रकाशित करते रहें तो आपकी पत्रिका इस्लामी नहीं लगेगी।

पत्रिका में इस्लाम के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है जो इसे एक इस्लामी पत्रिका बनाता है। यदि आप इसमें थोड़ा फेरबदल करें तो यह पत्रिका सभी साहित्य प्रेमियों को आकर्षित करेगी। आशा है आपको अपनी 'नादान' बहन का सुझाव उचित लगेगा साथ ही यह कहना चाहूंगी कि यदि मेरे शब्दों ने आपको आहत किया हो तो 'नादान' समझकर माफ़ कर दीजिएगा।

रामेश्वरी 'नादान'

71-सी कामना, वैशाली सेक्टर-5, ग़ाज़ियाबाद

बधाई

आपकी पत्रिका 'कान्ति' मुझे आदरणीय श्री बद्रीनारायण जी के द्वारा प्राप्त हुई। पत्रिका में सभी जानकारियां स्तरीय हैं। अमूल्य धार्मिक सेवाएं अर्पित करने के लिए बधाई।

डॉ॰ माहे तिलत सिद्दीक़ी

कानपुर

पथ प्रदर्शक

'कान्ति' का मार्च 2014 अंक मिला। आभार, अध्यात्म, साहित्य, समाज व परिवाद से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रस्तुत लेख समाज को सही राह दिखाने का काम कर रहे हैं। इस्लामिक साहित्य से परिपूर्ण 'कान्ति' पत्रिका राहभटकों को सही राह दिखाएं इन्हीं शुभकामनाओं सहित।

डॉ॰ अनिल शर्मा 'अनिल'

धामपुर, बिजनौर

इस्लाम की जानकारी

मैं पी॰ नरसिंह राव 'कान्ति' पत्रिका का नियमित पाठक हूं। गत 5 वर्षों से इस पत्रिका में 'इस्लाम' की जो जानकारी या विवरण आपकी पत्रिका में मिलती है वह अन्य दूभर है वह भी राष्ट्र भाषा हिन्दी में। अति प्रशंसनीय है। कहीं न कहीं ये पत्रिका मेरे दिलो-दिमाग़ में जगह कर गयी जहां 'इस्लाम' के प्रति जो ग़लतफ़हमियां फैली हुई है उसे दूर करने में यह पत्रिका कारगर सिद्ध हो रही है।

पी॰ नरसिंह राव

रामगोपाल पेट, सिकन्दराबाद-3 (आंध्र प्रदेश)

सही सलाह

एक आदमी एक फ़क़ीर के पास गया और बोला मुझ में अनेक बुराइयां हैं और मैं उन्हें छोड़ना चाहता हूं, पर प्रयास करने पर भी नहीं छोड़ सका, मुझे कोई रास्ता बताएं। उसे कोई उत्तर नहीं दिया और अचानक उठकर खंभे को पकड़ कर ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा कि बचाओ-बचाओ मुझे खंभे ने पकड़ लिया है।

उस व्यक्ति ने सोचा संभवत: फ़क़ीर को कहीं पागलपन का दौरा पड़ा है क्योंकि उसने ख़ुद ही खंभे को पकड़ा और अब चिल्ला रहा है खंभे ने उसे पकड़ लिया है। उस व्यक्ति ने कहा कि इतनी बात तुम नहीं जानते कि खंभे ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने ही खंभे को पकड़ रखा है।

फ़क़ीर बोला तू तो बड़ा सयाना है जो यह बात जानता है फिर कैसे कहता है कि बुराइयों ने तुझे घेर रखा है और वे छुटती ही नहीं, जबकि उन्हें तूने पाल रखा है। तू जब चाहे तब इन्हें छोड़ सकता है पर चाहो तो तहेदिल से। व्यक्ति की बात समझ में आ गयी। आज हमारे समाज में भी ऐसी ही विकृतियां व्याप्त हैं। यदि हम चाहें तो हमारे समाज से इन्हें दूर कर सकते हैं और देश में ही नहीं विश्व में शांति, भाईचारा और प्रेम का वातावरण बना सकते हैं।

घेवरचन्द गोदीका

किशनपोल बाज़ार, जयपुर

सूचना

मेरठ में 'कान्ति' हासिल करने के लिए संपर्क करें-

AHSAN MUSTAQIMI

1946/1, Gali No. 28, Near Bismillah Masjid,
D-Block, Zakir Husain Colony,
Meerut City-2 (Uttar Pradesh)
Mob. : 09411022708
E-mail : mustaqimiahsan1931@gmail.com

अनाथ लड़कियों की पुकार

VOICE OF ORPHAN GIRLS

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया)

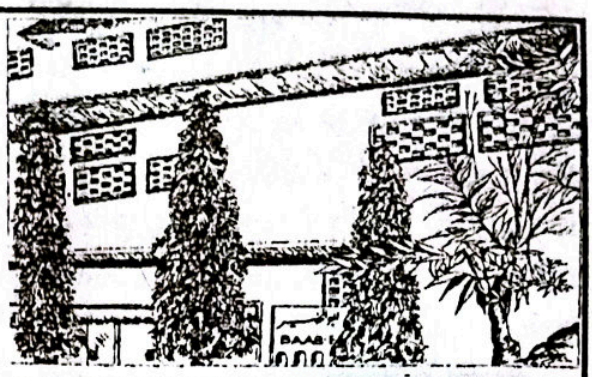

संक्षिप्त परिचय

लड़कियों के लिए आधुनिक और इस्लामी तालीम से लैस राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श रिहाइशी इदारा

● 28 वर्षीय सेवाएं ● 19 विभाग ● शिक्षा : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● पत्राचार शिक्षा I.A., B.A. एवं Library Science ● 9 छात्राओं ने हिफ़्ज़ के साथ मैट्रिक पास किया ● प्रौढ़ शिक्षा ● वोकेशनल सेन्टर ● कटिंग और सिलाई: 8 बैच 88 छात्राएं ● ज़री वर्क्स : 5 बैच 53 छात्राएं ● 1993 ई॰ से 2014 ई॰ तक 120 अनाथ बच्चियों और 51 मां-बाप वाली बच्चियों ने मैट्रिक पास किया ● वार्षिक ख़र्च : 30 लाख रुपये से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● इदारा 120 अनाथ बच्चियों का सारा ख़र्च पूरा करता है ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक यतीम बच्ची का वार्षिक ख़र्च 15,000/- रुपये है—आप भी एक अनाथ बच्ची का ख़र्च उठा कर सवाब में शरीक हों ।

सहायता के विभिन्न रूप : ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● दीनी किताबें ● ज़मीन की ख़रीदारी और क़र्ज़ की अदायगी ● स्टाफ़ की मासिक आय के लिए 1,00,000/- रुपये से अधिक ● मां-बाप या रिश्तेदारों के नाम कमरा या हॉल बनवाना और निर्माण कार्यों के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री या उसका मूल्य देना ● यहां प्रतिवर्ष हिसाब चेक किये जाते हैं और ऑडिट होता है । ● इदारा में खुद आकर बराबरी का नमूना देखें कि अनाथ बच्चियां और वे बच्चियां जिनके मां-बाप हैं किस तरह मिलकर रहा करती हैं ।

नोट : इस्लामी माहौल, इस्लामी लिबास और इस्लामी यूनिफार्म के साथ-साथ कम ख़र्च में मेयारी तालीम।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

विदेशी चन्दा देने वाले : भारत सरकार से "मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया) को विदेशों से चन्दा लेने का इजाज़तनामा प्राप्त हो गया है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

विदेशों में रहने वाले अब BANK A/c No. 300402010009042

BANK CODE NO. UBININBBJAM or IFS Code No. UBIN 0530042

Union Bank of India (Main Branch, GAYA में अपनी रक़म भेज सकते हैं ।

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें—"THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE"

Address for correspondence : रक़म भेजने और संपर्क करने का पता

GENERAL SECRETARY, THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE

At : KOLOWNA, P.O.: CHERKI-824237, Distt.: GAYA (BIHAR) INDIA, Mobile : 9934480190

E-mail : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Website : www.gmgo.org

LOCAL DONORS मक़ामी चन्दा देने वाले

CORE BANKING A/c No. : 300402010007752

BANK IFS CODE-UBI No. 530042 UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

Note : Documentary Film–NAZR-E-ENAYAT जिसमें इदारे का इतिहास है। इंटरनेट यू ट्यूब पर देखें।

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

संस्थापक महासचिव : इक़बाल अहमद ख़ां

हाथ की लकीरों में क़िस्मत देखने वालो–विचार कीजिए !

❖ लालचन्द चौहान

जिनके हाथ नहीं होते, उनकी लकीरें कहां ? परंतु उनकी भी क़िस्मत होती है । ईश्वर किसी की क़िस्मत को नहीं लिखता, वह तो केवल वही लिखता है जिसे हम पुरुषार्थ से करते हैं या पाप, अत्याचार से करते हैं, वही हमारी क़िस्मत है, अर्थात हमारे कर्म हैं, जिनका फल ईश्वर हमें देता है और उनको हम किसी न किसी योनि में जन्म लेकर भोगते हैं । ईश्वर केवल हमारे पाप-पुण्य को लिखता है । ज़रा सोचो–आपने टेलीविज़न पर देखा होगा, विमान दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, सड़क हादसे, धर्मस्थलों पर हुई अनेक दुर्घटनाएं आदि-आदि, क्या उन हज़ारों मरने वालों की हस्तरेखाएं एक जैसी थी, उनमें बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री-पुरुष सभी होते हैं ।

ईश्वर ग़लत कार्य को उसकी आत्मा को एहसास कराता है, परन्तु वह आत्मा की बात न मानकर अपनी मनमानी करता है, ईश्वर उसको रोकता नहीं, क्योंकि ईश्वर ने जीव को कर्म करने में स्वतंत्रता दी है, परंतु उस कर्म का फल पाने में जीव परतंत्र है अर्थात कर्मों का फल देना ईश्वर के अधीन है । इसलिए सोच-समझकर कार्य करें, हाथों की रेखा में कुछ भी नहीं लिखा, लिखने वाले तो अपनी क़िस्मत के तुम स्वयं हो । जैसा अच्छा-बुरा लिखना चाहते हो, वही लिख डालते हो ।

कई लोग कहते हैं कि बहुत से गुरु भविष्यवाणी करते हैं या बतला देते हैं कि वह क्या करने वाला है या उसने क्या किया ? ऐसा कई चमत्कारी बाबा अपने आपको कहते हैं कि वह भविष्य बतला देते हैं और लोग बिना बुद्धि से विचारे इनके चंगुल में फंस जाते हैं ।

लोग ज्योतिषियों के पीछे भाग रहे हैं–आम आदमी नहीं, बड़े-बड़े राजनेता, बड़े-बड़े पदाधिकारी और सबसे अधिक संख्या में धनी लोगों की स्त्रियां । राजनेता की कुर्सी बनी रहेगी या नहीं भविष्य जानना चाहते हैं । उच्च पदाधिकारी कोई धनोपार्जन में बाधा तो नहीं आने वाली, धनी धन की बढ़ोत्तरी में और इज़ाफ़ा कैसे-कैसे होगा ? या दुखों का निवारण आदि-आदि के लिए ज्योतिषियों के पास जाते हैं । ज्योतिषी जी अच्छी रक़म पहले ही ऐंठ लेते हैं और नेता जी चुनाव जीत गये कुर्सी बनी रही तो ज्योतिषी के भाग्य खुल जाते हैं । यह व्यवस्था बनी हुई है और लोग इन ज्योतिषियों के व्यापार को ख़ूब फलीभूत कर रहे हैं ।

राशिफिल : ज़रा बुद्धि से गहराई से विचार करने की बात है । राम, रावण की एक ही राशि थी । पर देखो, दोनों का क्या हाल हुआ ? लाखों साल से लोग एक के लिए दीपक जलाते हैं और दूसरे का हर साल पुतला जलाते हैं और बहुत से तो गालियां भी देते हैं । कंस को गाली देते हैं, कृष्ण जी के गीत गाते हैं ।

राहू-केतु : ज्योतिषियों ने दो ग्रह लोगों को डराने के लिए कल्पित कर रखे हैं । ऐसे कोई ग्रह नहीं होते । राहू-केतु ईश्वर के नाम भी हैं, यह तो सत्य है, परंतु ग्रह कोई नहीं है ।

लोग कहते हैं कि ज्योतिषी भूत, भविष्य, वर्तमान की बातें बता देता है । देखिए–भूतकाल को कोई नहीं बता सकता, न ही इसको जानने का कोई लाभ है, बीत चुका उसे क्या जानना । वर्तमान आप जानते हो, इसका भी कोई लाभ नहीं । अब रही बात भविष्य की, जिसको जानने हेतु लोग बड़े ही उत्सुक होते हैं । अगर आप पुरुषार्थी, परिश्रमी, बुद्धिमान और ईमानदार हैं, तो आपका भविष्य उज्ज्वल ही उज्ज्वल है । अगर आप आलसी, बुद्धिहीन और बेईमानी पर उतर आये तो आपका भविष्य बिगड़ जाएगा ।

जादूगरी आंखों का धोखा : ज़रा सोचिये ! जादूगरी क्या है ? आटा होगा तो रोटी बनेगी । पैसा होगा तो ही दिखायी देगा, जो जादूगर आपको दिखाते हैं, वह वस्तु उनके पास पहले से ही उपलब्ध होती है, यह आपके नज़र, उनकी चतुराई से धोखा खा जाती हैं । इनके पास आपकी आंखों को धोखा देने के सिवाय और कोई करामाती जादू नहीं है ।

گونگے، بہرے و نابینہ افراد کا منفرد فلاحی اِدارہ

IDEAL INFORMATION CENTRE FOR DISABLED (IICD) Regd.

Azampura, Hyd-24 A.P.

IICD Hyderabad — IDEAL INFORMATION CENTRE FOR DISABLED

ESTD-2007





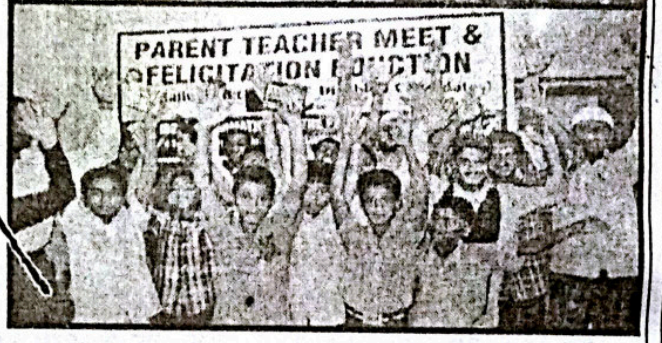

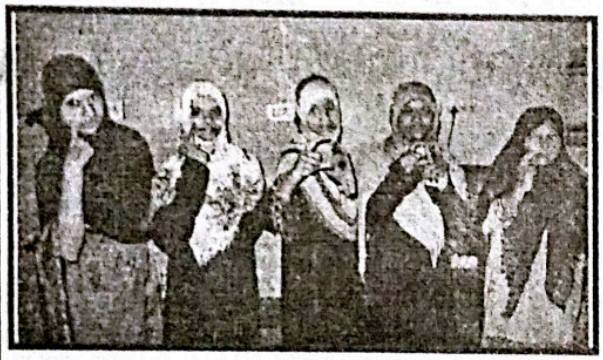

- گونگے بہرے افراد میں ہفتہ واری دینی اجتماع کے ذریعہ دین اسلام کا صحیح فہم اور شعور بیدار کیا جاتا ہے۔
- امسال IICD کی دعوت افطار پر 550 مسلم و 450 غیر مسلم افراد نے شرکت کی۔
- ۲۰۰۸ء میں ایجوکیشنل و کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا۔ قابل اساتذہ کی خدمات لی جاتی ہیں! جس میں اُردو، عربی، انگلش وانگلش گرامر، ریاضیات، سائنس، اخلاقی تعلیم دی جاتی ہے۔
- JOB ORIENTED COMPUTER COURSES اس مسابقتی دور میں گونگے بہرے افراد کو خود مکتفی ہونے کیلئے ادارہ نے اپنے قیام کے قلیل مدت میں اعلیٰ کورسس کی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے۔
- IICD کا منصوبہ میں شامل Deaf اسکول کے لیے Govt. Recognisation کی کاروائی کا آغاز کیا جاچکا ہے عنقریب اس کا تکمیلہ ممکن ہوگا (انشاءاللہ)۔

اپیل برائے تعاون اہل مخیّر حضرات کی خدمت میں عرضداشت :

چک اور ڈرافٹ پر صرف "IDEAL INFORMATION CENTRE FOR DISABLED" لکھیں۔ اکاؤنٹ نمبر : 3071840059 سنٹرل بنک آف انڈیا، برانچ نور خان بازار، حیدرآباد۔

MICR Code : 500016015 | IFSC Code : CBI No. 282407

ڈاکٹر خالد مبشر الظفر چیرمین IICD، ناظم شہر جماعت اسلامی ہند، گریٹر حیدرآباد +91 9866685248	سید تبریز بخشی، سکریٹری +91 9059619641

درج ذیل مراکز پر بھی اپنے عطیات جمع کرواسکتے ہیں

سب ڈپو مرکزی مکتبہ اسلامی (چھتہ بازار) حیدرآباد 040-66710339	عکاظ کتاب گھر (عکاظ کامپلکس، مہدی پٹنم، حیدرآباد) 040-23535567

آئیڈیل اِنفارمیشن سنٹر فار ڈیز ایبلڈ (رجسٹرڈ) 16-7-731، روبرو مسلم میٹرنٹی ہاسپٹل، اعظم پورہ، حیدرآباد۔

Tel & Fax : 040-24527201, +91 9010657201, (SMS Only) - 9291203299

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध

❖ मुशर्रफ़ अली

महिलाओं के विरुद्ध अपराध का सिलसिला हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत पुराना है । सदियों से महिलाएं जुल्म व अत्याचार का शिकार होती रही हैं । आधुनिकता और वैज्ञानिक प्रगति साथ दुनिया में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन महिला विरोधी मानसिकता ज़रा भी नहीं बदली । महिला के पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के नारे के बावजूद विकसित देश में भी पुरुषों द्वारा महिला के प्रताड़ना की दर कहीं से कम नहीं है । विकास और महिला समानता के नाम पर भी महिलाओं को दुनिया भर में और प्रताड़ित ही किया जा रहा है । समानता के नाम पर केवल यह हुआ है कि पुरुष वर्ग ने अपने हिस्से के बहुत सारे काम महिलाओं के सिर मढ़ दिये और उनके हिस्से का कोई भी काम नहीं लिया ।

लगभग सारी महिलाएं, चाहे वे दुनिया के किसी देश में रहती हों और किसी भी वर्ग से उनका संबंध हो, अपनी रक्षा को लेकर भय का शिकार हैं । सच्चाई तो यह है कि महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार और उत्पीड़न की शुरुआत उनके जन्म से भी पहले शुरू हो जाती है । महिला अधिकारों को लेकर इतना मुखर होने वाला समाज उन्हें जन्म लेने के मौलिक अधिकार से भी वंचित कर देना चाहता है । जन्म के बाद वह सबसे पहले अपने ही घर में भेदभाव का शिकार होती है और फिर घर और घर से बाहर लगातार भय और आतंक के साये में रहती है । हमारे देश में सामान्य रूप से सामाजिक ढांचा ऐसा है कि महिलाएं हमेशा पुरुषों के रहमो करम पर ही रहती हैं । घर से लेकर बाहर तक के हर तरह के अपराध का शिकार बनती हैं ।

महिलाएं जो देश की कुल आबादी का लगभग आधा भाग हैं, समाज में कोई सकारात्मक भूमिका अदा करने की स्थिति में नहीं हैं । हाल में ही किये गये एक अध्ययन में पता चला है कि आधुनिकीकरण और ग्लोबलाइज़ेशन के इस दौर में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में सबसे आम बलात्कार है । हालांकि बलात्कार की घटनाएं जितनी होती हैं उतनी रजिस्टर नहीं होतीं, उनका एक बहुत छोटा भाग ही रजिस्टर हो पाता है। अधिकतर मामलों में बलात्कार पीड़िता और उसके अभिभावक बात फैलने और बदनामी होने के डर से मामले को दबा देने में ही आफ़ियत समझते हैं । कई बार लोग यह सोचकर चुप बैठ जाते हैं कि अदालत से भी इन्साफ़ मिलने की उम्मीद नहीं होती । बलात्कार के मामले में ऐसा बहुत कम हुआ है कि अपराधी को सज़ा मिली हो, अधिकतर मामले में वे बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं । इसके अलावा लम्बी अदालती कार्रवाई पीड़िता के लिए सज़ा से कम नहीं होती ।

एक बड़ी ख़राबी यह है कि हमारे देश में बलात्कार और व्यभिचार को अलग अलग समझा जाता है । क़ानून की नज़रों में बलात्कार तो अपराध है लेकिन व्यभिचार अपराध नहीं है । यानी व्यभिचार केवल उस स्थिति में अपराध है जब एक पक्ष ने ज़बरदस्ती की हो, लेकिन अगर इस काम में दोनों पक्ष की मर्ज़ी शामिल है तो क़ानून इसे अपराध नहीं मानता । इसी का फ़ायदा उठाकर बलात्कारी अदालतों में बलात्कार को व्यभिचार सिद्ध कर देते हैं और साफ़ बच जाते हैं । दूसरे पक्ष के लिए यह साबित करना बहुत मुश्किल होता है कि इसमें उसकी मर्ज़ी शामिल नहीं थी ।

बलात्कार का शिकार हमारे यहां हर आयु की महिला होती है । दूध पीती बच्ची से लेकर 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं सभी इससे पीड़ित हैं । 2010 ई० के आंकड़ों

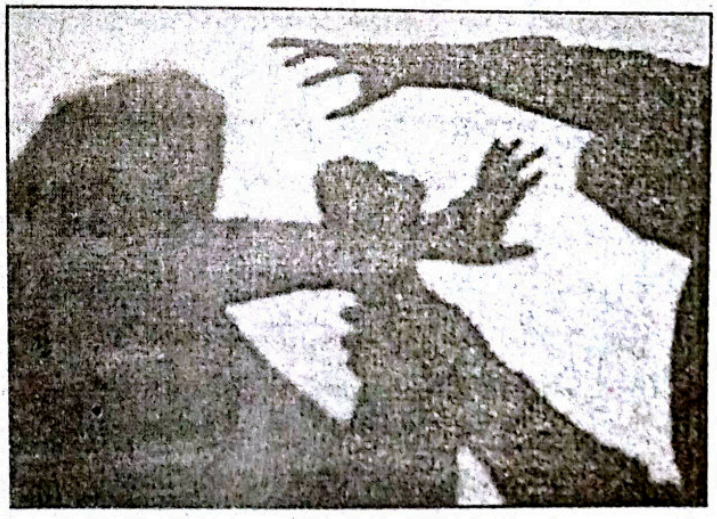

के अनुसार 22,193 महिलाएं बलत्कार का शिकार हुईं जिनमें से 8.9 प्रतिशत अर्थात 1,975 लड़कियां 14 वर्ष से कम उम्र की थीं, 16.1 प्रतिशत अर्थात 3,570 लड़कियां 14 से 18 वर्ष की थीं, 57.4 प्रतिशत अर्थात 12,749 पीड़िताओं की उम्र 18-30 वर्ष थी, 17.0 प्रतिशत अर्थात 3,763 महिलाएं 30-50 वर्ष की थीं और 136 महिलाओं की उम्र 50 वर्ष से भी अधिक थी ।

महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले दूसरे अपराधों की संख्या भी कम नहीं है । वर्ष 2012 ई॰ में महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले 2,44,270 अपराध विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किये गये, जो 2011 ई॰ की 2,28,650 आपराधिक घटनाओं की तुलना में 6.4 प्रतिशत अधिक हैं । अगर हम पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नज़र डालें तो इसमें लगातार वृद्धि दर्ज की जा सकती है–

अपराध	वर्ष					
	2008	2009	2010	2011	2012	2011 की तुलना में 2012 में वृद्धि प्रतिशत
1. बलात्कार (धारा 376 आई॰ पी॰ सी॰)	21,467	21,397	22,172	24,206	24,923	3.0
2. अपहरण (धारा 363-373 आई॰ पी॰ सी॰)	22,939	25,741	29795	35,565	38,262	7.6
3. दहेज हत्या (धारा 302/304 आई॰ पी॰ सी॰)	8,172	8,383	8,391	8,618	8,233	-4.5
4. घरेलू हिंसा (धारा 498- । आई॰ पी॰ सी॰)	81,344	89,546	94,041	99,135 106,527	7.5	
5. छेड़ख़ानी (धारा 354 आई॰ पी॰ सी॰)	40,413	38,711	40,613	42,968	45,351	5.5
6. इज़्ज़त से खिलवाड़ (धारा 509 आई॰ पी॰ सी॰)	12,214	11,009	9,961	8,570	9,173	7.0
7. लड़कियों की तस्करी (धारा 360-ट आई॰ पी॰ सी॰)	67	48	36	80	59	-26.3
8. सती–एक्ट 1987 के तहत	1	0	0	1		-100
9. नैतिकता–एक्ट 1956 के तहत	2,659	2,474	2,499	2,435	2,563	5.3
10. अभद्र प्रस्तुतिकरण–एक्ट 1986 के तहत	1,025	845	895	453	141	-68.5
11. दहेज–एक्ट 1961 के तहत	5,555	5,650	5,182	6,619	9,038	36.5
कुल =	19,5856	203804	213585	228650	244270	6.8

महिलाओं के विरुद्ध इस बढ़ते हुए अपराध का एक मुख्य कारण समाज में उनकी स्थिति को लेकर अस्पष्ट विचारधारा का होना है । सम्मान और समानता के नाम पर अलग अलग विचार-धाराएं हैं, जिनमें संतुलन की बहुत कमी है । हालांकि इस्लाम में महिलाओं की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी गयी है । अल्लाह ने महिला और पुरुष दोनों को समान पैदा किया है लेकिन समानता का यह मतलब नहीं है कि दोनों के अधिकार और दोनों की ज़िम्मेदारियां भी समान हों । चूंकि दोनों की शारीरिक बनावट और मानसिक योग्यताओं में अन्तर है इसलिए दोनों का कार्य क्षेत्र अल्लाह ने ही अलग-अलग कर दिया है । महिला और पुरुष दोनों को अल्लाह ने अलग अलग ज़िम्मेदारियां निभाने के लिए पैदा किया है । दोनों अगर अपनी अपनी ज़िम्मेदारियां निभाएं तो ही समाज सुचारु रूप से चल सकता है । परेशानी तब पैदा होती है जब समानता, स्वतंत्रता और आधुनिकता के नाम पर सीमाओं का उल्लंधन होता है ।

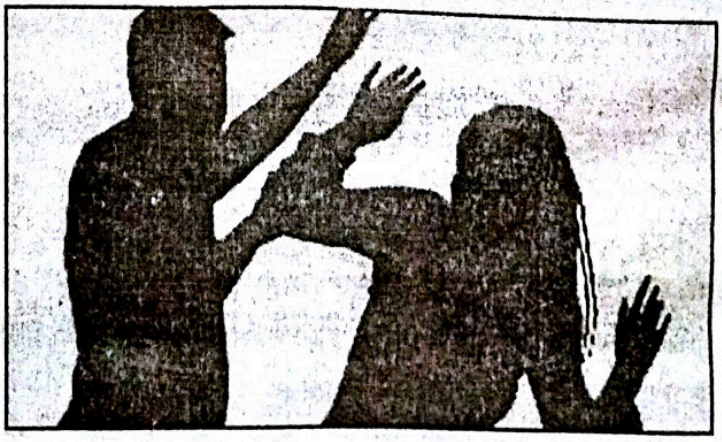

किस मर्ज़ की दवा हैं 'आयोग' ?

2014 के चुनाव, कांग्रेस की नाकाम सरकार, केजरीवाल के थप्पड़ खाने, मोदी को सर्वशक्तिमान बनाने, मीडिया का एक तरफ़ा झुकाव होने, भाजपा के बड़े नेताओं को दरकिनार कर मोदी की जय-जयकार करने से ज़्यादा गाली गलौज, व्यक्तिगत आक्षेपों असंसदीय भाषा के लिये जाने जाएंगे । इन चुनाव में भाजपा नेता और नरेन्द्र मोदी के सबसे क़रीबी अमितशाह न उत्तर प्रदेश की एक चुनावी सभा में मुसलमानों से बदला लेने का आह्वान किया था ।

आरोप है कि चुनाव से कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी और भाजपा ने मिलकर साम्प्रदायिक दंगे कराये ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके । सपा नेता आज़म ख़ान ने कहा कारगिल युद्ध सिर्फ़ मुसलमान सैनिकों ने जीता था । बिहार के भाजपा नेता गिरिराज़ सिंह ने कहा किं मोदी विरोधियों को पाकिस्तान भेज दिया जायेगा उनके लिए भारत में कोई जगह नहीं है ।

योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि राहुल दलित बस्तियों में हनीमून मनाने जाते हैं । उनकी मां उनके लिए विदेशी 'लुगाई' लाएगी । मुलायम सिंह ने कहा बच्चों से ग़ल्ती हो जाती है इसलिए अगर उनकी सरकार बनी तो रेपिस्ट को फांसी नहीं देंगे । एक नेता ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के टुकड़े-टुकड़े कर दिए जांएगे । तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने मोदी को गुजरात का क़साई बताया । इसके अलावा मोदी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राबर्ट वाड्रा पर निजी हमले हुए भाषा की कोई मर्यादा नहीं । 'चुनावी योद्धा' अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूके ।

आचार संहिता की धज्जियां उड़ीं । इस मामले में लगभग रोज़ एफ़० आई० आर० दर्ज हुई, लेकिन इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा । चुनाव आयोग सिर्फ़ इतना कहता है कि कार्यक्रम की सीडी देखकर कार्रवाई करेंगे । आज तक उसने कितनी सीडी देखी या नहीं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं । कार्रवाई के नाम पर सिर्फ़ इतना हुआ है कि बाबा रामदेव, गिरिराज सिंह और आज़म ख़ान की जनसभाओं पर रोक लगा दी गयी । मतलब यह कि नेताओं और वक्ताओं को चुनाव आयोग का कोई डर नहीं । जो मन में आया बक दिया । क्या चुनाव आयोग सिर्फ़ चुनाव की घोषणा करने तक सीमित है ?

सवाल यह है कि नेता या छुटभैया नेता इस तरह के ऊल जलूल बयान क्यों देते हैं ? ऐसे बयान जिनसे समाज में वैमनस्यता और कटुता फैलती है । भाईचारा प्रभावित होता है । समाज के सदभाव पर असर पड़ता है और पड़ोसी-पड़ोसी को दुश्मन की नज़र से देखने लगता है । देश में बिघटन के बीज पड़ने लगते हैं और सरकार और आयोग तमाशा देखते रहते हैं ।

ऐसा भी एहसास होता है कि आज बुराई को अच्छाई माना जाने लगा है । लगता है कि बदनामी से व्यक्ति का क़द छोटा नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है । बदनामी से उसका बहिष्कार नहीं बल्कि सत्कार होने लगता है । बदनामी उसके कैरियर के लिए आक्सीजन का काम करती है ।

जिस आदमी को गली के लोग नहीं जानते ऊल-जलूल और भड़काऊ बातें करने के बाद उसे पूरा देश जानने लगता है । क़ानून और न्याय प्रक्रिया इतनी जटिल या उदार है कि ऐसे आदमी को सज़ा मिल नहीं पाती और समाज उसे बहिष्कार करने के बजाय सम्मान देने लगता है और चुनाव आयोग मूकदर्शक बना रहता है । ऐसी हालत में वह देश विरोधी, समाज विरोधी, साम्प्रदायिकता बढ़ानेवाला बयान देने से परहेज़ क्यों करे ?

चुनाव आयोग के अलावा भी हमारे देश में कई स्थायी आयोग हैं और समय-समय पर ज़रूरत के मुताबिक़ सरकार अलग से भी आयोग बनाती रहती है । इनमें स्थायी रूप से महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग, पुलिस सुधार आयोग, जनजातीय आयोग जैसे अनेक आयोग हैं, जिन पर सरकार-लाखों-करोड़ों रुपये ख़र्च करती है, लेकिन उनकी सिफ़ारिशों पर अमल नहीं करती । जब अमल ही नहीं करती तो फिर आयोग किस मर्ज़ की दवा हुए ?.

इस बात से किसी को इन्कार नहीं कि कोई भी आयोग कड़ी मेहतन और बारीकी से और हर पहलू की तथ्यों पर आधारित बारीकी से जांच कर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है, लेकिन जब उसे लागू करने की बात आती है तो सरकार नफ़ा नुक़सान का गणित लगाने लगती है । उसे लागू करने में फ़ायदा दिखाई नहीं देता तो उसे लागू ही नहीं करती और रिपोर्ट धूल फांकती रहती है ।

मुसलमानों की समस्याओं पर सच्चर कमेटी बनी जिसने बारीकी से जांच पड़ताल कर इस समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए तमाम सुझाए लेकिन क्या वे लागू हुए ?

इसी तरह मुम्बई दंगों पर श्रीकृष्ण आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और दोषी लोगों को चिन्हित किया, लेकिन वह रिपोर्ट आज तक धूल फांक रही है । उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई ! महिला आयोग हो या कोई अन्य उसके पास न्यायिक अधिकार ही नहीं तो वह क्या कार्रवाई करेंगे ? ये आयोग चिल्ला सकते हैं, लेकिन कार्रवाई करना या न करना सरकार या कोर्ट के पास ही है ।

दरअस्ल आयोग 'बिजूका' की तरह है तो जो लोगों को भ्रमित करते हैं । जिस तरह किसी खेत में पशु-पक्षियों को भ्रमित करने के लिए खेतों में 'बिजूका' लगा दिया जाता है उसी तरह आयोग हैं जो लोगों को बहका कर झूठी तसल्ली देते हैं । आयोग बिना दांत के शेर हैं जो गुर्रा तो सकते हैं, लेकिन उसके पास काटने के लिए दांत (शक्ति) नहीं है ।

जिस तरह से पिछले आम चुनाव मैं आग उगली गयी, निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया गया यहां तक कहा गया कि राहुल गांधी दलित बस्तियों में हनीमून मनाने जाते हैं । इसके अलावा और भी नेताओं ने बेहद घटिया बयान दिये, उन पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ़ उनकी सभा करने पर रोक लगा देना सज़ा नहीं है । अगर चुनाव आयोग सिर्फ़ एक बार बकवास करने या आचार संहिता का उल्लंघन करने पर एक दो नेता को एक दो साल की सज़ा दे दे या कम से कम 1 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दे, तो कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा । तत्काल सज़ा मिले तो उसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा ।

इसी तरह महिला आयोग या अल्पसंख्यक आयोग जैसे किसी आयोग की सिफ़ारिश पर इसी तरह की कड़ी कार्रवाई हो जाये तो फिर देखना लोग कैसे डरेंगे आयोगों से । क्या यह आरोप सही नहीं है कि सरकार किसी को बचाने के लिए आयोग का सहारा लेती है या फिर लोगों का ध्यान किसी घटना से हटाने के लिए आयोग बनाती है । अगर ऐसा नहीं है तो फिर सरकार दोषी को दंडित करने का अधिकार दे ।

सी॰ के॰ रहमानी
खिचड़ीपुर दिल्ली

दोहे

दिखा रहा है देश में, ख़ुशहाली के चित्र ।
दर्पण ने सच बोलना, छोड़ दिया क्या मित्र ।।

लोकार्पण की पट्टिका, खड़ी हुई है दृप्त ।
जाने कब इस जगह से, सड़क हो गयी लुप्त ।।

आंख सुपर बाज़ार में, रखे सड़क पर पांव ।
दफ़्तर में सिर रख चले, हम सपनों के गांव ।।

न जाने क्या रूप है, न जाने क्या वेश ।
सिर्फ़ मोबाइल पर मिला, फागुन का सन्देश ।।

शब्दों में हुंकार है, अर्थों में अंगार ।
गली-गली हुंकारता, गरजे भ्रष्टाचार ।।

जीवन का उल्लास से, टूट गया संवाद ।
सुबह उदासी लिख रही, शाम पढ़े अवसाद ।।

झुकता कभी न सृष्टि में, उस यौवन का शीश ।
शिर स्त्राण जिसका वने, वृद्धों का आशीष ।।

चले गये उस गेह से, सुख-संतोष उछाह ।
जिस दिन ली वार्द्धकय ने, वृद्धाश्रम की राह ।।

आएं उसके द्वार पर, चलकर खुद भगवान ।
जिस घर में होता सदा, नारी का सम्मान ।।

नारी नर की शक्ति है, सांसों का उल्लास ।
प्राणों की नव-चेतना, सर्जन का इतिहास ।।

डॉ॰ राम सनेही लाल शर्मा
फ़ीरोज़ाबाद (उ॰प्र॰)

मां जी

■ फ़य्याज़ क़ुरैशी

यह कहानी शुरू होती है मेरे घर और कार्यालय के बीच स्थित एक पेट्रोल पम्प के किनारे बैठने वाली बुढ़िया से । वैसे प्रतिदिन बहुत से भिखारियों से सामना होता है, लेकिन उस बूढ़ी महिला के आगे फैले हुए चीथड़े पर पड़े हुए सिक्कों और उसकी आंखों में जो संबंध है, वह बिना मांगे ही देने पर उभारता है । शायद यह संबंध अब मेरे जीवन से भी जुड़ गया है ।

एक बार सिक्कों की अनुपस्थिति मुझे उसके पास ले आयी ।

''मां जी ! आप किसी अच्छे घराने से लगती हैं, क्या इस दुनिया में आपका कोई नहीं है ?''

बुढ़िया की आंखों में आसुओं का बन्द टूट गया । दिल का बोझ सहानुभूति के दो बोल सुनकर हल्का-सा हुआ होगा तो वे बोलीं–''मेरा एक बेटा है ।''

''फिर आप सड़क पर क्यों पड़ी हुई हैं ?''

''बहु और बेटे की खुशियां बेकार के बोझ से उकता गयीं ।''

''मां जी ! नाम और पता बताइए मैं कोशिश करूंगा कि उनसे मिलू ।''

''नहीं बेटा वे अब मुझ से दूर कहीं गुम हो गये हैं मुझे उनका पता नहीं मालूम ।''

''तो मेरे घर चलिए, मुझे मां जी की आवश्यकता है ।''

''नहीं बेटा मैं अब किसी का बोझ बनना नहीं चाहती ।''

''कई बार मैंने कोशिश की कि मां जी मेरे साथ रहें, मगर वे किसी तरह तैयार नहीं हुईं । एक रात तूफ़ानी वर्षा ने वातावरण को बड़ा भयानक बना दिया तो मेरे लिए मेरा नर्म बिस्तर अंगारों की सेज बन गया । मुझे मां जी का विचार तड़पाने लगा । एक बार जब बिजली चमक कर गिरी तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाया और तेज़ वर्षा की परवाह किये बिना ही घर से निकल पड़ा । पेट्रोल पम्प के किनारे जहां वह सोया करती थी, वह जगह ख़ाली पड़ी थी । दूर-दूर तक पानी ही पानी था । अंधेरे में फिर एक बार बिजली चमकी तो चबूतरे के नीचे चीथड़ों में लिपटा हुआ कमज़ोर शरीर ठिठुरता हुआ दिखायी पड़ा । कीचड़ में लथपथ मां जी बेहोश पड़ी थी ।

कुछ देर बाद जनरल अस्पताल की एक बेंच पर बैठे-बैठे मुझे ऊंघ आने लगी । सारी रात मां जी को होश में लाने और डॉक्टरों से चिकित्सीय सहायता दिलवाने में गुज़र गयी थी ।. दवा ने प्रभाव डाला, जब उन्हें होश आया तो वह अत्यंत कमज़ोर आवाज़ में अपने बेटे को पुकारने लगीं । मैंने सोचा आख़िर ये रिश्ते कैसे हैं जो एक मामूली-सी ठेस लगने से टूट जाते हैं !

बड़ी कठिनाई से वे सोयी थी । इमरजेंसी से वार्ड में पहुंचाने के बाद मैं जैसे ही बाहर निकला, मेरी भेंट असद साहब से हो गयी, जो मेरे बॉस हैं । परेशान से दिखायी पड़ रहे असद साहब मुझ से लिपट गये और बोले–

''अख़्तर दुर्घटना में बुरी तरह ज़ख़्मी हो गया है ।''

मैंने उन्हें ढाढस बंधाते हुए कहा–

''धैर्य से काम लीजिए सर अल्लाह बेहतर करेगा ।''

तुम यहां कैसे ? उन्होंने मुझ से पूछा ।

''मेरी मां की हालत बहुत ख़राब है, कल रात वर्षा में वे बुरी तरह भीग गयी थी ।''

''मगर तुम्हारी मां तो बहुत पहले गुज़र चुकी हैं ?''

''हां सर किसी बेटे ने अपनी मां को बोझ समझ कर रास्ते में ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया था तो दूसरे बेटे ने उसे वरदान समझ कर अपनी बाहों से समेट लिया ।''

''ओह !''

ऑपरेशन थियेटर के बाहर असद साहब और उनकी पत्नी परेशान टहल रहे थे । मेरी आंखों के सामने अख़्तर का युवा शरीर घूम गयी । अख़्तर एक लापरवाह और आज़ाद लड़का था जो ज़िन्दगी को एक खेल समझता था । जवान बेटे के प्रेम में दोनों तड़प रहे थे । यह दृश्य देखकर मुझे महसूस होने लगा मां-बाप अपने बच्चे को किन-किन कठिनाइयों से पालते हैं, मगर न जाने किस अपराध के बदले

उनकी संतान ठुकरा देती है, समझ से परे प्रश्न मेरे मन-मस्तिष्क में आते रहे, समय गुज़रता रहा ।

उसी हालत में मैं जब मां जी के पास पहुंचा तो उनकी ज्योतिहीन आंखें दरवाज़ें को तक रही थीं । समुद्र के झाग का एक रेला आया और रेत का घिरौंदा बहा ले गया । एक बार फिर मैं अकेला रह गया । स्ट्रेचर पर सफ़ेद चादर में लिपटी मां जी की लाश लायी जा रही थी । मैं अस्पताल की अंतिम ख़ानापूर्ति के लिए अन्दर चला गया । रास्ते में असद साहब और उनकी पत्नी रोते-चिल्लाते मिले ।

''हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया ।''

मेरे लिए यह दूसरा सदमा असह्य था ।

''मेरी मां भी अब इस दुनिया में नहीं रहीं, धैर्य से काम लीजिए सर, अल्लाह को यही मंज़ूर था ।''

ज़ख़्मी लाश के पोस्टमार्टम मे अभी बहुत देर थी बूढ़ी लाश को चीर-फाड़ के योग्य नहीं समझा गया, नहीं तो डॉक्टरों को अंदाज़ा होता कि एक मां के सीने में कितने अरमान, कितना दर्द, कितनी इच्छाएं छिपी होती हैं !

सुनसान लॉन में स्ट्रेचर पर मां जी की लाश रखे हुए मैं अस्पताल के पोरटीको में खड़ी हुई एम्बूलेंस की ओर बढ़ रहा था कि असद साहब एक बार फिर सिसकियों के बीच मुझ से लिपट गये । हवा के झोंके से मां जी का चेहरा खुल गया और असद साहब की नज़र उस पर पड़ी ।

अचानक उनके मुंह से निकली एक अनायास चीख़ से मैं आश्चर्यचकित रह गया । अभी मैं अपने आप पर क़ाबू भी नहीं पा सका था कि असद साहब दीवानों की तरह दीवार से अपना सर टकराने लगे ।

मैं उन्हें संभालने लगा ।

''मुझे छोड़ दो अनवर !''

''नहीं सर ।''

''नहीं अनवर मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल चुकी है ।'' ''गुनाह ? कैसे गुनाह सर ?''

मैंने आश्चर्य से पूछा । फिर अचानक असद साहब अपने हाथ जोड़कर मुझ से आग्रह करने लगे कि मैं मां जी की लाश उनके हवाले कर दूं ।

''मगर क्यों सर, इस लाश से आपका क्या संबंध ?''

''क्योंकि यह मेरी मां हैं ।''

मेरा मस्तिष्क धुंआ-धुंआ हो गया और मेरी दृष्टि अपने बॉस पर जम गयी । कुछ क्षण यूं ही बीत गये फिर असद साहब ने कहा–''अनवर आज जब मेरी संतान मुझ से मुंह मोड़ चुकी है तो मुझे एहसास हुआ कि संतान को मां-बाप किस जतन से पालते हैं और संतान का उल्टा रवैया मां-बाप पर क्या प्रभाव छोड़ता है, मुझे माफ़ कर दो अनवर और इस लाश को मेरे हवाले कर दो ।''

''नहीं सर इस लाश का वारिस मैं हूं, आप मां जी को मुझ से नहीं छीन सकते और यह कि सर । यह लाश आपकी मां की नहीं हो सकती ।''

''नहीं अनवर यह मेरी मां ही है ।''

तो फिर सर, मां जी को घर से निकाल कर आपने एक पवित्र रिश्ते का अपमान किया है और ख़ुद को अलग भी कर लिया है । अब आप मां जी को अपनी मां कहने का कोई अधिकार नहीं रखते । मां जी की कोख से आपने जन्म अवश्य लिया है, लेकिन जो रिश्ता ज़िन्दगी में आपने ख़ुद तोड़ दिया वह मौत के बाद कैसे जुड़ सकता है ?

मां जी ने मुझे जन्म नहीं दिया मगर मैं उनका बेटा बन गया । अब मैं ही इनका वारिस हूं ।

''अनवर मुझ पर दया करो ।''

अचानक वे मां जी के पैरों से लिपट गये और सिसकियों और हिचकियों के साथ वहां अपना सर पटकते हुए कहने लगे ।

''मुझे मां को भीख में दे दो अनवर ।''

''नहीं सर मां जेब में पड़ा हुआ सिक्का नहीं होती जो राह चलते भिखारी की झोली में डाल दी जाए । साथ ही मैंने असद साहब को अलग कर दिया और स्ट्रेचर लेकर आगे बढ़ने लगा ।

असद साहब पुकारते रहे, मगर मैंने मुड़कर भी नहीं देखा और मां जी की लाश के साथ आगे बढ़ता गया ।

लेखकों एवं रचनाकारों से

''कान्ति'' में प्रकाशनार्थ जो रचनाएं हमें मिलती हैं, उनकी स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना अथवा रचनाओं की वापसी के लिए अपना पता लिखा लिफ़ाफ़ा डाक टिकट सहित अवश्य भेजें । इसके अभाव में रचनाओं के विषय में हम आपको जानकारी देने में असमर्थ हैं । ध्यान रहे कि पर्याप्त डाक टिकट लगाकर प्रकाशनार्थ सामग्री भेजें, ताकि डाक, बैरंग न हो । आशा है, आपका सहयोग मिलता रहेगा ।

-संपादक

नये छलावे

इसे घटना कहें या एक मार्मिक दुर्घटना । खेल-खेल में दो क़ीमती जानें देखते-देखते चली गयीं । दोष किस को दें ? क्या आज के नये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ? या उनका बिना सोचे-समझे उपयोग करने वालों को ?

एक युवक और महिला का परिचय फेसबुक पर होता है । लगभग अढ़ाई वर्ष के अरसे में यह परिचय प्रगाढ़ हो जाता है । दोनों आमने-सामने मिलने का तय करते हैं । 22 वर्षीय युवक उ०प्र० के अपने नगर से चलकर म०प्र० में महिला के शहर पहुंचता है, जहां उसे यह जानकर तीव्र आघात लगता है कि फेसबुक वाली महिला तो उससे दुगनी आयु की तीन बच्चों की मां है, जिसने फेसबुक पर फ़ोटो किसी और युवती की डाल रखी थी ।

छलावाग्रस्त मनोदशा के क्षणिक आवेश में युवक उस महिला को गोली मार देता है और फिर स्वयं को भी । कैसा करुण अंत–एक छोटी-सी भूल का या एक मज़ाक़ का !

ओमप्रकाश बजाज
बी-2, गगन विहार, गुप्तेश्वर,
जबलपुर (म०प्र०)

सुख-चैन

शहर का जाना-माना डॉ० कमल रस्तोगी बड़े सोच में डूबा था । गाड़ी आने में अभी आधा घंटा शेष था । आज सुबह ही उनकी पत्नी वीना घर छोड़कर चली गयी थी । उसे शिकायत थी कि उसका पति उसे पूरा समय नहीं दे रहा है । कमल के पास सब कुछ था, गाड़ी, बंगला, अच्छा बैंक बैलेंस । आस-पड़ोस के लोग उसे सुखी, संपन्न कहते थे । वीना अक्सर घर छोड़कर चली जाती थी और कमल को उसे लाने के लिए जाना पड़ता था ।

'बाबू, पचास पैसे दे दो, फटी धोती पहने, काली चमड़ी वाली आगे कटोरा बढ़ाये औरत की आवाज़ सुनकर उसके विचार भंग हो गये ।

डॉ० कमल ने कटोरे में पैसे डाल दिये और मन्नत मांगी कि भगवान वीना वापस आ जाए । औरत ने पैसे लिए और आगे बढ़ गयी ।

उसका सहारा लिए उसका अंधा पति भी आगे बढ़ गया । आगे जाकर औरत ने कटोरे से पैसे निकाले और चाय वाले को पकड़ा दिया । चाय वाले ने उसे एक कप चाय पकड़ा दी ।

वह औरत अपने पति को प्लेट में चाय ठंडी करके पिलाने लगी । कमल ने उधर देखा तो उसका दिल जल उठा । कितना सुख-चैन, कितना प्यार, जो उसे उसकी शोहरत और पैसा भी न दे सका । यह भिखारी कितने सुख-चैन के साथ जी रहे हैं ।

कमल के दिल में आया कि वह उन्हें ठोकर मारे और गिरा दे । लेकिन लोक-लाज के भय से वह ऐसा नहीं कर सकता था । वह अपना मुंह छिपाता हुआ एक अंधेरे कोने की ओर चल दिया ।

● राजेश कुमार 'सागर'



● राजेश कुमार 'सागर'

मकतबा अलफहीम मऊ

की नई हिंदी इस्लामी पुस्तकें

मुख्तसर तफसीर अहसनुल बयान	450/=	सुन्नत के मसाइल इकबाल कीलानी	80/=
बुलूगुल मराम	275/=	तौहीद के आंसू इकबाल कीलानी	65/=
नबूवत की किरनें मौ० सफीउर्रहमान मो०	275/=	हमारी दावत किताब व सुन्नत	40/=
हुक़ूक़ुलएबाद सलाहुद्दीन यूसुफ	55/=	चेहरे का पर्दा मुस्तहब या वाजिब	20/=
हुक़ूक़ुल औलाद सलाहुद्दीन यूसुफ	50/=	मुहम्मद(स०) हिन्दू किताबों में	65/=
हुक़ूक़ुज़्ज़ौजैन सलाहुद्दीन यूसुफ	32/=	तावीज़ गंडा की हक़ीक़त	30/=
सैय्यदना अबू बक्र सिद्दीक रज़ि:	28/=	और मैं मर गया	32/=
सैय्यदना उमर फारूक रज़ि:	28/=	मसला उर्स और ग्यारहवीं	30/=
सैय्यदना उसमान गनी रज़ि:	28/=	इस्लाम और इमान के अरकान	80/=
सैय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ि:	28/=	किताबुत्तौहीद	75/=
इस्लाम पर ४० एतेराज़ात और उसके जवाबात	80/=	कुरआन की शीतल छाया	85/=
कुरआन और विज्ञान डा. ज़ाकिर नाइक	50/=	अल्लाह और उसके रसूल की पहचान	50/=
इस्लाम और हिन्दूधर्म में समानताएं	50/=	जादू का इलाज	85/=
क्या कुरआन ईश्वरीय ग्रन्थ है	60/=	कलमा-ए-तौहीद अर्थ, महत्तव, फज़ीलत	28/=
विशेष धर्मों में ईश्वर की कल्पना	28/=	इस्लाम एक नज़र में	50/=
इस्लाम में औरतों के अधिकार	60/=	इस्लाम खालिस क्या है	22/=
इस्लाम आतंकवाद या भाईचारा	50/=	इस्लामी अक़ीदा	22/=
मांसाहार उचित या अनुचित	60/=	इस्लाम क्या है	50/=
जन्नत का बयान इकबाल कीलानी	120/=	मासूरह दुआएं	30/=
जहन्नम का बयान इकबाल कीलानी	130/=	हिसनुल मुसलिम (उच्चारण सहित)	50/=
नमाज़ के मसाइल इकबाल कीलानी	120/=	नमाज़े मोहम्मदी (उच्चारण सहित)	35/=
तौहीद के मसाइल इकबाल कीलानी	120/=	परदा	35/=

आप घर बैठे किताबें VPP डाक द्वारा मँगा सकते हैं। एकाउंट में रक्म ट्रांस्फर करने पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा किताबें भेजने की सुविधा है।

MAKTABA AL-FAHEEM

Raihan Market, 1st Floor, Dhobia Imli Road
Sadar Chowk, Maunath Bhanjan - (U.P.) 275101
Ph.: (O) 0547-2222013, Mob. 9236761926, 9889123129, 9336010224
Email :faheembooks@gmail.com

लोकतंत्र की घुटती आवाज़ !

❖ डॉ॰ मुहम्मद अहमद

क्या हमारे देश से लोकतांत्रिक मूल्यों का जनाज़ा निकलना शुरू हो गया है ? हाल में घटित कुछ घटनाएं निराशाजनक कहानी ही बयान करती हैं । नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री नामित होते ही देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर काले बादल छाना शुरू हो गए हैं । नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ टिप्पणी करने वालों लेखकों, पत्रकारों और रचनाकारों–फेसबुकियों को लगातार धमकाया जा रहा है । आम चुनावों के परिणाम आते ही कन्नड़ के मशहूर साहित्यकार यू॰आर॰ अनंतमूर्ति को डराने-धमकाने की जो हरकतें सामने आयी हैं, वे बेहद चिंताजनक और निंदनीय है । अनंतमूर्ति द्वारा पुलिस से की गई शिकायत के अनुसार उन्हें धमकाने और भला-बुरा कहने वाले फ़ोन आये । मंगलोर के नमो ब्रिगेड और शिमोगा की भाजपा इकाई ने अलग-अलग उन्हें पाकिस्तान जाने का एकतरफ़ा हवाई टिकट कटा कर भेजा है ।

पुलिस ने इस मामले में कोई जांच शुरू नहीं की । कहा गया कि शिकायत मौखिक है, अतः कार्रवाई नहीं हो सकती । पुलिस ने शिकायत को क़लमबंद करने का कष्ट भी नहीं उठाया । अनंतमूर्ति कन्नड़ भाषा के ही नहीं, भारतीय साहित्य के महान साहित्यकारों में से एक हैं । अपने उपन्यास 'संस्कार' में उन्होंने धर्म की रूढ़िवादिता के और प्रगतिशील सोच के द्वंद्व को काफ़ी सशक्त रूप से व्यक्त किया है ।

पुलिस ने इस मामले में कोई जांच शुरू नहीं की । कहा गया कि शिकायत मौखिक है, अतः कार्रवाई नहीं हो सकती । पुलिस ने शिकायत को क़लमबंद करने का कष्ट भी नहीं उठाया । अनंतमूर्ति कन्नड़ भाषा के ही नहीं, भारतीय साहित्य के महान साहित्यकारों में से एक हैं । अपने उपन्यास 'संस्कार' में उन्होंने धर्म की रूढ़िवादिता के और प्रगतिशील सोच के द्वंद्व को काफ़ी सशक्त रूप से व्यक्त किया है । यू॰आर॰ अनंतमूर्ति को भारत का एक प्रतिनिधि लेखक कहा जा सकता है । उनकी रचनाओं के अनुवाद हिंदी, बंगला, मराठी, मलयालम, गुजराती आदि अनेक भारतीय भाषाओं सहित अंग्रेज़ी, रूसी, फ्रेंच, हंगेरियन आदि अनेक विदेशी भाषाओं में भी प्रचुर मात्रा में हुए हैं । उनकी अनेक रचनाओं पर बहुचर्चित फ़िल्में बनी हैं, नाट्य प्रस्तुतियां खेली गयी हैं ।

वह दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में विजिट प्रोफ़ेसर रहे हैं । साहित्य के अनेक अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में हिस्सेदारी की है । हिंदी पाठकों में भी समान रूप से लोकप्रिय अनंतमूर्ति 'नेशनल बुक ट्रस्ट' नयी दिल्ली के चेयरमैन और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं । एक अन्य घटना में एम॰एम॰एस॰ भेजने के आरोप में बेंगलुरु के 25 वर्षीय एमबीए के छात्र वक़्क़ास बरमावर को विगत 26 मई को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है । कोस्टल कर्नाटक के भटकल से आम आदमी पार्टी के इस कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोटी पर आपत्तिजनक एम॰एम॰एस॰ सर्कुलेट करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है ।

भटकल के मशहूर उर्दू कवि समीउल्लाह बरमावर के बेटे वक्कास बरमावर को चार दोस्तों के साथ बेंगलुरु में एक अपार्टमेंट से सिटी पुलिस के सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने गिरफ़्तार किया । वक्कास के चारों दास्तों को पुलिस ने कुछ देर पूछताछ के बाद छोड़ दिया । वक्कास पुलिस हिरासत में ही हैं । पुलिस सूत्रों के मुताबिक़ वक्कास को बेलगाम के ख़ानपुर में पूछताछ के लिए ले जाया गया है । वक़्क़ास ने एम॰एम॰एस॰ में एक अज्ञात शव में नरेंद्र मोदी का फेस जोड़कर भाजपा के इलेक्शन स्लोगन 'अब की बार मोदी सरकार' की तर्ज़ पर लिखा था–'अब की बार अंतिम संस्कार ।' आरोप है कि यह एमएमएस कुछ वॉट्सऐप ग्रुप पर भेजा जा रहा था, जिसे आम आदमी पार्टी के एक्टिविस्ट

हैंडल करते हैं । सूत्रों के मुताक़ि ग़लती से यह एमएमएस बेलगाम में एक बीजेपी समर्थक के पास चला गया और उसने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करा दी ।

पुलिस ने इस मामले में गिरफ़्तारी की पुष्टि की है । गिरफ़्तारी से उत्तर कन्नड़ ज़िले के भटकल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गुस्से में हैं । इनका कहना है कि इमेज राजनीति व्यंग्य के रूप थी । आप के टिकट पर उत्तर कन्नड़ ज़िले से चुनाव लड़ने वाले राघवेंद्र थाणे ने कहा है कि हमलोग राज्य स्तर पर इसके ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन करेंगे । भाजपा की तरफ़ चुनावी कैंपेन के दौरान भी हम लोग टारगेट किए गए । उन्होंने कहा कि भटकल में आप के मुस्लिम कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है । फेसबुक पर टिप्पणी करनेवाले गोवा के एक अन्य युवक देवू वोडानकर के बारे में कहा जाता है कि उसे जल्द ही गिरफ़्तार किया जा सकता है । उसने फेसबुक पर लिखा था कि अगर मोदी सरकार बनी तो दक्षिण गोवा में ईसाई अपनी पहचान खो देंगे । इस टिप्पणी के बाद गोवा पुलिस ने देवू के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया । गोवा क्राइम ब्रांच देवू की तलाश में अलग-अलग छापेमारी कर रही है । स्थानीय अदालत ने उसकी अग्रिम. ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी है । पुलिस का कहना है कि युवक को हिरासत में लेना ज़रूरी है, ताकि उसके इ रादे के बारे में जाना जा सके। शिकायतकर्ता के मुताबिक़ देवू ने 23 मार्च को 2014 को लिखा था कि मोदी के आने पर विध्वंस भी हो सकता है । लेकिन इस लेकिन इस टिप्पणी को देवू ने हटा लिया । पुलिस ने देवू के ख़िलाफ़ आई॰पी॰सी॰ की धारा 153 ए, 295 ए और 125 के तहत मामला दर्ज किया है । गोवा के पुलिस महानिदेशक टी मोहन ने कहा है कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी । गोवा हाईकोर्ट से देवू की अग्रिम ज़मानत लेने के प्रयास किए जा रहे हैं । कई सामाजिक संगठन पुलिस कार्रवाई के ख़िलाफ़ हैं । उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन भी किया है । एक दूसरी घटना ट्विटर पर घटी । अभिनेत्री स्वरा भास्कर को नरेंद्र मोदी की जीत के ख़िलाफ़ ट्विटर पर किए कमेंट पर न केवल मोदी समर्थकों के गुस्से का सामना करना पड़ा, बल्कि अपने एकाउंट पर एब्यूजिंग लैंग्वेज से भी गुज़रना पड़ा । स्वरा ने मोदी की जीत पर निशाना साधते हुए गुजरात दंगों का ज़िक्र करते हुए ट्विट किया था, जिसके तुरंत बाद ही मोदी समर्थकों के निशाने पर आ गईं और उनके ट्विटर पेज पर भद्दे और आपत्तिनजक ट्विट की बाढ़ आ गयी । इतना ही नहीं, कुछ ने तो उन पर पर्सनली कमेंट भी कर डाले । फ़िल्मकार श्याम बेनेगल के टीवी सीरियल 'संविधान : मेकिंग ऑफ दि इंडियन कान्सटीट्यशन' में भी नज़र आ चुकी स्वरा अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर बहुत चिंचित हैं, जो स्वाभाविक है ।

एक और विशेष छूट

'साप्ताहिक कान्ति', 'कान्ति मासिक', 'सेहरोज़ा दावत' और **मासिक 'ज़िन्दगी-ए-नव'** दावत ट्रस्ट के तहत प्रकाशित होते हैं जिनकी संयुक्त वार्षिक सहयोग राशि 1290/- रुपये होती है । यदि कोई व्यक्ति अपने या अपने सगे-संबंधियों व परिजनों के लिए चारों पत्र / पत्रिकाएं एक साथ एक वर्ष के लिए एक पते पर या एक से अधिक पते पर जारी करवाना चाहें तो केवल 1000/- (एक हज़ार) रुपये एकमुश्त भेजकर जारी करवा सकते हैं ।

पत्राचार और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें-

मैनेजर, दावत ट्रस्ट

डी-314, दावतनगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव,
जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025
Tel. : Dawat : 011-26949539, 09818799113
Kanti : 011-26949430, 09818799223
Zindagi : 09818799113, Fax : 011-26958816
Email : managerdawat@gmail.com

ऑन लाइन ट्राज़ैक्शन के लिए

DAWAT TRUST, A/C No. 990839004
INDIAN BANK, BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA, NEW DELHI
IFS CODE : IDIB000J029

DAWAT TRUST A/C No. 3037555110
CENTRAL BANK OF INDIA, BRANCH:SUKHDEV VIHAR
IFS Code: CBIN 0282953

नोट : ऑन लाइन ट्रांज़ैक्शन के बाद इदारे को सूचित कर दें ।

ग़ज़लें

(1)

दिल अभी तक जवान है प्यारे
किस मुसीबत में जान है प्यारे

तू मेरे हाल का ख़याल न कर
इसमें भी एक शान है प्यारे

रात कम है न छेड़ हिज्र की बात
ये बड़ी दास्तान है प्यारे

तल्ख़ कर दी है ज़िन्दगी जिसने
कितनी मीठी ज़बान है प्यारे

कब किया मैंने इश्क़ का दावा
तेरा अपना गुमान है प्यारे

मैं तुझे बेवफ़ा नहीं कहता
दुश्मनों का बयान है प्यारे

तेरे कूचे में है सुकूं, वर्ना
हर ज़मीं आसमान है प्यारे ।

● 'हफ़ीज़' जालंधरी

(2)

वही टूटा हुआ दर्पण बराबर याद आता है
उदासी और आंसू का स्वयंवर याद आता है

कभी जब जगमगाते दीप गंगा पर टहलते हैं
किसी सुकुमार सपने का मुक़द्दर याद आता है

महल से जब सवालों के सही उत्तर नहीं मिलते
मुझे वह गांव का भीगा हुआ घर याद आता है

समन्दर के किनारे चांदनी में बैठ जाता हूं
उभरते शोर में डूबा हुआ स्वर याद आता है

कभी जब साफ़नीयत आदमी की बात चलती है
वही 'त्यागी' बड़ा बदनाम अक्सर याद आता है ।

● रामावतार त्यागी

इस्लामिक सेन्टर वेल्लोर व मदुरई की सरगर्मियां

"और वे थोड़ा या ज़्यादा जो कुछ भी ख़र्च करें या (अल्लाह के मार्ग में) कोई घाटी पार करें, उनके हक़ में अनिवार्यत: लिख लिया जाता है, ताकि अल्लाह उन्हें उनके अच्छे कर्मों का बदला प्रदान करे। यह तो नहीं कि ईमान वाले सबके सब निकल खड़े हों, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उनके हर गिरोह में से कुछ लोग निकलते, ताकि वे धर्म में समझ प्राप्त करते और ताकि वे अपने लोगों को सचेत करते, जब वे उनकी ओर लौटते, ताकि वे (बुरे कर्मों से) बचते ?" (क़ुरआन, 9:121-122)

वेल्लोर

1. सेमाही दीनियात कोर्स, मर्दों व औरतों के लिए, रहने व खाने-पीने की सहूलतों के साथ।
2. शोबा-ए ख़यातो।
3. कुल्लियतुल मआरिफ़-तीन वर्षीय आलिमा कोर्स (केवल लड़कियों के लिए, रहने व खाने-पीने की सहूलतों के साथ।
4. साल में एक बार कुल्लिया की छात्राओं के लिए देहातों में दावा प्रैक्टिकल क्लाए।
5. साल में एक बार लड़कियों के लिए 15 दिवसीय समर इस्लामिक कोर्स।
6. पोस्टल लाइब्रेरी।
7. दफ़्तर इन्तिज़ामिया।

मदुरई

1. नव-मुस्लिमों के लिए मदुरई में होस्टल की सुविधा के साथ उच्च एवं प्रोफ़ेशनल शिक्षा की व्यवस्था।
2. लड़कों के लिए 15 दिवसीय समर इस्लामिक कोर्स।
3. दक्षिणी तमिलनाडु के ज़िलों में दाई हज़रात की सेवाएं।
4. मस्जिदों व मक्तबों की व्यवस्था मस्जिद के इमामों की निगरानी में।

सेमाही दीनियात कोर्स

नव-मुस्लिमों की तालीमो-तर्बियत के लिए 1980 में क़ायम किया गये पहले मर्कज़ "अल-मर्कज़ अल-इस्लामी" से फ़ारिग़-

पुरुषों की संख्या	-4961	महिलाओं की संख्या	-2968
	कुल -7929		

नव-मुस्लिमों के पाठ्यक्रम में अक़ीदे, इबादात, तिहारत, दुआएं, सूरतों के हिफ़्ज़ के अलावा क़ुरआन नाज़िरा भी शामिल हैं।

कुल्लियतुल मआरिफ़

(तीन साला आलिमा कोर्स महिलाओं के लिए)

कुल्लियतुल मआरिफ़ की स्थापना 2001 ई० में हुई। अब तक 12 ग्रुप की 43 लड़कियां आलिमा कोर्स पूरा करने के बाद मदर्सों, स्कूलों और देहातों में शिक्षिका और दाइया की सेवाएं अंजाम दे रही हैं। तीन साला कोर्स के लिए पाठ्यक्रम तफ़्सीरे क़ुरआन (मुन्तख़ब सूरतें, मजमूआ-ए हदीस, सीरते नबवी सल्ल०, फ़िक़्ह और अरबी ज़ुबान शामिल हैं।

देहातों में मस्जिदें

नव-मुस्लिम आबादियों में मुस्तक़िल तालीमो-तर्बियत, मदर्से और रोज़मर्रा की समस्याओं के हल के लिए

'सेन्टर'

ने मदुरई और रामनाथ ज़िलों में 25 मस्जिदों का निर्माण करवाया है और उसके इन्तिज़ाम की पूरी ज़िम्मेदारी भी ले रखी है । कुछ मस्जिदें तो ख़ुद कफ़ील हो गयी हैं, लेकिन 18 मस्जिदों के इमामों के वेतन, मस्जिदों की देखभाल और देहातों में नव-मुस्लिम परिवारों की रहनुमाई की जा रही है ।

नव-मुस्लिमों की उच्च शिक्षा

1986 से नव-मुस्लिमों की आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए इस्लामिक सेन्टर वेल्लोर ने नवजवानों की उच्च एवं प्रोफ़ेशनल शिक्षा की पूरी ज़िम्मेदारी ले रखी है । साइंस, इंजीनियरिंग व तकनीकी शिक्षा की फ़ीस के अलावा उनके रहने और खाने-पीने की व्यवस्था स्टूडेंट होस्टल, मदुरई में की गयी है ।

ये तमाम सेवाएं मिल्लत के साहबे ख़ैर हज़रात के सहयोग से ही अंजाम पा रही हैं । आप से अतियात, सदक़ात और ज़कात से सहयोग की पुरख़ुलूस दरख़ास्त है । मनी आर्डर व ड्राफ़्ट इस्लामिक सेन्टर, वेल्लोर के नाम निम्नलिखित पते पर भिजवाए जा सकते हैं ।

ए॰ शब्बीर अहमद
सदर

सी॰ तुफ़ैल अहमद
जनरल सेक्रेट्री

इस्लामिक सेन्टर, वेल्लोर

19/4, मदार साहब गली, आर॰एन॰ पालम, वेल्लोर-632001, तमिलनाडु

फ़ोन : 0416-2221825

ईमेल : icvellore@gmail.com

ऑन लाईन से रक़म भिजवाने वाले हज़रात icvellore@gmail.com या SMS के ज़रिया 095001 90520 पर सूचित कर दें ।

ज़कात का महत्व

■ मुहम्मद मक़सूद आलम रशादी

ज़कात इस्लाम के रुकनों में से एक स्तम्भ है और नमाज़ रोज़े की तरह फ़र्ज़ है । यह उन पर अनिवार्य है, जो ज़कात देने की सामर्थ्य रखते हैं । शारीरिक इबादतों में जिस तरह नमाज़ और रोज़े की ताकीद कुरआन और हदीसों में बार-बार आयी है, उसी तरह आर्थिक इबादतों में ज़कात का आदेश बार-बार आया है । पवित्र कुरआन में कई जगहों में मौजूद है–

"नमाज़ क़ायम करो और ज़कात दो । तुम अपने पारलौकिक जीवन के लिए जो भलाई कमाकर आगे भेजोगे, अल्लाह के यहां उसे मौजूद पाओगे । जो कुछ तुम करते हो, वह सब अल्लाह की नज़र में है ।"

(कुरआन, 2 : 110)

एक दूसरी जगह अल्लाह तआला ज़कात के सिलसिले में पवित्र कुरआन मजीद में फ़रमाता है–

"जो लोग ईमान ले आयें और अच्छे कर्म करें और नमाज़ क़ायम करें और ज़कात दें, उनका बदला बेशक उनके रब के पास है और उनके लिए किसी ख़ौफ़ व रंज का मौक़ा नहीं ।" (कुरआन, 2 : 277)

"जो लोग अपने माल अल्लाह के मार्ग में ख़र्च करते हैं, उनके ख़र्च की मिसाल ऐसी है, जैसे एक दाना बोया जाए और उससे सात बालें निकलें और हर बाल में सौ दाने हों । इसी तरह अल्लाह जिसके कर्म को चाहता है, बढ़ोत्तरी प्रदान करता है ।" (कुरआन, 2 : 261)

रमज़ान मुबारक इबादत, तिलावत, रोज़ों व नमाज़ों की अदायगी का महीना है, अगर ग़रीब व निर्धन को ज़कात पहुंच गयी तो वह भी अपनी मेहनत, मज़दूरी कम करके ज़कात की रक़म के सहारे वह भी रमज़ान की मुबारक क्षणों से लाभ उठा सकता है, और कुछ इबादत के ज़रिए नेकियां कमाना चाहे, तो कमा भी सकता है, अन्यथा हर महीने की तरह इस पवित्र महीने में भी वह मेहनत, मज़दूरी करे, परेशानियां उठाये और रात को थक-हार कर सो जाये, तो यह धनी मुसलमानों के लिए लज्जा की बात होगी ।

सदक़ा-ए-फ़ित्र (निर्धारित अन्न या धन का दान के बारे में लिखा गया है कि–

"सदक़ाए-ए-फ़ित्र के वाजिब किये जाने के पीछे दो कारण बयान किये गये हैं । एक, यह कि जो रोज़ेदार के रोज़े में जो कमियां व ख़ामियां रह जाती हैं, उनको पाक कर देना और छोटी-छोटी गलतियां माफ़ कर दी जाती हैं । दूसरा कारण यह है कि ग़रीब व निर्धन ईद के दिन खुशियां मनाने में सम्मिलित हो सकते हैं और वे भी दूसरे मुसलमानों के कंधे से कंधे मिंलाकर ईद की खुशियां मनाने में शरीक हो सकते हैं । यही मुसलमानों के सामूहिक जीवन का राज़ और अन्दाज़ है ।

अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने भी ज़कात अदा करने की बेहद ताकीद फ़रमायी है–आप (सल्ल०) ने कहा, "अल्लाह ने ज़कात केवल इसलिए अनिवार्य किया है कि ज़कात अदा करने के बाद तुम्हारे पास जो माल बच जाये वह उसको पाक कर दे ।"

(हदीस : अबू-दाऊद)

इससे मालूम हुआ कि ज़कात अदा करने से आदमी का सारा माल पाक हो जाता है । आप (सल्ल०) कहते हैं कि मेरे पास उहद पहाड़ के बराबर सोना हो, तो मैं चहूंगा कि तीन दिन में सब दान कर दूं ।

एक बार आप (सल्ल०) ने हज़रत बिलाल (रज़ि०) से फ़रमाया, ख़र्च करो अर्श के मालिक से कमी की आशंका न करो, अर्थात अल्लाह की राह में ख़र्च करने से कमी नहीं होती । आप (सल्ल०) ने फ़रमाया–

"ज़कात अदा न करने से माल नष्ट हो जाता है, जो लोग साहिबे निसाब (सार्मथ्यवान) हों, ज़कात अदा नहीं करते, क़ियामत के दिन आग की तख़्तियां बनायी जाएंगी और जहन्नम (नरक) की आग में उसको गरम करके फिर उनके दोनों पहलू पीठ और माथे को दाग़ा जाएगा ।"

(हदीस : मिश्कात)

एक दूसरी जगह आप (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया– "जिन लोगों को अल्लाह ने धन-दौलत दिया है और उसकी ज़कात नहीं देते, तो क़ियामत के दिन उनका यह माल एक बहुत ही ज़हरीले अजगर सांप के रूप में प्रकट होगा और उनकी गर्दन में लिपट जाएगा और उनके दोनों जबड़ों को नोचेगा और कहेगा, मैं तेरा माल और मैं तेरा ख़ज़ाना हूं।"

(हदीस : बुख़ारी)

कुरआन व हदीसों के अध्ययन से यह बात खुलकर स्पष्ट हो जाती है कि धन का स्वामी अल्लाह तआला है। कुरआन में है, 'और उन्हें उस माल में से दो, जो अल्लाह का है, जो तुम्हें प्रदान किया गया है।" इस्लाम की नज़र में इन्सान के पास जो माल है उसका वह स्वामी है वह निजी अधिकार से सांसारिक धन-दौलत को एकत्र करने का अधिकारी है।

सारे संसाधनों की बागडोर अल्लाह तआला के हाथ में है। वह जिसे चाहता है धन-दौलत प्रदान करता है और जिसको चाहे कंगाल कर देता है, यह उसकी मर्ज़ी है। उसकी इच्छा के बिना न कोई धनवान बन सकता है और न किसी से उसका माल छीन सकता है। कुरआन में है–

"अल्लाह जिस रहमत का दरवाज़ा भी लोगों के लिए खोल दे उसे कोई रोकने वाला नहीं और जिसे वह बन्द कर दे उसे अल्लाह के बाद फिर कोई दूसरा खोलने वाला नहीं। वह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है।"

(कुरआन, 35 : 2)

हज़रत अस्मा (रज़ि०) का बयान है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने मुझे सम्बोधित करते हुए फ़रमाया–

"अल्लाह की राह में ख़र्च करते रहो और गिन-गिन कर मत रखना अन्यथा अल्लाह तआला भी तुझे गिन-गिन कर देगा (अर्थात माल में बरकत न होगी) और माल को बन्द करके मत रखना वरना अल्लाह तआला भी अपनी बख़्शीश रोक देगा, जहां तक हो सके थोड़ा-बहुत ज़रूरतमन्दों पर ख़र्च करती रहो।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन आलीस (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि०) से किसी ने पूछा कि क्या आप अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के साथ ईद के अवसर पर हाज़िर रहे हैं ? उन्होंने उत्तर दिया कि 'हां'। मैं आप (सल्ल०) के साथ ईद में मौजूद था। आप (सल्ल०) ने ईद की नमाज़ पढ़ायी, उसके बाद ख़ुत्बा दिया, फिर औरतों के पास तशरीफ़ लाये और उनको नसीहत फ़रमायी और आख़िरत की बातें याद दिलायीं और सदक़े का आदेश दिया। उस अवसर पर आप (सल्ल०) के साथ हज़रत बिलाल (रज़ि०) भी आये थे। उन्होंने अपना कपड़ा फैला दिया और औरतें उनके कपड़े में अपने-अपने आभूषण उतार-उतार कर फेंकती रहीं, उन ज़ेवरों में मोटी-मोटी अंगूठियां भी थीं। इसके बाद आप (सल्ल०), हज़रत बिलाल (रज़ि०) को अपने साथ लेकर अपने घर पर तशरीफ़ ले गये। ज़ेवर का मालिक अगर मर्द है तो वह ज़कात दे और औरत मालिक है, तो औरत को उसकी ज़कात देनी चाहिए। अगर औरतों ने महर की रक़म से ज़ेवर बनवाया हो, तो उस ज़ेवर की ज़कात भी औरत पर ही वाजिब होगी।

ज़कात को पैग़म्बरे इस्लाम (सल्ल०) ने इस्लाम का बहुत बड़ा और मज़बूत पुल बताया है, जिसके द्वारा इस्लाम की सच्चाई तक या अल्लाह तआला के दरबार तक पहुंचा जा सकता है। आप (सल्ल०) ने फ़रमाया कि जो व्यक्ति अपने माल की ज़कात अदा कर दे, उसका माल बुराई से पाक हो जाता है।

एक बार आप (सल्ल०) की सेवा में दो औरतें आयीं, जिनके हाथों में सोने के कंगन थे। आप (सल्ल०) ने उनसे पूछा कि इनकी ज़कात दे दी है ? बोलीं, 'नहीं'! आप (सल्ल०) ने फ़रमाया कि तुम लोगों को यह पसन्द है कि इसके बदले में तुम्हें आग के कंगन पहनाये जाएं ? बोलीं, 'नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! आप (सल्ल०) ने फ़रमाया कि इसकी ज़कात दिया करो।"

(हदीस : तिरमिज़ी)

ज़कात अल्लाह का हक़ भी है और बन्दों का भी। अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने हज़रत मआज़ (रज़ि०) को यमन भेजने के बाद फ़रमाया, कि ज़कात का एक उद्देश्य बेसहारा अल्लाह के बन्दों की मदद है, दूसरे यह अल्लाह का निर्धारण किया हुआ कर्तव्य है, इसलिए अल्लाह का हक़ हुआ। ज़कात अदा करने से अल्लाह का आदेश पूरा होता है। और पारलौकिक जीवन में भी इसके लाभ हैं और

सांसारिक जीवन में भी ।

यह अल्लाह का एहसान व उपकार है कि मुस्लिम समुदाय के लिए यह आदेश दिया कि अपने माल का जो सदक़ा या ज़कात तुम निकालते हो, वह उम्मत के ज़रूरतमन्द लोगों पर ख़र्च किया जा सकता है ।

कुरआन में है–

''ये सदक़े तो वास्तव में फ़क़ीरों और मुहतजों के लिए हैं और उन लोगों के लिए जो सदक़ों के काम पर नियुक्त हों, और उनके लिए जिनका दिल मोहना (तालीफ़े-क़ल्ब) अभीष्ट हो और यह गर्दनों को छुड़ाने और क़र्जदारों की मदद करने में और अल्लाह के मार्ग में और मुसाफ़िरों की सहायता में इस्तेमाल करने के लिए हैं । यह एक अनिवार्य पालनीय आदेश है अल्लाह की ओर से और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और गहरी सूझ-बूझ वाला है ।''

(कुरआन, 9 : 6)

ज़कात के बारे में नबी करीम (सल्ल०) ने कहा, ''मालदारों से वसूल करके ग़रीबों में बांट दियां जाएगा ।'' (हदीस : मिश्कात) इस आदेश से माल की ज़कात निकालना आसान हो गया कि हमारे ही ज़रूरतमन्द वे मुहताज भाइयों में हम माल ख़र्च करते हैं, जबकि पिछली उम्मतों में आदेश यह था कि सदक़ा या क़ुरबानी पहाड़ के ऊपर रख दिया जाता और अगर आसमान से आग आकर जला देती, तो वह सदक़ा या क़ुरबानी क़ुबूल होती और आग आकर न जलाती, तो मान लिया जाता था कि वह सदक़ा या क़ुरबानी अल्लाह तआला ने स्वीकार न की है । किसी ज़रूरतमन्द भाई को देना अल्लाह तआला को देने के बराबर है । अल्लाह के निर्धन बन्दों पर ख़र्च करना या उनकी ज़रूरतों को पूरा करना अल्लाह तआला की ज़रूरतों को पूरा करना है, जबकि अल्लाह तआला हर ज़रूरत से पाक है ।

पिछली उम्मतों में रोज़े की तरह ज़कात भी पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ थी । पिछली शरीअतों में भी ज़कात इस्लामी धर्मशास्त्र के अनुसार थी, अत: कुरआन में हज़रत इबराहीम (अलैहि०) का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया गया है–

''और हमने उन्हें प्रकाशना के द्वारा नेक कामों का और नमाज़ क़ायम करने और ज़कात देने का आदेश दिया, और वे हमारे उपासक थे ।'' (कुरआन, 21 : 73)

इसी तरह हज़रत इस्माईल (अलैहि०) के सम्बन्ध में फ़रमाया–

''वह अपने घरवालों को नमाज़ व ज़कात का हुक्म देता था और अपने रब की दृष्टि में एक पसन्दीदा इन्सान था ।''

(कुरआन, 19 : 55)

इन आयतों से विदित होता है कि पिछली शरीअतों में भी ज़कात का आदेश मौजूद था, इस्लाम ने ज़कात के आदेश को बाक़ी रखा और उसको बाक़ायदा एक शक्ल दी है ।

ज़कात की अनिवार्यता के बारे में एक कथन के अनुसार ज़कात की अनिवार्यता मक्का में हो चुकी थी। कुरआन में है–

''नमाज़ क़ायम करो, ज़कात दो' और अल्लाह को अच्छा क़र्ज़ देते रहो ।'' (कुरआन, 73 : 20)

मशहूर और विश्वसनीय कथन यह है कि ज़कात की अनिर्वायता दो हिजरी में हुयी । इसी लिए कुछ उलमा फ़रमाते हैं कि यद्यपि यह सूरह मुज़्ज़म्मिल मक्की है, मगर यह आख़िरी आयत मदनी है । लेकिन सूरह, मोमिनून, कुरआन की प्रारम्भिक आयत ' जो अपनी नमाज़ में विनम्रता अपनाते हैं, व्यर्थ बातों से दूर रहते हैं (ज़कात) की नीति पर चलते हैं ।' (कुरआन, 23 : 2-4)

'जो नमाज़ क़ायम करते हैं ज़कात देते हैं और अख़िरत (परलोक) पर विश्वास रखते हैं ।' (कुरआन, 31 : 4) में भी ज़कात का आदेश मौजूद है । जबकि ये दोनों सूरतें मक्की हैं ।

इन आयतों के सम्बन्ध में भी यही कहा गया कि ये मदनी हैं, बाक़ी आयत मक्का में नाज़िल हुयीं । इस सिलसिले में अल्लामा इब्ने कसीर (रह०) की राय बहुत मुनासिब है कि शायद ज़कात ही मक्का में इस्लाम के प्रारम्भिक काल ही में फ़र्ज़ हो गयी हो, मगर उसके निसाब और मिक़दार वाजिब (मात्रा निर्धारण) का विवरण मदीना में हिजरत के दूसरे वर्ष में बयान किया गया हो ।

इस्लाम के प्रारम्भिक काल में सहाबा किराम (रज़ि०)

अपनी ज़कात लाकर आप (सल्ल०) की सेवा में आर्पित कर देते थे । आपके मुबारक दिल से सहसा उनके लिए दुआएं निकलती थीं । अत: आप (सल्ल०) की दुआएं प्राप्त करने के लिए आप (सल्ल०) के सहाबा (रज़ि०) ज़कात की रक़म लाकर आपकी ख़िदमत में देते हैं, एक-दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करते थे । ऐसे ही लोगों से सम्बन्धित कुरआन की यह आयत नाज़िल हुयी–

"और इन्हीं बद्दुओं में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह और अन्तिम दिन पर ईमान रखते हैं और जो कुछ ख़र्च करते हैं उसे अल्लाह के यहां निकटता का और रसूल की तरफ़ से रहमत की दुआएं लेने का साधन बनाते हैं ।"
(कुरआन, 9 : 99)

ज़कात की यह रक़म ग़रीब मुहाजिरीन सहाबा (रज़ि०) के ज़रूरियात ज़िन्दगी के लिए महत्व रखती थी । मालदार सहाबा (रज़ि०) सदक़ा, ज़कात से स्वयं भी ग़रीब सहाबा (रज़ि०) की सहायता किया करते थे । उस वक़्त तक ज़कात की वसूली का बाक़ायदा निज़ाम नहीं बना था, यहां तक कि 9 हिजरी में यह आयत नाज़िल हुयी–

"ऐ नबी, तुम उनके मालों में से सदक़ा लेकर उन्हें पाक करो और (नेकी की राह में) उन्हें बढ़ाओ और उनके हक़ में रहमत की दुआ करो क्योंकि तुम्हारी दुआ उनके लिए शान्ति और सुकून का कारण होगी, अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है ।" (कुरआन, 9 : 103)

माल की बुराई ज़कात से दूर हो जाती है, इसलिए माल को कुरआन मजीद में फ़ितना कहा गया है । यह केवल बुराई नहीं है, बल्कि हर चीज़ में भलाई का पहलू भी होता है और बुराई का भी । माल में भलाई भी है, इसी लिए इसको कुरआन, मजीद में 'ख़ैर' (भलाई क़ायम) शब्द से भी याद किया गया है–

"और वह माल और धन के मोह में बुरी तरह जकड़ा हुआ है ।" (कुरआन, 100 : 8)

इस आयत में 'ख़ैर' से अभिप्राय माल ही है, तो माल में जो बुराई है उससे बचने की लिए अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने कहा कि जो व्यक्ति माल की ज़कात अदा कर दे, तो उसके माल की बुराई उससे दूर हो जाती है ।

कुरआन मजीद में है–

"ऐ ईमान लाने वालो, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ ।" कुरआन, 2 : 208) पूरे मुसलमान बनना और पूरी तरह इस्लाम में दाख़िल होना, यह पूरी तरह इस्लाम के कर्तव्यों को पूरा करने से ही होगा । हज़रत अल्क़मा (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि जब हमारी जमाअत आप (सल्ल०) की ख़िमत में हाज़िर हुई, तो आप (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया कि तुम्हारे इस्लाम की पूर्ति इसमें है कि मालों की ज़कात अदा करो ।

ज़ाहिर है कि यह इस्लाम का एक सतम्भ है । जब तक इसका पूरा लिहाज़ न किया जाये, इस्लाम की पूर्ति कैसे होगी ? इसको हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि०) ने इस तरह फ़रमाया कि हमें नमाज़ क़ायम करने और ज़कात देने का आदेश दिया गया है । अत: जो व्यक्ति नमाज़ तो पढ़ ले और ज़कात न दे तो, उसकी नमाज़ का भी ऐतबार नहीं है और उसकी नमाज़ भी क़ुबूल नहीं अर्थात जो पुण्य व नेकी अल्लाह तआला के यहां से मिलती है, वह भी नहीं मिलेगी ।

अत: फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, इसी लिए एक हदीस में आप (सल्ल०) ने फ़रमाया कि जो व्यक्ति ज़कात अदा न करे वह पूर्ण मुसलमान नहीं । उसको इसके सत्कर्म का लाभ नहीं मिलेगा । जब अल्लाह तआला ने बार-बार नमाज़ को ज़कात के साथ मिलाकर बयान किया हैं और जमा किया है तो उसे अलग न करो । अलग करने से अभिप्राय यह है कि नमाज़ तो पढ़ ली जाये और ज़कात अदा न की जाये ।

ज़कात के निसाब से तात्पर्य यह है कि सोना, चांदी धन-दौलत और सामान की वह मात्रा जिस पर ज़कात वाजिब होती है, उसको शरीअत में निसाब कहते हैं और जिसके पास यह मिक़दार (मात्रा) होती है उसको शरीअत में साहिबे निसाब कहा जाता है । किसी के पास 52 ½ तोले चांदी और 7 ½ तोला सोना हो, तो उस पर ज़कात वाजिब होगी और उसको उसका चालीसवां हिस्सा निकालना होगा । जिस व्यक्ति के पास इतना माल न होगा, उस पर ज़कात वाजिब न होगी ।

अनुवाद : **इरशाद आज़मी**

हमारी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें

इस्लाम एक सामान्य परिचय	—शैख़ अली तंतावी	90.00
इस्लाम एक स्वयंसिद्ध ईश्वरीय जीवन व्यवस्था	—राजेन्द्र नारायण लाल	25.00
प्यारे नबी की पाक ज़िन्दगी	—एजाज़ुल हक़ क़ुद्दूसी	30.00
इतिहास के साथ यह अन्याय	—बी॰ एन॰ पाण्डे	7.00
मेरे दावती तजुर्बात (प्रथम)	—नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	25.00
ग़लत फ़हमियों का निवारण	—डॉ॰ ज़ाकिर नाइक	25.00
क़ुरआन और हम मुसलमान	—नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	15.00
क़ुरआन का पैग़ाम	—ख़ुर्रम मुराद	10.00
क़ुरआन पर अनुचित आक्षेप	—नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	15.00
हमें ख़ुदा कैसे मिला?	—अब्दुल ग़नी फ़ारूक़	100.00
इस्लाम आतंक या आदर्श?	—स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य	40.00
इस्लाम और इनसान (1-6)	—डॉ॰ सैयद शाहिद अली	84.00
दलित समस्या जड़ में कौन?	—इन्तिज़ार नईम	140.00
हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) और भारतीय धर्म-ग्रंथ	—डॉ॰ एम॰ ए॰ श्रीवास्तव	18.00
इस्लामी सभ्यता	—मुंशी प्रेम चन्द्र	5.00
क़ुरआन पुकारता है "ऐ लोगो..."	—मुहम्मद ज़ैनुल आबिदीन मंसूरी	12.00
आधुनिक नारी	—नुज़हत यासमीन	10.00
इस्लाम एक मात्र रास्ता	—मुहम्मद ज़ैनुल आबिदीन मंसूरी	12.00
शैतानी धोखे के विभिन्न रूप	—डॉ॰ सैयद शाहिद अली	40.00

हमारी सभी पुस्तकें मर्कज़ी मक्तबा इस्लामी पब्लिशर्स से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

MADHUR SANDESH SANGAM

E-20, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025
E-mail : madhursandeshsangam@yahoo.co.in, Ph. : 9212356332

विशेष प्रकार का दान है ज़कात

❖ डॉ॰ मुहम्मद ज़ियाउर्रहमान आज़मी

'ज़कात' अरबी भाषा का शब्द है । यह एक विशेष प्रकार के दान का नाम है । इसमें बढ़ोत्तरी और पवित्र करने के दोनों अर्थ निहित हैं अर्थात ज़कात देने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है । परन्तु हम इसका एहसास नहीं कर पाते । इसी प्रकार ज़कात देने से धन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि इस धन में निर्धनों, अनाथों तथा दूसरे और लोगों के भाग सम्मिलित हैं । अब धन को शुद्ध करने का एकमात्र साधन केवल ज़कात है । इसी की ओर एक सहीह हदीस में संकेत करते हुए बताया गया है कि–धनवानों से लेकर निर्धनों में वितरित किया जाएगा । (बुख़ारी 1395 तथा मुस्लिम 29)

क़ुरआन में अल्लाह ने नबी (सल्ल॰) को यह हुक्म दिया–"ऐ नबी ! तुम उनके मालों में से ज़कात लेकर उन्हें शुद्ध एवं पवित्र कर दो, उनके लिए दुआ प्रार्थना करो । निस्संदेह आपकी दुआ उनके लिए सर्वथा परितोष का साधन है ।" (9:103)

अब जबकि इस बात का ज्ञान हो गया कि हमारे धर्मों में निर्धनों का धन भी सम्मिलित है और हमारा धन ज़कात दिये बिना शुद्ध नहीं हो सकता, तो ज़कात न देने वालों के लिए गंभीर यातना से डराया गया है । जैसा कि सहीह हदीस में आया है कि ज़कात न देने वाले की पेशानी को गर्म सलाख़ से अपने खुरों से उसे कुचलेंगे तथा अपने सींगों से उसे घायल करेंगे और ऐसा बार-बार किया जाएगा, यहां तक कि अल्लाह इस बात का निर्णय कर दे कि इनको स्वर्ग में जाना है या नरक में । (देखिए : सहीह मुस्लिम, 987)

ज़कात चार प्रकार के धनों पर अनिवार्य है, परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि उन पर एक वर्ष बीत गया हो ।

1. सोना-चांदी तथा करेंसी (मुद्रा), 2. खेत की पैदावार, 3. व्यापार का सामान, 4. व्यापार के लिए पाले गये पशु जैसे ऊंट, गाय, बकरी इत्यादि ।

ज़कात के लिए कम से कम धन की अलग-अलग मात्रा (निसाब) निश्चित की गयी है । जैसे सोने की मात्रा (निसाब) साढ़े सात तोला तथा चांदी की साढ़े बावन तोला, करेंसी नोट जो सोने या चांदी के मूल्य के बराबर हों तो उस पर ढाई प्रतिशत ज़कात अनिवार्य होगी । और अगर यह सोना-चांदी या करेंसी नोट इस मात्रा (निसाब) से कम हों तो उन पर ज़कात अनिवार्य नहीं ।

खेत की पैदावार दो प्रकार की होती है : एक वह जो वर्षा के पानी से पैदा हो । इसमें पैदावार का दसवां हिस्सा अर्थात दस प्रतिशत ज़कात बनती है, दूसरी वह जिसके लिए सिंचाई का प्रबंध किया जाता है । इसमें पैदावार का बीसवां हिस्सा अर्थात पांच प्रतिशत ज़कात बनती है । पैदावार पर निकाली जाने वाली ज़कात को उश्र भी कहते हैं ।

व्यापारिक सामान का मूल्य लगाया जाएगा और मूल्य पर ढाई प्रतिशत ज़कात दी जाएगी ।

पशुओं की ज़कात का परिणाम अलग है, जिसका विवरण हदीस की किताबों में पाया जाता है ज़कात का हिसाब लगाने का सरल तरीक़ा यह है कि वर्ष का कोई मास निर्धारित कर लिया जाए और फिर प्रतिवर्ष उस माल में देखा जाए कि उसके पास कितनी सम्पत्ति है । और फिर उसके हिसाब से ढाई प्रतिशत ज़कात निकाल दी जाए ।

अपने प्रयोग की वस्तुओं पर ज़कात नहीं है । जैसे घर, सवारी, पहनने के कपड़े आदि । इसी प्रकार ज़मीन (प्लाट) वग़ैरह । परंतु बेचने की दशा में जब धन पर एक वर्ष बीत जाए तो प्रयोग के पश्चात जो धन बचे उस पर ज़कात दी जाएगी । सोने-चांदी के प्रयोग में आने वाले गहनों पर ज़कात के विषय में कुछ विद्वानों में मतभेद है । परन्तु सही यही है कि इन पर ज़कात है ।

ज़कात कहां ख़र्च की जाए ? क़ुरआन ने ज़कात को आठ प्रकार के लोगों में ख़र्च करने का हुक्म दिया है ।

सबके तो वास्तव में मुहताजों और निर्धनों के लिए हैं और उन कर्मचारियों के लिए जो ज़कात इकट्ठा करने पर लगे हों । और उनके लिए जिनके दिल परचाये और आकृष्ट किये जा रहे हों । और ग़ुलामों को आज़ाद कराने के लिए और क़र्ज़दारों की सहायता के लिए, और अल्लाह के मार्ग में ख़र्च करने के लिए और यात्रियों की सहायता के लिए, यह अल्लाह का ठहराया हुआ हुक्म है अल्लाह जानने वाला और तत्वदर्शी है । (9:60)

रोज़ों के आत्मिक प्रभाव

■ मुहम्मद अली शाह शुऐब

इस्लाम मनुष्य से वास्तव में जो अपेक्षा करता है वह इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि वह अपनी प्रकृति और स्वभाव के मूल तक़ाज़ों को समझे और उन्हें पूरा करने की कोशिश करे । इस प्रकार जब विचार किया जाता है तो एक बड़ी सच्चाई पर से परदा उठता है । वह यह कि मनुष्य मात्र एक शरीर नहीं है, बल्कि वह एक आत्मा है, और यही आत्मा मनुष्य के व्यक्तित्व का अस्ली जौहर है ।

आत्मा के साथ शरीर प्रदान किये जाने का उद्देश्य यह है कि आत्मा की कार्यक्षमता प्रकट हो सके । इसी लिए मृत्यु के पश्चात जबकि शरीर नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा तो इस बात के परीक्षण हेतु कि आत्मा ने किस प्रकार के कर्म किये, ईश्वर मनुष्य को एक नया शरीर प्रदान करेगा जो उस शरीर के सदृश होगा जो उसे इस संसार में मिला था ।

यदि हम यह चाहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करे, तो आत्मा को शुद्ध करना अतिआवश्यक है । खेद की बात है कि मनुष्य अपनी इस हैसियत को लेकर ग़लतफ़हमी का शिकार है । उसने आत्मा को कोई महत्व ही नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह एक हैवान बनकर रह गया, या फिर आत्मा को शुद्ध करने हेतु ऐसे-ऐसे सिद्धांत गढ़ लिए, जिसके चलते समाज से उसका संबंध कटकर रह गया और वह सामाजिक ज़िम्मेदारियों से बचने लगा । आत्मा के शुद्ध होने से ही मनुष्य अच्छे कर्म कर सकता है इसलिए लगभग सभी धर्मों ने आत्मा की शुद्धि पर बल दिया है । त्याग, ज्ञान और ध्यान की पद्धतियां बनायी गयी है । मनुष्य के लिए आत्मा की शुद्धि का वही तरीक़ा उचित हो सकता है जिससे उसे एक ओर ईश्वर की निकटता प्राप्त हो तो दूसरी ओर उसके अन्दर ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा हो ।

इस्लाम चूंकि स्वाभाविक दीन (जीवन-व्यवस्था) है, इसलिए मनुष्य की इस स्वाभाविक आवश्यकता को भी इस्लाम ही पूरी कर सकता है । अतएव इस्लाम ने उपासना की जो विधियां मनुष्य को बतायी हैं, उनसे न केवल आत्मा की शुद्धि संभव है, बल्कि ईश्वर की निकटता भी उसे प्राप्त होती है और मनुष्य के अन्दर ज़िम्मेदारी का एहसास भी पैदा होता है ।

यूं तो इस्लाम की बतायी हुई हर उपासना-विधि से मनुष्य आत्मा को शुद्ध कर सकता है, लेकिन रोज़ा इस उद्देश्य को विशेष रूप से पूरा करता है । रोज़ा वह उपासना पद्धति है, जिससे मनुष्य की तीस दिनों तक ऐसी ट्रेनिंग होती है कि वह जीवन की पगडंडी पर दोनों ओर कांटों से भरी झाड़ियों से दामन बचाए हुए चल सकता है और ईश्वर की निकटता प्राप्त कर सकता है ।

रोज़ा वह पावन उपासना-पद्धति है कि यदि मनुष्य ईमान और एंहतिसाब (आत्म-निरीक्षण) के साथ और तमाम तक़ाज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पर अमल करे तो अवश्य ही इसके सकारात्मक प्रभाव आत्मा पर पड़ेंगे और फिर एक उल्लेखनीय व्यक्तित्व उभरेगा । इस व्यक्तित्व के उभरे हुए पहलू कुछ इस तरह होंगे–

तक़वा

रोज़े का क़ानून यह है रात के बिल्कुल अंतिम भाग में अर्थात प्रात बेला के क्षितिज प स्पष्ट होते ही मनुष्य पर खाना-पीना और पति-पत्नी सहवास हराम हो जाता है और सूर्यास्त तक हराम रहता है । इस दौरान यदि मनुष्य चाहे तो छिप-छिपाकर कुछ खा-पी भी सकता है, लेकिन ईश्वर का भय और उसकी आज्ञापालन का भाव दिल में इतना होता है



कि क्षमता और अवसर होने के बावजूद मनुष्य वैध चीज़ों से भी बचता है और पूरा प्रयास करता है कि ईश्वर के आदेशों का अनुपालन किया जाए । इसी स्थिति का नाम तक़वा और आत्म नियंत्रण है, जिसे इस्लाम हर मनुष्य के हृदय में पैदा करना चाहता है । इच्छाओं के अधीन होकर मनुष्य को न तो ईश्वर की महानता की अनुभूति हो सकती है और न वह अपने जीवन के उच्च मूल्यों को ही जान सकता है ।

रोज़ा मनुष्य को अपने स्वभाव एवं प्रकृति की वास्तविक अपेक्षाओं की ओर जवज्जोह दिलाता है । रोज़ा इस बात की ओर भी मनुष्य को तवज्जोह दिलाता है कि वास्तव में खाना-पीना और यौनेच्छापूर्ति जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं है, बल्कि कुछ नैतिक मूल्य और आत्मा की मांगें हैं जिन्हें पूरा करने से मनुष्य मानवता के उच्चतम शिखर पर पहुंच सकता है । इसलिए कहा गया कि रोज़े का वास्तविक ध्येय मनुष्य के अन्दर तक़वा के गुण पैदा करना है । तक़वा का अर्थ बचने और भय रखने के हैं । इस्लामी परिभाषा में इससे अभिप्रेत ईश्वर का भय रखना है और उसकी अवज्ञा से बचना है । यदि मनुष्य रोज़े के इस उद्देश्य को समझे और जो शक्ति रोज़े से प्राप्त होती है उससे लाभ उठाये तो वह पूरे साल ईश्वर की अवज्ञा से बचकर उसके आदेशानुपालन में जीवन व्यतीत कर सकता है । यदि मनुष्य रोज़े रखे किंतु तक़वा का गुण अपनाने का प्रयास न करे, तो प्यारे नबी (सल्ल०) की हदीस के अनुसार उसके हिस्से में भूख, प्यास और रत-जगे के अतिरिक्त और कुछ नहीं आ सकता ।

सब्र

आत्मा यदि दूषित हो तो मनुष्य भौतिकता में ही फंस जाएगा और मुसीबतों व परेशानियों की परिस्थिति में घबरा उठेगा तथा हर बंधन से मुक्त होकर इनसे निकलने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और इस प्रयास में वैध-अवैध, अच्छा-बुरा कुछ नहीं देखेगा । किसी पर अत्याचार करना पड़े तो उससे भी नहीं चूकेगा, किसी का हक़ मारना पड़े, तो इससे भी संकोच नहीं करेगा । इसके विपरीत धैर्यवान व्यक्ति हर मुसीबत का सामना हिम्मत और हौसले के साथ करेगा, क्योंकि वह जानता है कि जो भी कठिनाई या समस्या सामने आती है उसी की अनुमति से आती है और उसी के दूर करने से दूर भी होती है, मेरा कर्तव्य तो केवल यह है कि प्रयास करता रहूं । इससे ज्ञात हुआ कि मनुष्य के व्यक्तित्व में चार-चांद लगाने के लिए 'सब्र' का गुण अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है ।

रोज़ा मनुष्य के अन्दर यह गुण पैदा करता है । इसी लिए प्यारे नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया रमज़ान सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है । सब्र का अर्थ बांधना, रोकना और जमे रहना है । इस स्थान पर सब्र से अभिप्रेत है अपने-आपको इतना बांधना और ऐसा आत्म-नियंत्रण उत्पन्न करना कि मनुष्य ईश्वर का आज्ञापालन करके आत्मा की शुद्धता के उस उच्च स्थान पर पहुंच जाए जो मानवता को अपेक्षित है ।

फिर सब्र को हम एक और पहलू से देखें कि सब्र वह गुण है जो सत्य की स्थापना और असत्य के उन्मूलन के लिए अत्यंत आवश्यक है । अर्थात जिस व्यक्ति के अन्दर सब्र और जमाव का गुण न हो वह सत्य की स्थापना और असत्य के उन्मूलन के लिए एक क़दम भी आगे नहीं बढ़ सकता । रोज़ा निरंतर तीस दिनों तक जो ट्रेनिंग देता है उसका उद्देश्य वास्तव में यही है कि उसके अन्दर 'सब्र' और जमाव की विशेषता पैदा हो, ताकि वह सत्य के लिए जीतोड़ कोशिश कर सके ।

फ़रिश्तों से सदृशता

रोज़ा वास्तव में अपने-आपको ईश्वर के लिए हर चीज़ से निवृत कर लेने और पूर्ण एकाग्रता के साथ ईश्वर की ओर उन्मुख होने का नाम है । इसीलिए रोज़े की अवस्था में मनुष्य को फ़रिश्तों से सदृशता प्राप्त होती है । फ़रिश्ते खाने-पीने और यौनेच्छा इत्यादि तमाम आवश्यकताओं से निवृत्त हैं । मानो ईश्वर का गुणगान ही उनका भोजन है । रोज़े की अवस्था में मनुष्य भी इसी बात को स्पष्ट करता है और खाने-पीने से किनारा करके एक ईश्वर की बन्दगी और उपासना में लीन दिखता है ।

विनम्रता

मनुष्य की आत्मा पर जब रोज़े के प्रभाव पड़ते हैं तो जो व्यक्तित्व उभर कर आता है, वह नेकी और विनम्रता का साकार रूप होता है । अतएव रोज़ा रखकर मनुष्य न किसी से लड़ता-झगड़ता है और न किसी के लिए अपशब्द प्रयोग

अनाथ लड़कों की पुकार

VOICE OF ORPHAN BOYS

यतीमख़ाना इस्लामिया (गया)

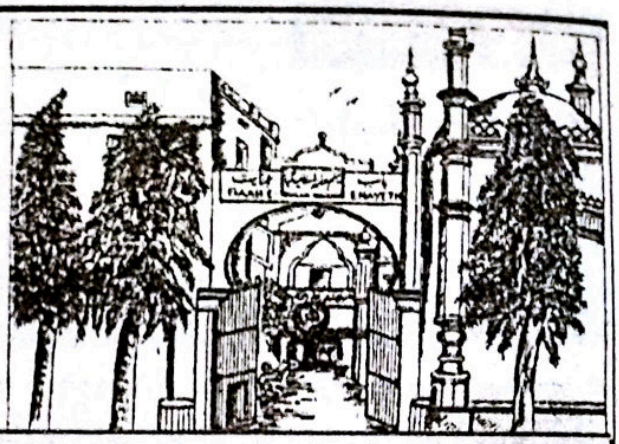

एक परिचय

● दीनी और असरी शिक्षा की अपनी तरह की जानी-मानी रिहाइशी पाठशाला ● 97 वर्षों की सेवाएं ● बहुत से विभाग ● शिक्षा के पड़ाव : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● हिफ़्ज़ का विभाग : हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक ● हर वर्ष बिहार स्कूल बोर्ड परीक्षा का 100 प्रतिशत रिज़ल्ट ● पत्राचार शिक्षा 2014-2015 के सत्र के लिए 11वीं, 12वीं और बी०ए० और लाइब्रेरी साइंस (BLIS) में प्रवेश जारी ● कंप्यूटर की भी शिक्षा ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक अनाथ छात्र पर वार्षिक ख़र्च 15000/- रुपये प्रति वर्ष ● कुल वार्षिक ख़र्च 24 लाख से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● 100 अनाथ बच्चे जिनका पूरा ख़र्च इदारा ही उठाता है ।

● जिस रूप में संभव हो मदद करके अल्लाह से बड़ा इनाम प्राप्त करें–उदाहरण के लिए ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● क़ुरबानी की खाल ● एक अनाथ बच्चे का वार्षिक ख़र्च ● अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कमरा या हॉल बनवाना आदि ।

● याद रखें यहां हर वर्ष ऑडिट (Audit) भी कराया जाता है । आप खुद यतीमख़ाना इस्लामिया पहुंच कर बराबरी का व्यावहारिक नमूना अपनी आंखों से देखें कि किस प्रकार अनाथ और मां-बाप वाले बच्चे मिल-जुलकर रहा करते हैं ।

नोट : इनायत टेक्निकल इंस्टीट्यूट (Technical Institute) की इमारत के निर्माण का काम अंतिम पड़ाव पर है।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

नोट : यह इदारा विदेशी मुद्रा के क़ानून FCRA के तहत भी रजिस्टर्ड है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

अब आप विदेश से BANK A/c No. 300402010000187

BANK CODE NO. UBININBBJAM,

UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

में अपनी रक़म भेज सकते हैं

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

चेक, ड्राफ़्ट, मनीऑर्डर या ख़त भेजने का पता

Hon. SECRETARY, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

At+P.o : CHERKI-824237, Distt : GAYA (BIHAR) INDIA

LOCAL DONARS मक़ामी चन्दा देने वाले

BANK A/C NO. : 10581, UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

Bank IFS Code No. : UBIN 0530042

CORE BANKIN GA/C NO.: 300402010010581, Mobile : 9955655960, 09801213022

E-mail : gmocde@yahoo.co.in, Website : www.gmogaya.com

Note : Documentary Film–NAZR-E-ENAYAT जिसमें इदारे का इतिहास है। इंटरनेट यू ट्यूब पर देखें।

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

अध्यक्ष : डॉ० फ़रासत हुसैन

एज़ाज़ी नाज़िम : डॉ० मुहम्मद एहतिशाम रसूल

करता है । यदि कोई व्यक्ति उसके साथ झगड़े पर आमादा होता भी है तो वह विनम्रता के साथ यह कहकर आगे बढ़ जाता है कि भाई, मैं रोज़े से हूं । विनम्रता का यह गुण, जिसे रोज़ा पैदा करना चाहता है, यदि मनुष्य अपना ले तो मनुष्य की आत्मा की गन्दगियां और खोट बाहर निकल आये और मनुष्य ईश्वर का निकटतम और विशुद्ध बन्दा बन जाए ।

यूं तो मानवजाति पर ईश्वर के नगण्य उपकार हैं, किंतु सबसे बड़ा उपकार यह है कि उसने मनुष्य को अंधेरों में भटकता हुआ यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि उसके मार्गदर्शन हेतु कुरआन अवतरित किया । कुरआन को रमज़ान के महीने में अवतरित करके यह बात भी स्पष्ट कर दी कि कुरआन और रोज़े का आपस में गहरा संबंध है । यदि कुरआन जीवन के लिए मार्गदर्शन है तो रोज़ा नैतिकता और आत्मा की शुद्धता का बेहतरीन ज़रिया है । यदि कुरआन आत्मा की शुद्धता के लिए बेहतरीन भोजन है, तो रोज़ा उसके लिए बेहतरीन अभ्यास है, अर्थात कुरआन जिस उद्देश्य के लिए अवतरित हुआ है, रोज़ा उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बेहतरीन सहायक है ।

आइए निरीक्षण करें

रमज़ान का महीना आते ही नेकियों की बहार-सीआ जाती है, लेकिन बहुत ही जल्दी यह बहार चली भी जाती है और ज्यों-ज्यों ईद का चांद नज़र आने के निकट होता है, बाज़ारों में चहल-पहल बढ़ जाती है और मस्जिदों में रौनक़ कम हो जाती है । जो दिन विशेष रूप से अपनी आत्मा को शुद्ध और नरकाग्नि से मुक्ति के होते हैं, उनको हम यूं ही नष्ट कर देते हैं । यही कारण है कि आज हम रोज़ा रखते हैं, फिर भी उससे वे नतीजे हासिल नहीं होते जो स्वाभाविक रूप से होने चाहिएं । इसका कारण केवल यह है कि आज हम रोज़ा रखते तो हैं, लेकिन उसके तक़ाज़ों और अपेक्षाओं को ध्यान में नहीं रखते । रोज़े में खाने-पीने और यौनेच्छापूर्ति से तो रुक जाते हैं, किन्तु उन बहुत-सी बातों से अपने-आपको नहीं रोक पाते जिनसे रुक जाना अपेक्षित है ।

देखने में तो हम रोज़े से होते हैं किंतु हमारा अंतर्मन और हमारे भाव रोज़े से नहीं होते । न तो हम अपने हाथ और पांव को बुराई की ओर जाने से रोक पाते हैं, न हम अपनी ज़बान को ग़ीबत (परनिंदा), झूठ और अपशब्द जैसे गुनाहों से रोक पाते हैं । हम रोज़े से भी होते हैं और अपने खाने-पीने, लेन-देन और जीवन के अन्य मामलों में वैध-अवैध और हराम-हलाल का पूरे तौर पर ध्यान भी नहीं रख पाते हैं । इन सबके बावजूद भी यदि हम रोज़े से उसी परिणाम की आशा रखते हैं जो उससे अपेक्षित हैं तो यह हमारी भूल है ।

यह सत्य है कि रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने से नेकी और आध्यात्मिकता का जो माहौल पैदा होता है, उसका आत्मा और हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है । कम हिम्मत और कमज़ोर इरादे के आदमी के लिए भी नेकी और ईशपरायणता के मार्ग पर चलना आसान हो जाता है । किन्तु यह बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि रोज़े का उद्देश्य और उसका वास्तविक ध्येय केवल रोज़े के ज़माने तक ही अपेक्षित नहीं है बल्कि इसका संबंध मनुष्य के पूरे जीवन से है । यदि रमज़ान के महीने में मनुष्य रोज़े रखता रहे और खाना-पीना छोड़े रखे, लेकिन रमज़ान के बाद उस पर रोज़े के प्रभाव उसकी आत्मा पर न पड़े तो उसकी मिसाल बिल्कुल उस व्यक्ति की सी है जिसने बेहतरीन क़िस्म का खाना खाया, लेकिन खाने के बाद हलक़ में उंगली डालकर सब कुछ उलट दिया । निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को वह बेहतरीन खाना लाभ पहुंचाने के बजाय उल्टा हानिकारक सिद्ध होगा ।

वास्तव में यदि रोज़े से पूर्ण रूप से लाभ उठाया जाए तो वह मनुष्य को उस स्थान पर लाकर खड़ा कर देता है जहां मनुष्य अपनी आत्मा को तमाम गन्दगियों और खोटों से विशुद्ध कर देता है और फिर मनुष्य समाज में एक ज़िम्मेदार व्यक्ति की हैसियत से उभर कर सामने आता है । यही मनुष्य मृत्यु के पश्चात ईश्वर के समक्ष भी एक आज्ञाकारी बन्दा बनकर उपस्थित होगा ।



उपवास से जीवन-रक्षा

■ हर्बर्ट एम॰ शेल्टन

उपवास-काल में शारीरिक उत्तेजनाएं अधिकांश भागों में काफ़ी आनन्द पैदा करने वाली होती हैं । उन्हें भोजन करने की अपेक्षा उपवास करने में अधिक आनन्द मिलता है। बिना खाने की इच्छा के जिसे ठूंस-ठूंसकर भोजन खिलाया गया है, उस शख़्स को स्वाभाविक रूप से भोजन से अरुचि हो जाती है । इसी लिए इस प्रकार के रोगियों को उपवास के प्रारम्भ से ही शान्त, सन्तुष्ट और प्रसन्न पाया जाता है, क्योंकि उनको बड़ा आराम महसूस होने लगता है । बहुत से लोग उपवास में नाममात्र की पीड़ा का अनुभव करते हैं ।

उपवास-काल में शरीर में जो स्वाभाविक उत्तेजना, तकलीफ़ दर्द और कष्ट होता है, उसका दोष उपवास पर डाला जाता है । यह बात सामयिक रूप से सच भी है लेकिन जैसे-जैसे उपवास आगे बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे ये सब तकलीफ़ें दूर होती जाती हैं । शरीर के तन्तुओं की विशेष अवस्थाओं के कारण उपवास के प्रारम्भ में ऐसी तकलीफ़ उत्पन्न होती है । जब तन्तुओं की सफ़ाई की प्रक्रिया हो । जिन लोगों को नशीली चीज़ों के सेवन की आदत है, जो धुम्रपान के आदी हैं तथा सर्वदा उत्तेजक खाद्य-पदार्थों को खाते-पीते आये हैं । उन लोगों को उपवास के आरम्भिक दिनों में काफ़ी तकलीफ़ भोगनी पड़ती है । उक्त पदार्थों के अभाव में उनका जी मिचलाता है, उलटी होती है । उन्हें क्रोध भी आता है । भारी सिर-दर्द से वे लोग पीड़ित रहते हैं । उनके लिए ऐसी पीड़ाओं को होना कुछ दिनों तक स्वाभाविक है । ऐसी स्थिति में उपवास तोड़ना उचित नहीं है । कुछ दिनों के बाद ऐसी स्थिति स्वत: ख़त्म हो जाती है और रोगी अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है ।

उपवास के आरम्भ में शरीर की अवस्थाओं में कुछ ख़ास परिवर्तन होते हैं । ये परिवर्तन रोगियों की अवस्थानुसार बदलते रहते हैं । उन शारीरिक परिवर्तनों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है । जैसे, जीभ भारी हो जाती है दांतों में चिपचिपाहट उत्पन्न हो जाती है आदि । इनके कारण रोगी को कुछ बेचैनी अवश्य रहती है, किन्तु इनसे प्रकट होता है कि शरीर के अंग-प्रत्यंगों की भीतरी सफ़ाई हो रही है । सभी दूषित-पदार्थ कूड़ा, मल-मूत्र, पसीना आदि धीरे-धीरे शरीर से निकलने लगते हैं । फिर उनके निकलते ही जीभ पूरी तरह स्वच्छ हो जाती है, मुख की सफ़ाई हो जाती है और सांस से स्वच्छ हवा निकलने लगती है । अन्त में उचित समय पर रोगी की स्वाभाविक भूख लौट आती है ।

उपवास के समय पेशाब साफ़ और हल्का रहता है, किन्तु उपवास में कुछ घण्टों के बाद ही पेशाब का रंग बदलता है और पेशाब करने में कुछ तकलीफ़ भी होने लगती है । किसी-किसी रोगी का पेशाब तो बिल्कुल काले रंग का और दुर्गन्धपूर्ण हो जाता है । किन्तु रोगी की आवश्यकतानुसार एक सप्ताह से लेकर दो सप्ताह तक उचित उपवास करने के बाद पेशाब बिल्कुल साफ़, स्वच्छ दुर्गन्धरहित और स्वाभाविक, सहज रूप में होने लगता है । पेशाब के उक्त परिवर्तनों से पता चलता है कि गुर्दों को अधिक मात्रा में संचित कूड़े की सफ़ाई करनी पड़ती है और पेशाब के रास्ते यही कूड़ा बाहर निकलता रहता है । जब उनकी सफ़ाई पूरी हो जाती है, तब अपने स्वाभाविक रंग रूप में आ जाता है ।

शरीर के पूर्व-संचित पौष्टिक तत्त्वों को उपभोग महत्त्वपूर्ण तन्तुओं को करना पड़ता है । उन्हीं से शक्ति पाकर शरीर के कूड़े की सफ़ाई बड़ी तेज़ी से की जाती है । आवश्यक तन्तुओं के नष्ट हो जाने से शरीर का अत्यधिक वज़न कम हो जाता है । इस वज़न की गिरावट का कारण भी सफ़ाई योजना को ही बतलाया जाता है । साथ ही साथ स्वास्थ्य में सुधार के लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं ।

उपवास के प्रारंभिक दिनों में बड़ी तेज़ी से अधिक मात्रा में वज़न में गिरावट देखी जाती है । मोटे व्यक्तियों का वज़न दुबले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक मात्रा में और अधिक तेज़ी से घटता है । कभी-कभी कूड़ा जमा होने के कारण दुबले व्यक्तियों का भी वज़न मोटे व्यक्तियों की तरह बड़ी तेज़ी से अधिक परिमाण में घटता हुआ देखा गया है,

किन्तु यह घटाव उपवास के पहले थोड़े दिनों तक ही होता है । साधारण व्यक्तियों का वज़न प्रतिदिन आधा किलो तक और मोटे व्यक्तियों का 2 किलो से लेकर 3 किलो तक प्रतिदिन घटता रहता है । किन्तु थोड़े दिनों के बाद वज़न घटने की मात्रा में कमी आ जाती है । लम्बे उपवास के आख़िरी स्तर पर आधा किलो से भी कम वज़न घटता है ।

दुर्बल शरीर वाले व्यक्तियों को उपवास से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका वज़न भी उपवास करने से घटने की जगह अधिक बढ़ जाता है । उपवास में थोड़े आहार से उनके वज़न को बढ़ाया जा सकता है । अत: यह सोचना ग़लत है कि उपवास में केवल मोटे व्यक्तियों को ही लाभ पहुंचता है ।

उपवास में कभी-कभी कुछ कमज़ोरी का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर की संचालन क्रियाओं में रुकावट आ जाती है । उपवास में शरीर के अंग प्रत्यंगों को विश्राम लेने का सुयोग प्राप्त हो जाता है । अत: ख़ास-ख़ास अंग भी अपनी क्रियाओं को धीमी गति से चलाते हैं । जैसे हृदय मंद गति से स्पन्दन करता है । रक्तवाहिणी प्रणाली भी धीमी पड़ जाती है श्वांस प्रश्वांस भी मंद गति से चलता है । शरीर की ग्रन्थियां भी अपने कार्यों को कम कर देती हैं । ख़ास कर थका मांदा शरीर राहत की सांस लेते हुए बिस्तर पर सफ़ाई हो जाने पर शरीर में पूरी ताक़त वापस लौट आती है । उपवास में भोजन लेने के बहुत पहले ही ताक़तवाली अवस्था प्राप्त हो जाती है । अत: उपवास से प्राप्त शारीरिक लाभों की तुलना में चन्द दिनों की कमज़ोरी नगण्य है ।

बहुत से मनुष्यों को उपवास के विषय में पहले से ही चिन्ता व्याप्त हो जाती है । उपवास में शारीरिक शुद्धता अभियान की पीड़ा की आवश्यकता से अधिक मात्रा में वे लोग कल्पना कर लेते हैं । किन्तु उपवास की सभी अवस्थाओं में ये सब पीड़ाएं नहीं होती हैं । बहुत कम संख्या में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं । यह कोई नियम नहीं है, बल्कि अधिकतर लोगों को इन लक्षणों से पीड़ित होते हुए नहीं पाया गया है । शरीर की सफ़ाई का काम बिना किसी कष्ट के ही पूरा हो जाता है । जब कभी कोई दु:खदायी स्थिति आ भी जाए, जो उसका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उससे रोगी का कल्याण ही होता है ।

उपवास में कभी-कभी चमड़े पर फफोले पड़ने लगते हैं, क़िन्तु इन्हें भी उसी सफ़ाई-क्रिया का परिणाम समझना चाहिए । कभी-कभी सिर में चक्कर आने लगते हैं, बेहोशी भी होने लगती है, हृदय-प्रदेश में कम्पन होने लगता है और इस प्रकार के दूसरे लक्षणों के उत्पन्न होने पर भी घबराने की कोई बात नहीं है । इनसे कोई ख़तरा नहीं रहता है ।

सबसे अधिक अखरनेवाली अवस्था उपवास में वमन, जी का मिचलाना एवं उलटी की अवस्था है । यही कठिन परीक्षा का समय रहता है और इसी काल में शारीरिक दुर्बलता का भी कुछ असर हो जाता है । लेकिन यह शरीर के लिए बड़ा लाभकारी है । मिचलाहट और उलटी कभी-कभी उपवास के प्रथम दिन में या किसी भी समय होने लगती है । साधारण तौर पर कई दिनों तक अन्न ग्रहण न करने के बाद ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं । कभी-कभी चार या अधिक सप्ताह के उपवास के बाद उलटी की स्थिति आती है ।

अगर अधिक़ दिनों तक बराबर उलटी होती रहे और पानी हज़म न होता हो तो समझ जाइए कि शरीर की अवस्था ठीक नहीं है । निश्चित ही यह पानी निकलने की (डिहाइड्रेशन) बीमारी का प्रभाव है । इसे एक ख़तरनाक स्थिति समझना चाहिए । अत: शीघ्रता से उपवास बन्द कर देना चाहिए । रोगी बराबर पानी फेंकने के कारण अधिक कमज़ोर हो जाता है और ऐसी हालत में उसे बहुत दिनों के बाद शक्ति की प्राप्ति होती है । अगर उलटी के साथ उपवास करने वालों का अतिसार (डायरिया) की बीमारी हो जाए, तो उसे और अधिक ख़तरनाक रोग समझना चाहिए । इस प्रकार का उदाहरण बहुत ही कम देखने में आता है ।

अगर उचित समय के भीतर उपवास करने वाले व्यक्ति की उलटी बन्द न हो तो उसका उपवास तुड़वा देना ज़रूरी है । यद्यपि यह आसान नहीं होता, क्योंकि जब पानी तक हज़म नहीं होता, तब भोजन कैसे हज़म किया जा सकता है? ऐसी अवस्थाओं में विभिन्न फलों का रस देना चाहिए, जिसे वे हज़म कर सकें । फिर भोजन देना चाहिए ।

अतिसार (डायरिया) प्राय: उलटी के साथ नहीं देखने में आता है, किन्तु कभी-कभी इसका भी आक्रमण होते देखा गया है । उपवास-काल में किसी समय इसका आक्रमण हो जाता है । कभी-कभी उपवास के दिनों में इसका प्रभाव होते देखा गया है । कफ़ पित्त और कूड़ा सभी एकत्र होकर बाहर निकलते हैं । निस्संदेह इसे भी शुद्धता-अभियान का ही एक अंग मानना चाहिए ।

समय का सदुपयोग करें युवा

■ विद्या प्रकाश

जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए परिश्रम और लगन के साथ समय के समुचित प्रबंधन तथा सदुपयोग की आवश्यकता होती है । जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता और इधर-उधर की बातों में समय व्यर्थ में गंवाता तथा बरबाद करता है, समय उसे ठोकर मारकर आगे निकल जाता है और ऐसा व्यक्ति ज़िन्दगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता । यह कितनी दुखद स्थिति है कि स्वदेश में विशेषकर नयी पीढ़ी द्वारा समय का दुरुपयोग किया जाता है । जीवन बनाने के क़ीमती सालों में उनके द्वारा जिस लापरवाही से समय बरबाद किया जाता है, वह ठीक नहीं है ।

हमारे देश में सामान्यत: प्राथमिक पाठशालाओं से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक वार्षिक परीक्षाएं हर साल अप्रैल तक संपन्न हो जाती है । उसके बाद नया शैक्षणिक सत्र जुलाई से शुरू होता है । विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम अमूमन विलंब से घोषित किया जाता है । फिर विद्यार्थियों को प्राप्तांक पत्र लेने, प्रवेश परीक्षा देने, उसका रिजल्ट आने वग़ैरह में हफ़्तों का वक़्त बर्बाद होता है । इन सारी प्रक्रियाओं को पार कर एडमीशन लेते-लेते अगस्त सितम्बर का महीना आ जाता है । वार्षिक परीक्षा की समाप्ति से लेकर अगले शैक्षणिक सत्र में एडमीशन लेने तक छात्रों का तीन चार महीनों का वक़्त बेकार चला जाता है । दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, जबलपुर और आगरा जैसे बड़े-बड़े शहरों में टाइप राइटिंग, स्टेनोग्राफ़ी, इम्ब्रायडरी, चायनीज़, जर्मन, तमिल, तेलुगू, उर्दू आदि देशी-विदेशी भाषा, फ़ोटोग्राफ़ी वग़ैरह सिखाने वाली अनेकानेक संस्थाएं हैं, जहां निर्धारित शुल्क जमा कर युवक-युवतियां शिक्षणेत्तर कौशल का ज्ञान करते हैं । इसके साथ ही उनके समय का सदुपयोग भी होता है जो आगे चलकर उनके व्यावहारिक जीवन में लाभदायक होता है । चन्द बड़े शहरों को छोड़कर देश के तमाम छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों में इस प्रकार की प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव है । इस स्थिति में नयी पीढ़ी के तमाम लोग वैवाहिक निमंत्रण में भाग लेकर, चाद दोस्तों के यहां फालतू बैठकबाज़ी कर, डी०वी०डी० से फ़िल्में देखकर अपना समय नष्ट करते हैं । छोटे-छोटे शहरों में माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं तथा महाविद्यालयों द्वारा भी कारपेंटरी, फ़ोटोग्राफ़ी आदि से संबंधित अल्पावधिक छात्र हितकारी कोर्स नहीं संचालित किये जाते और न छात्र संघ के पदाधिकारी छात्र हित में इस प्रकार के कोर्स चलाने के लिए विद्यालय-प्रशासन से कहते हैं । इस स्थिति में हर साल बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं का ग्रीष्मावकाश निरर्थक बीत जाता है ।

इसका कारण एक तो शहरों में प्रशिक्षणशालाओं और सुविधाओं का अभाव है, दूसरे लोगों में रुचि तथा समझदारी की कमी भी है । जिन शहरों में इस प्रकार की प्रशिक्षणशालाएं हैं भी, वहां आबादी के लिहाज़ से इस प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या अल्प होती है । नयी पीढ़ी के लोगों में समय का सदुपयोग करने की समझदारी होनी चाहिए और ख़ाली समय में कुछ न कुछ नया सीखने की लगन होनी चाहिए ।

शहर हो अथवा गांव–हर जगह कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं जिनके समाधान तथा जनजागरूकता में युवा सहयोग कर सकते हैं तथा इसके लिए उन्हें ग्रीष्मावकाश में भरपूर समय मिलता है । इस अवधि में वे लोगों की टोली बनाकर श्रमदान के ज़रिये मुहल्ले और क़स्बे में सफ़ाई अभियान चला सकते हैं । समरकैम्प का आयोजन कर वे निरक्षरों को साक्षर कर सकते हैं । दहेज हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, परिवार नियोजन आदि के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा सकता है । तथा लोगों को वैवाहिक आयोजनों में फ़िज़ूलख़र्ची जैसी सामाजिक बुराइयों से रोका तथा बचाया जा सकता है तथा लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी देकर बीमारियों से सुरक्षा तथा स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में सजग किया जा सकता है । स्वदेश में आमतौर पर युवक युवतियों तथा छात्र-छात्राओं में इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में रुचि का अभाव है ।

कैसे करें पसीने की दुर्गंध से बचाव ?

● संकलित

त्वचा हमारे शरीर की सबसे बड़ी इंद्रिय है । शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम यह त्वचा ही करती है । यह न केवल शरीर को ख़ूबसूरत बनाती है, बल्कि रोगों के आक्रमण व बाहरी प्रतिकूल वातावरण से बचाव भी करती है । सबसे बड़ी बात है कि विभिन्न अंगों के लिए आवरण और सूचना केन्द्र का भी काम करती है ।

त्वचा से पसीना बहने की प्रक्रिया शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करती है और तापमान के एक समान स्तर को बनाए रखती है । अगर व्यायाम करने, गर्मी से अन्य कारणों से शरीर में उष्मा पैदा होती है, तो वह पसीने के रूप में बाहर निकलती है ।

शरीर से पसीना पैदा करने वाली प्रत्येक ग्रंथि में इपीडरमल कोषाणु के क्वायल होते हैं, जिसकी हवा से त्वचा से पसीना निकलने का रास्ता खुलता है । आमतौर पर एक व्यस्क व्यक्ति के शरीर से पौन लीटर तक पसीना निकलता है । शुक्र इस बात का है कि यह वाष्पीकृत हो जाता है ।

पसीने की नब्बे प्रतिशत मात्रा पूरे शरीर में फैले एक्रीन ग्रंथि से आती है, जिसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है । पसीना निकलना अच्छा है, क्योंकि इससे शरीर को ठंडक पहुंचती है । पसीने की शेष दस प्रतिशत मात्रा एपोक्रीन ग्रंथि काखों के नीचे और पिंडलियों में स्थित होती हैं, इस ग्रंथि से उत्पन्न पसीने में कार्बनिक तत्व के साथ-साथ त्वचा के बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से दुर्गंध आती है ।

शारीरिक दुर्गंध, गर्मी के दिनों में ज़्यादा महसूस होती है । इसकी वजह है–गर्मी में पसीने का ज़्यादा आना । इसके अलावा अन्य कारण भी हैं, जैसे-नायलॉन के कपड़े या पॉलिएस्टर के कपड़े, जिसकी वजह से पसीना वाष्पीकृत नहीं हो पाता, एग्रोनिक की वजह से आ रहा पसीना तापक्रम से प्रभावित नहीं होता, इसी तरह अगर कोई तनाव में जी रहा है तो मुंह से दुर्गंध आने लगती है ।

शारीरिक दुर्गंध को कुछ हद तक स्नान से नियंत्रित किया जा सकता है । गर्मी के दिनों में फव्वारे से दो बार स्नान करना अच्छा रहता है । त्वचा के बैक्टीरिया को विकसित होने में छह से बारह घंटे लगते हैं । इसीलिए दिन भर में एक बार स्नान करना पर्याप्त नहीं है । बहुत सारे लोग सुबह सवेरे दफ़्तर जाने की जल्दी में बहुत कम समय में नहा

कान्ति

स्वस्थ चेतना का वाहक हिन्दी साप्ताहिक अख़बार

प्रचार-प्रसार मुहिम के लिए विशेष छूट

'कान्ति साप्ताहिक' के प्रचार-प्रसार हेतु एक मुहिम शुरू की गयी है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति 'कान्ति साप्ताहिक' के 5 नये ख़रीदार बनाता है तो उसे मुफ़्त में एक और ख़रीदार बनाने की छूट होगी । इस अवसर से लाभ उठाने के लिए एक साथ एक हज़ार दो सौ पचास रुपये (Rs. 1250/-) सीधे कान्ति के कार्यालय में जमा कराने होंगे । प्रचार-प्रसार की यह मुहिम आगामी कुछ महीनों तक चलती रहेगी । 'कान्ति साप्ताहिक' के पाठक इस विशेष छूट का लाभ उठाने के लिए अपने-अपने इलाक़ों में अपने सगे-संबंधियों, मित्रों एवं अन्य लोगों को प्रेरित कर सकते हैं । विस्तार से जानने के लिए सम्पर्क करें :

मैनेजर

मासिक कान्ति

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव,
जामिया नगर, नई दिल्ली-110025
09818799223, 011-26949430
E-mail : kantiweekly@hotmail.com

लेते हैं, प्रदूषण और लगातार यात्रा के कारण ये दुर्गंध वाला पसीना आता है । इसे दूर भगाने का सर्वोत्तम उपाय है, किसी दुर्गंध नाशक या कीटाणुनाशक साबुन के साथ स्नान करना । स्नान के अलावा, दुर्गंधनाशक या पसीना निरोधक भी, पसीने से बचाने में कारगर होता है । पसीने से बचने के दो उपाय हैं, दुर्गंधनाशक की एक परत चढ़ाकर आप पसीने की गंध को छुपा सकते हैं या फिर पसीना निरोधक की सहायता से आप पसीने को बंद कर सकते हैं । अगर पसीने की मात्रा कम हो तो कोई भी दुर्गंधनाशक प्रयोग किया जा सकता है । लेकिन अगर पसीने की मात्रा ज़्यादा हो या फिर ख़ासतौर पर अगर तनाव के क्षणों में, ज़्यादा पसीना आ रहा हो तो आपको आवश्यकता है, किसी असरदार दुर्गंधनाशक की । दुर्गंधनाशक की एक ख़ास विशेषता है कि यह उसी समय असर करना शुरू कर देता है, जिस समय से आप इसे प्रयोग करते हैं, इसलिए आप इसे नहाते समय भी प्रयोग कर सकते हैं । नहाने के बाद त्वचा में विद्यमान वे छिद्र जिनसे पसीना आता है बंद हो जाते हैं और पसीना निरोधक रासायन काम नहीं कर सकते, इसलिए नहाने के तुरंत बाद पसीना निरोधक को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए ।

गर्मी के मौसम के लिए नायलॉन, सिल्क और अन्य सिंथेटिक कपड़े अनुपयुक्त हैं, क्योंकि इनमें वायु का संचार नहीं हो पाता । इस मौसम के लिए ठंडे सूती कपड़े सर्वोत्तम होते हैं । लंबे स्कर्ट, ढीले शलवार कुर्ते और सूती साड़ियां महिलाओं के लिए तथा ढीले पायजामे, कुर्ते पुरुषों के लिए सर्वोत्तम हैं । कपड़े हल्के रंग के हों तो अच्छा रहता है । गर्मी में गहरे रंगों वाले तंग कपड़ों से बचना चाहिए ।

नहाने के बाद पाउडर के छिड़काव से अच्छा लगता है । अगर दुर्गंधनाशक तत्व पाउडर में हो तो, इससे आपको ज़्यादा समय तक ताज़गी महसूस होगी । पाउडर सिर्फ़ बाहों और छाती पर ही नहीं बल्कि पूरे शरीर पर छिड़कें ।

नहाने के लिए सही साबुन का चुनाव आवश्यक है । भारतीय बाज़ार में कुछ अच्छी क़िस्मों के दुर्गंधनाशक और कीटाणुमारक साबुन उपलब्ध हैं । नहाते समय मुलायम ब्रश को प्रयोग में लाएं और ऐसे हिस्से जहां से पसीना अधिक आता है, वहां की सफाई पर ज़्यादा ध्यान दें ।

अन्य बुरी आदतों की तरह शरीर के दुर्गंध को आरंभिक अवस्था में ही समाप्त कर देना चाहिए । अगर इस दुर्गंध से मुक़ाबला करने के लिए आपके पास साबुन, दुर्गंधनाशक पाउडर, पसीना निरोधक और सेंट हो तो इससे आसानी से मुक्ति मिल सकती है ।

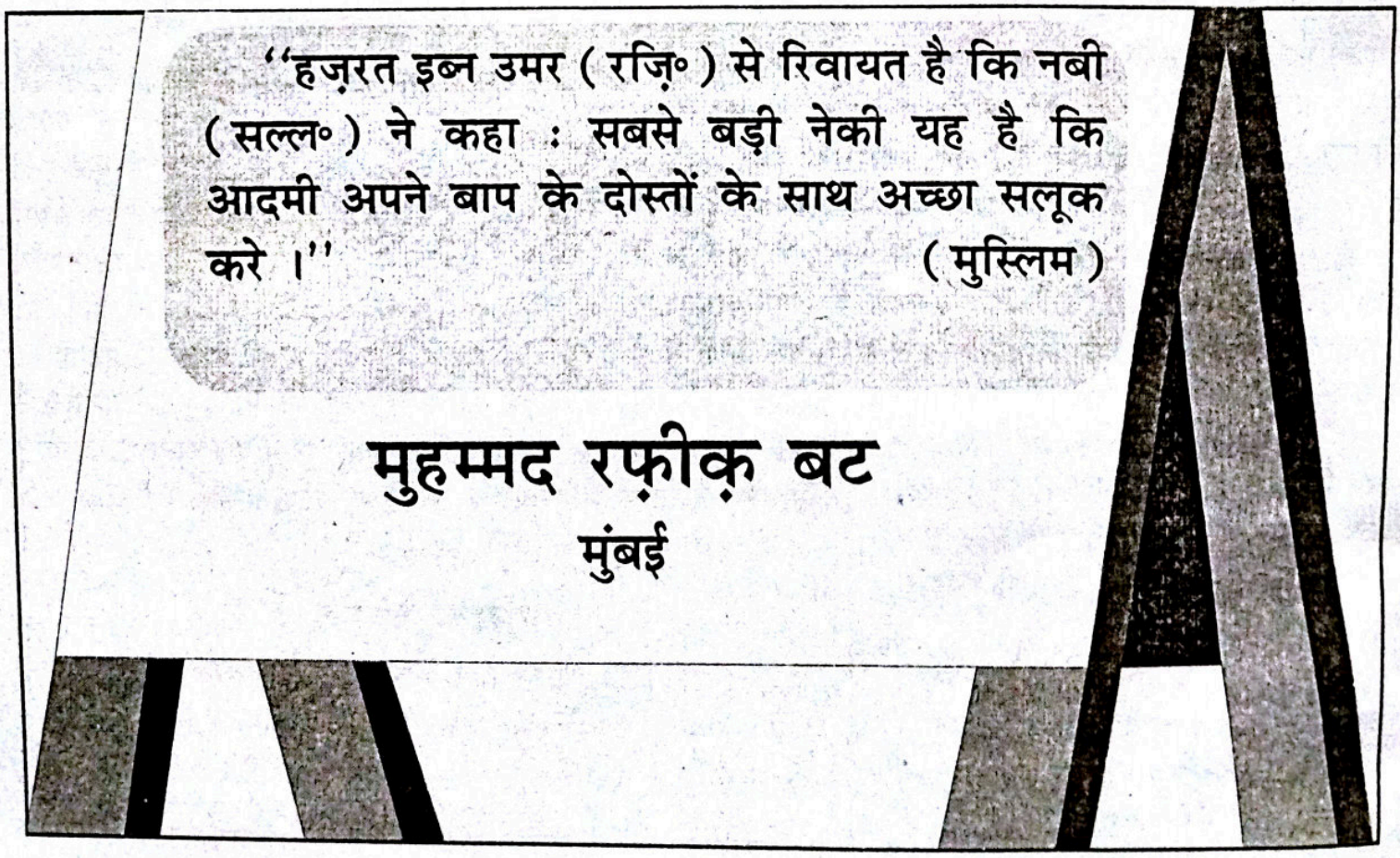

बच्चों की सामान्य बीमारियां

❖ डॉ॰ सुर्यकान्त मिश्र

चिरकारी व्याधि, मस्तिष्क आघात और केन्द्रीय तंत्रिकाओं में दोष आ जाने से बालक अस्थायी रूप से अपंग हो जाता है । जिससे विशेष चिकित्सा शैक्षिक एवं व्यावसायिक पुनर्वास की तात्कालिक आवश्यकता पड़ती है । अस्थायी रोग ग्रसित बालकों की आबादी 1 से 15 प्रतिशत तक प्रभावित है, इसमें पीठ की रीढ़ हड्डी भंग सिरिबल पालिसी 2 प्रतिशत, सन्धिवात हृदय ब्रेन डैमेज, स्पास्टिक, धीमी गति से पढ़ने वाले बच्चे आटोरिज़्म, अति क्रियाशील संकोची ड्राप आउट समाज से अपेक्षित आबादी का दसवां हिस्सा प्रभावित है ।

मधुमेह से पीड़ित बच्चे 15 वर्ष की आयु में मिलते हैं, जो गुर्दे की छोटी नली में दोष से पीड़ित होते हैं । ऐसे रोगी को न्यूफोरोसिस कहते हैं । अनुपात लड़कियों में एक तथा लड़कों में दो मिलता है । मांसपेशियों में निष्क्रियता को मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहते हैं ।

सामान्यतया आबादी का 2000 में एक प्रतिशत प्रभावित है । हाथ, में संतुलन का अभाव गर्दन का हिलना-डुलना और कम्पन मिलता है । ऐसे बच्चों में उठने बैठने, पकड़ने, हिलने-डुलने की क्रियाओं में समानता का अभाव मिलता है । मिर्गी, दौड़े और सीजरग्रस्त बालक, आबादी के 1.5 प्रतिशत इस रोग से प्रभावित हैं । जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दौड़े, मिर्गी व सीजर रोग ज़्यादा मिलता है ।

केन्द्रीय तंत्रिका पद्धति दोष : कान्डेसियस 'संक्रामक तरह की बीमारी' इसमें केन्द्रीय तंत्रिका से अधिकांश बच्चे प्रभावित होते हैं, जिसे दिमाग़ी बुख़ार कहते हैं । जिससे मस्तिष्क की क्रियाशीलता प्रभावित हो जाती है, पढ़ने-लिखने, समझने और पहचानने तथा सुनने-बोलने में इसका प्रभाव पड़ता है । वैज्ञानिकों का कहना है कि 8 से 2 प्रतिशत तंत्रिका दोषी और गंभरीर तंत्रिकामयी असमानता अपरिपक्व समूह में मिलता है ।

श्वांस सम्बन्धी रोग : बच्चों में 10 से 15 प्रतिशत दमा की शिकायत मिलती है । श्वांस फूलना, खांसी आना, टांसिल, नाक बहना, कान में दर्द होना, एक स्थाई रोग बचपन में मिलने के लक्षण मिलते हैं, जिसका पढ़ाई पर बुरा



प्रभाव पड़ता है ।

आंतों में घाव हो जाने से पाचन-क्रिया प्रभावित हो जाती है । भूख नहीं लगती, पेट में दर्द और ऐंठ, जी मिचलाना यह लक्षण स्कूली बच्चों में मिलते हैं, जिससे पढ़ाई में बाधा आती है । दो वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों में यह लक्षण ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं । इन्हें विशेष चिकित्सा के अंतर्गत शरीर की देखभाल और सन्तुलित आहार देना ज़रूरी है ।

मोटापा : ज़्यादा घी, दूध मक्खन, मलाई, चावल, आलू खाने से मोटापा हो जाता है । ऐसे बच्चे जल्दी थक जाते हैं और खेल-कूद से भी जी चुराते हैं ।

5 से 10 प्रतिशत बालक मोटापा से प्रभावित हैं । इन्हें दैनिक रूप से खेल व कसरत करायी जाये और वसा सम्बन्धी भोजन न दिये जायें ।

त्वचा विकार : मस्तिष्क में संचित और दमित संवेगात्मक तनाव त्वचा के कार्यों पर भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है । प्रबल क्रोध से चेहरा लाल होना और तीव्र भय से रोंगटे खड़े हो जाना, चेहरा पीला पड़ना और शरीर में ठंड लगना यह लक्षण मिलते हैं । 35 से 60 प्रतिशत बच्चों में यह लक्षण ज़िद्दी तोड़-फोड़, सिर पटकना आज्ञा न मानना, दांत पीसना, और अस्वाभाविक व्यवहार करना प्रदर्शित होता है, इसमें एकाग्रता भंग होती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है । प्रोफ़ेसर शुर का कहना है कि त्वचा पर संचित संवेगात्मक तनाव का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । प्रदूषण से एलर्जी भी होती है ।

नेत्र दोष : 20 से 30 प्रतिशत बच्चों में नज़दीक और दूर की नज़र में परेशानी, रंग की पहचान, रतौंधी, आंखों से पानी गिरना, भेंगापन, तिरछा देखना, माड़ा और फूली पड़ना, आंख लाल हो जाना, नेत्र संचालन में परेशानी, सिर में दर्द यह आम शिकायत स्कूली बच्चों में मिलती है पर्याप्त रोशनी हो, कमरा खुला हो साथ ही नेत्र विशेषज्ञ से जांच करायें, विटामिन-ए का सेवन करें और हरी सब्ज़ी का प्रयोग करें।

कान की परेशानी : कान दर्द, कान बहना, कान में आवाज़ आना, कम सुनाई देना बाह्य हिस्सा विकृत होना, कान के पर्दे में छेद होना, बच्चों में 15 से 20 प्रतिशत तक यह लक्षण मिलते हैं। विशेषज्ञ को तुरन्त दिखाकर चिकित्सा करायें। नाक का बहना, खून आना, नाक में मांस बढ़ जाना, झिल्ली पड़ना, सांस लेने में कठिनाई होना, यह भी कइिनाइयां बच्चों में देखने को मिलती है। इसमें आर्डियोमेट्री करायें, कान, नाक, गला विशषज्ञ को दिखायें।

मानसिक मंदता : सकूली बच्चों में थाइराट और आयोडीन की कमी चयापचय, अनियमिततायें, असन्तुलित आहार और हारमोन, अनुवांशिक कारणों और रक्त विकार, मस्तिष्क चोट एवं अत्यधिक दवाइयों के प्रयोग से मानसिक विकलांगता 5 से 10 प्रतिशत स्कूली बच्चों में मिलती है। आई-क्यू 60 से लेकर 80 के आस-पास देखे जाते हैं। मंगोल छोटा और बड़ा सिर का होना मुख्य लक्षण मिलते हैं। ऐसे बच्चे मन्दबुद्धि कहे जाते हैं, इन्हें विशेष विद्यालय में पढ़ने की व्यवस्था करनी चाहिए।

उपर्युक्त वर्णित स्थायी रोग से ग्रसित बालकों के लिए यह आवश्यक है कि उनके शारीरिक और मानसिक मूल्यांकन करने के बाद ही कक्षा में बैठने का निर्णय लेना चाहिए। विशेष अध्यापक ऐसे बालकों को पढ़ायें-लिखाएं। विभिन्न प्रकार के उपकरणों, रिमिडियल और करेक्शनल थेरेपी निर्देशन और परामर्श केन्द्र, स्पीच और फिज़ियोथेरेपी, सन्तुलित पौष्टिक आहार की व्यवस्था स्कूल व शासन द्वारा किया जाये।

सुधार गृह, विशेष विद्यालय के प्रबन्धन की आवश्यकता है। अभिभावक स्कूल और सरकार उचित सहयोग, सहानुभूति पूर्वक व्यवहार, सुविधा और अवसर प्रदान कर सकें। जिससे वह बालक पढ़-लिखकर अपना जीवन स्वतंत्र रूप से निर्वाह कर सकें। पाठ्यक्रम का ज़्यादा बोझ और लगातार लम्बी अवधि तक कक्षा में बैठने में कइिनाई होती है। इसलिए इन बातों पर ध्यान रखना यथार्थ व व्यवहार रूप से विद्यालय कक्षा का प्रबन्ध करें। जिससे स्थायी रोगग्रस्त बालक अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकें।

मानसिक रोग

एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि 60 फ़ीसदी लोग अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हैं। और इसके चलते उन्हें शारीरिक बीमारियां भी घेर लेती हैं।

सर्वे में बताया गया है कि बीमारियों के रूप अलग-अलग हैं लेकिन उनके कारण एक समान हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक़ अनेक वृद्ध अपने पारिवारिक, सामाजिक जीवन से एकदम अलग हो गए हैं और गुमशुम और उदासीन जीवन बिता रहे हैं।

वे वृद्ध किसी से बात नहीं करना चाहते हैं और वे यह भी नहीं करना चाहते हैं कि कोई उनसे बातचीत करे। उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया है। वे कभी गुस्सा नहीं करते थे वे अब गुस्सिले हो गये हैं।

इन वृद्धों ने घर की प्रत्येक छोटी-बड़ी बात में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। पहले जिन बातों की चर्चा नहीं करते थे अब उनके बारे में यह वृद्ध कुटेड-कुटेड कर पूछते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से उनके परिजन परेशान रहते हैं। यह वृद्ध अब यह आरोप लगाते हैं कि परिवार वाले अब उनकी अपेक्षा कर रहे हैं क्योंकि अब वे कुछ कमाते नहीं हैं।

वृद्धों के इस प्रकार बदलते व्यवहार ने विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक मनोचिकित्सक का मानना है कि व्यक्ति की विशेषकर पुरुष वर्ग की रिटायरमेंट के बाद जब 30-40 सालों से चली आ रही एक नियमित काम पर जाने की गतिविधि ख़त्म हो जाती है तो उस समय उसके जीवन में अचानक ख़ालीपन आ जाता है। जो वृद्ध पहले से ही अपने रिटायरमेंट के बाद की ज़िन्दगी के बारे में मानसिक रूप से तैयार रहता है उसे ज़्यादा समस्या नहीं आती। ऐसे परिवारों में भी यह समस्या कम है जहां संयुक्त परिवार के तथा वृद्धों को अपनी कंपनी मिल ही जाती है। लेकिन समस्या एवं मानसिक तनाव और बीमारियों से वे वृद्ध घिरे हैं।

विश्व व्यापार नियमों में न्यायसंगत बदलाव ज़रूरी

■ भारत डोगरा

यह गहरी चिंता की बात है कि विश्व व्यापार के नियम अधिकांश देशों के लिए न्यायपूर्ण सिद्ध नहीं हो रहे हैं । हाल में भारत ने विश्व व्यापार के नियमों के खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल असर का विरोध किया तो भारत को कुछ राहत तो मिली पर यह अस्थायी है । कुछ समय बाद यह समस्या फिर उत्पन्न होगी । इसके साथ व्यापक सवाल यह है कि घरेलू नीति अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों के दायरे में क्यों आये । यह एक ऐसा सवाल है जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद अनेक देशों में राष्ट्रीय बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है ।

जब गैट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन) की स्थापना की गयी तो उस समय बहुत से नये विषयों जैसे कृषि व पेटेंट क़ानून को विदेश व्यापार के नियमों के दायरे में ले आया गया । यहीं से नयी समस्याएं शुरू हुई । अचानक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी कि चंद विकसित देश जैसा चाहते थे, लगभग सभी देशों को वैसे या उससे मिलते-जुलते पेटेंट क़ानून बनाने पड़े । यह भारत के लिए बड़ा दर्दनाक अनुभव था जहां पहले कहीं बेहतर पेटेंट क़ानून मौजूद था जिसमें सस्ती दवाओं के उत्पादन की जगह मौजूद थी और अन्य अच्छे प्रावधान थे । अफ़्रीक़ा के अनेक देशों में नये पेटेंट क़ानून आ जाने के कारण वहां के एच०आई०वी० एड्स के मरीज़ों को सस्ती दवा नहीं मिल पायी, जबकि भारतीय कंपनी इस दवा को ऐसी क़ीमत पर देने को तैयार थी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी की दवा के मुक़ाबले में मात्र 3 प्रतिशत क़ीमत थी । इस कारण अफ़्रीक़ा में लाखों लोग बहुत दर्दनाक मौत मरने को मजबूर हुए । कुछ समय बाद देखा गया कि नये व्यापार नियमों के कारण अनेक निर्धन देशों के किसान सस्ते आयातों की मार झेल नहीं पाये और तबाह हो गये । चाह कर भी इन देशों की सरकार नये व्यापार नियमों की उपस्थिति में उन्हें बचा नहीं सकी । आश्चर्य यह है कि नये नियमों ने विकसित देशों के किसानों व कंपनियों को मिलने वाली सब्सीडी को समाप्त नहीं किया । इस तरह बहुत अन्यायपूर्ण असमान प्रतिस्पर्धा उत्पन्न की गयी । जहां आयातों पर अधिकांश प्रतिबंध पहले ही हटा लिये गये थे, वहां हाल ही में व्यापार की सुविधाएं बढ़ाने के नाम पर जो समझौता हुआ वह लगभग पूरी तरह विकसित देशों वं चीन के हित में है, जबकि अधिकांश देशों को विदेशी उत्पदों व सेवाओं के आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिक ख़र्च करना पड़ेगा । इसका स्थानीय उद्यमों व रोज़गार पर जो प्रतिकूल असर होगा वह अलग समस्या है ।

अत: देश और दुनिया दोनों स्तरों पर विश्व व्यापार नियमों को न्यायपूर्ण बनाने के प्रयास ज़रूरी हैं । इसके लिए विश्व व्यापार संगठन में सुधार ज़रूरी है । इसमें दोहा विकास दौर वैसे तो व्यापार को अधिकांश देशों के लिए न्यायसंगत बनाने के नाम पर शुरू किया गया था, पर इसमें ग़रीब व विकासशील देशों को कोई बड़ी राहत दिये बिना ही अब विकसित देश अपने हितों का एजेंडा बड़ी चालाकी से ले आये हैं । इस स्थिति का सामना विकासशील व निर्धन देशों को व्यापक एकता स्थापित कर करना चाहिए । दूसरी ओर जो निर्बाध व्यापार समझौते अलग से हो रहे हैं उन पर भी पैनी नज़र रखनी ज़रूरी है ताकि इस माध्यम से अन्यायपूर्ण व्यापार नियमों व क़ानूनों का बोझ और न बढ़ाया जा सके । (वि०फ़ी०)

"ख़ुदा उस आदमी पर रहम फ़रमाएगा, जो ख़रीदने-बेचने और तक़ाज़ा करने में नर्मी और ख़ुशअख़्लाक़ी से काम लेता है।"

(हदीस)

Md. Moinuddin

Mumbai

मुस्लिम पर्सनल ला और समान सिविल कोड

4.00	مولانا محمد یوسفؒ	مسلم پرسنل لا - اہمیت، افادیت اور ضرورت
5.00	مولانا شمس پیرزادہؒ	مسلم پرسنل لا اور یکساں سول کوڈ
10.00	مولانا صدرالدین اصلاحیؒ	مسلم پرسنل لا
30.00	پروفیسر عمر حیات خاں غوری	مسلم پرسنل لا پر اعتراضات کی حقیقت
14.00	Shams Peerzada	Muslim Personal Law and Unifrom Civil Code
90.00	Edited by: Dr. F.R. Faridi Dr. M.N. Siddiqi	Muslim Personal Law
6.00	मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही	मुस्लिम पर्सनल लॉ- धार्मिक व सामुदायिक दृष्टिकोण से
12.00	शम्स पीरज़ादा	मुस्लिम पर्सनल ला और समान सिविल कोड

مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی ۲۵

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone: 26971652, 26954341, 26946447(D) Fax: 26947858
E-mail: mmipublishers@gmail.com • Website: www.mmipublishers.net

पेरियार ई॰वी॰ रामास्वामी और इस्लाम

क्या आप तमिलनाडु के प्रख्यात प्रगतिवादी विद्वान पेरियार ई॰वी॰ रामास्वामी को जानते हैं ? एक बार उन्होंने कहा था कि शूद्रों की मुक्ति और उनका कल्याण इस्लाम के ज़रिये ही संभव है । इस बारे में उनका भाषण तमिल में है, जिसे द्रविड़ कड़गम, पेरियार थिडाल, वेपेरी (मद्रास) ने प्रकाशित किया है । इस पुस्तक का मैं अंग्रेज़ी में अनुवाद करूंगा । भाषण 1940 में दिया गया था । पेरियार नास्तिक और घोर प्रगतिशील थे । मैं यह नहीं समझता कि केरल में कोई पेरियार जैसा महान प्रगतिशील जन्मा हो, इसके बावजूद उन्होंने शूद्रों के लिए इस्लाम को क्यों 'रिकमेंड' (अनुशंसा) किया ? क्या वे पागल थे ? स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट को चाहिए कि वह पेरियार के संभाषण को मलयालम में लाये ताकि युक्तिवादी और मार्क्सवादियों द्वारा जारी मुस्लिम विरोधी मुहिम का जवाब दिया जा सके ।

तमिलनाडु में सैकड़ों दलित इस्लाम में जा चुके हैं । उनका शोषण वहां ख़त्म हुआ । मीनाक्षीपुरम भारत में 'विश्व का घर' बना । यह सच है कि इस्लाम को जब से हिन्दुत्व ने अपना ख़ूंख़ार दुश्मन बनाया, तभी से स्वाभाविक रूप से दलित उसकी ओर आकर्षित होते रहे हैं । इस्लाम में कोई जाति व्यवस्था नहीं है । वहां छूआछूत नहीं है । हां, यह बात ज़रूरी है कि तमाम हिन्दू समाजशास्त्रियों ने इस्लाम में जाति और छुआछूत खोजा, पर यहां तक कि ब्राह्मण समाजशास्त्री भी यह नहीं कह सके कि इस्लाम में जाति है । ये लोग दलितों से बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का आह्वान करते हैं । उन्हें आधुनिक बुद्ध बनाना चाहते हैं ।

वे ईसाइयों के बारे में तो 'अनुसूचित जाति ईसाई' शब्द देते हैं, पर इस्लाम के बारे में कोई 'अनुसूचित जाति मुसलमान' और 'आधुनिक मुसलमान' के नाम क्यों नहीं दे पा रहा ? अख़बार भी नया नाम क्यों नहीं देते । इसका ख़ास कारण यह है कि उच्च जाति के लोग इस्लाम में जाति या छुआछूत की ढुंढाई में विफल हो गये हैं । इस्लाम एक सहज-स्वाभाविक धर्म है । इसमें पूर्ण समानता है । इसमें लोगों को समान अधिकार है, जो कि हमारी जनता को सर्वाधिक आकर्षित करता है ।

संसद भवन का इतिहास

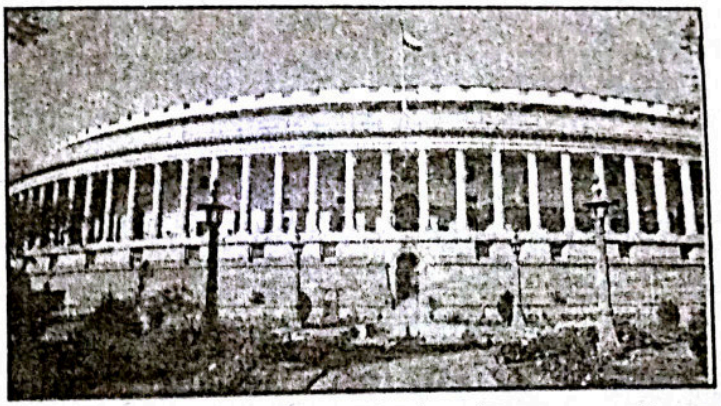

संसद भवन नयी दिल्ली में है । ये 6 एकड़ भूमि पर बना है और इसमें 12 दरवाज़े हैं । यह भवन गोलाकार है । इसको ब्रिटिश शासनकाल में यानी इसकी नींव 12 फ़रवरी 1921 को रखी गयी थी । इसके आर्किटेक्स सर एडवीन लुटयस व सर हार्बटबेकर थे । यह वर्षों में बनकर तैयार हुआ था । इसका उद्घाटन 18 फ़रवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड इरविन ने किया था । उस समय इसकी बनवाई लागत 83 लाख रुपये आयी थी । इसकी परिधि 563 मीटर है ।

यह भवन मात्र 150 सदस्यों के लिए बना था । अब यह लोकसभा के 543 सदस्य, क़रीब राज्यसभा के 250 सदस्यों के लिए छोटा पड़ रहा है । सरकार ने एक कमेटी बनायी है जो नया भवन बनाने पर विचार कर रही है ।

अभी इस भवन में लोकसभा, राज्यसभा के अलावा एक बड़े सेन्ट्रल हॉल, कमेटी कक्ष, संसदीय कार्यालय, मीडिया कक्ष व कैन्टीन है । इसमें सेन्ट्रल हॉल है, जो बहुत मशहूर स्थान है यह एअर कूल्ड है । इसी हाल में 15 अगस्त 1947 को आख़िरी गवर्नर जनरल लार्ड माउंट बेटन ने प्रथम प्रधानमंत्री स्व॰ जवाहर लाल नेहरू को देश की सत्ता सौंपी थी ।

दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी यहीं होती है । बाहर से आये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यहां संसदों को संबोधित करते हैं । राष्ट्रपति का भी भाषण यहीं पर होता है । संविधान की रूपरेखा भी यहीं तैयार की गयी थी । यह 98 फ़ीट व्यास का हाल है । इस पर शानदार गुंबद है । दर्शकों के लिए गैलरी है । वे संसद की कार्यवाही देख सकते हैं । आम लोग भी संसद भवन को देख सकते हैं । ऐसा है हमारा संसद भवन ।

जनता को पेयजल सुरक्षा अधिकार चाहिए

■ दिलीप बीदावत

अगर सरकार की कोई भी विकास की नीति देश के आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों के इतर हो और नीति के बहाने किसी वर्ग विशेष के हितों का गौण पोषण झलकता हो तो समझ लेना चाहिए कि नीति केवल काग़ज़ी खानापूर्ति या औपचारिकता भर नहीं है । और उसे बनाने तथा थोपने का तरीक़ा भले ही आनन-फ़ानन लगे लेकिन उसके भीतर के चालाकी भरे भारी भरकम बहुअर्थी शब्द घातक हथियारों से कम ख़तरनाक नहीं होते । मामला तब और भी गंभीर हो जाता है, जब आम जनजीवन से जुड़े मसलों मसलन जल, जंगल और ज़मीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों को प्रोपर्टी के रूप में परिभाषित कर उसके प्रबंधन का जिम्मा सरकार लेने को आतुर हो ।

खुली अर्थव्यवस्था के ढांचे तले पनपी बाज़ार और व्यापार की संस्कृति को बेतहाशा मुनाफ़ा तभी मिल पाना संभव होता है जब वह आम जनजीवन से जुड़े मुद्दों पर दख़ल देने में कामयाब हो जाए तथा जनसमुदाय के सभी परंपरागत ढांचों को छिन्न-भिन्न कर दे । किसी भी संसाधन के चूक जाने के संकट का आतंक खड़ा करे तथा मांग और आपूर्ति के अंतर के ग्राफ़ को बड़ा आकार देकर उस पर सरकारी नियंत्रण की वकालत करे । ऐसा ही एक आतंक किसी ज़माने में आयोडीन की कमी के नाम पर नमक बाज़ार को पनपाया गया था । आज़ादी से पूर्व विलायती हुकूमत और आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक सरकारों ने मौक़ा मिलने पर अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापार संगठनों की सीख से ऐसा ही किया है । जंगल और ज़मीन के बाद अब पानी पर नियंत्रण की बारी आयी है ।

जाने-माने अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भार्गव ने ठीक ही कहा कि पानी, जल, नीर और सजल आदि अनेकों नामों से पुकारे जाने वाली इस अमूल्य धरोहर को वाटर बनाकर भारतीय जनमानस में पानी को लेकर छिपे आदरभाव को ही कम कर दिया । देवतुल्य जल को वाटर नाम देना जल को केवल उपभोग की वस्तु के रूप में उभारता है । उन्होंने कहा कि हम कई बार बड़े सोच पर चर्चा करते हैं, छोटी-छोटी अहम बातों को भूल जाते हैं । राष्ट्रीय जल नीति केवल क्राइसेस मेनेजमेंट के अतिरिक्त कुछ नहीं है । प्रकृति का अनुपम उपहार यह जल किसका है ? सरकार का या समुदाय का ? इस पर विचार होना चाहिए । सुरक्षित पानी मुद्दा है लेकिन क्या केवल कुएं और हैंडपंप का पानी ही सुरक्षित है ? सदियों से इस्तेमाल हो रहा तालाब का पानी सुरक्षित नहीं है, इस पर विचार करना ज़रूरी है । यह भी सोचना ज़रूरी है कि खुले में शौच जाना ज़्यादा उचित है या उसे भूजल में मिलाना ज़्यादा ठीक है । विकास की सभी नीतियों का तालमेल भी जल नीति के साथ हो । 1950 में उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान बाजरा जैसे मोटे अनाज का उत्पादन करते थे, जिसमें कम सिंचाई की ज़रूरत होती थी । आज वहां किसान धान उगाते हैं जिसमें अधिक पानी चाहिए । मोटे पोषक अनाज को ख़राब मान लिया गया और चावल का मूल्य किसान को अधिक मिलता है । मोटे अनाज और चावल का समर्थन मूल्य एक कर देने से किसान मोटा अनाज उगाएंगे तथा सिंचाई में कम पानी का उपयोग करेंगे । कृषि और जल नीति को मिलाकर देखने की ज़रूरत होगी । जल, जंगल और ज़मीन की एकीकृत नीति बनाए जाने की वकालत पुरजोर उठायी गयी ।

हिमालय भागीरथी आश्रम उत्तराखंड के सुरेश भाई ने उत्तराखंड लोक जल नीति का मसौदा बताते हुए लोक जल नीति की बात कही है । राज्य की जल नीति के 20 महत्वपूर्ण बिंदुओं के सामने लोक जल नीति के सुझावों को रखा । राज्य जल नीति में जहां जल को राष्ट्रीय संपत्ति कहा गया है, वहीं लोक जलनीति में इसे प्राकृतिक संपत्ति कहा गया है । राज्य जहां जल को आर्थिकी का स्रोत कहता है वहीं लोक जलनीति इसे जीवन के लिए आवश्यक स्रोत कहती है । लोक जल नीति में पानी को समुदाय, स्थानीय ग्रामसभाओं तथा पंचायतों के क्षेत्राधिकार में रखने की बात पर ज़ोर दिया गया है तथा पानी को निजी हाथों में सौंपने का

विरोध भी किया गया । 60 प्रतिशत पानी से हिमालय से उतरने वाली नदियों से मिलता है लेकिन नदियों को शुद्ध और साफ़ करने की बात नीति में कहां है ? नदियों के उद्गम स्थल पर बांध बनाकर नदियों की हत्या की जा रही है । यदि सरकार और समुदाय पानी को लेकर नहीं चेते तो, भारत जैसे देश को आने वाले समय में पानी के संकट को लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा । इसके लिए ज़रूरी है कि सभी राज्यों में समुदाय अपनी लोक जलनीति बना कर सरकार को दें । उसको लागू करने और क्रियान्वयन का दबाव बनाए । राजेंद्र सिंह यह कहते हैं कि रिवर और सिवर को अलग करना होगा, तो उनका सीधा इशारा नदियों में मिलाए जाने वाले मल-मूत्र की तरफ़ ही था ।

यहां एक बात सभी को समझ़नी चाहिए कि जल को बांधने, नियंत्रण करने और आम जनता को आसानी से सुलभ नहीं होने देने का सत्ता का षड्यंत्र नया नहीं है । मुंशी प्रेमचंद की कहानी 'ठाकुर का कुआं' के माध्यम से उठायी गयी समस्या को अगर सामंतकालीन व्यवस्था की अलिखित जल नीति कहा जाए, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए । मेहनत करने वाले वर्गों विशेषत: दलित समुदाय को पानी के स्रोतों के शुद्धिकरण के नाम पर स्रोतों पर उनकी छाया ही नहीं पड़ने देने का अर्थ मानव संसाधनों पर नियंत्रण के अतिरिक्त कुछ नहीं था । मानव श्रम पर आधारित उस काल की बाजार और व्यापार व्यवस्था में जीवन की मूलभूत ज़रूरतों खाद्यान्न और पानी पर सत्ताधारियों का नियंत्रण आज की आधुनिक विकास नीतियों में भी हू-ब-हू वैसा ही झलकता है । जल, जंगल और ज़मीन पर नियंत्रण कर कैसे आम समुदाय को शोषित उपभोक्ता बनाया जा सकता है, यह इन नीतियों का सार है । भारत के गांवों में पानी पर नियंत्रण के द्वारा मानव संसाधनों पर नियंत्रण की व्यवस्था तो आज भी आज़ाद भारत में पूर्ववत जारी है । गांवों में पीने लायक़ शुद्ध पानी मुश्किल से उपलब्ध है, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सड़क योजनाओं के मारफ़त पहुंचा कोल्ड ड्रिंक व शराब आसानी से उपलब्ध हो रहा है । (वि०फ़ी०)

दर्पण

ईद मुबारक







थैली वाले जानवर

कंगारू

सामने के दो पैर छोटे होते हैं जिनका इस्तेमाल यह खोदाई, लड़ाई व अपनी देखभाल के लिए करते हैं ।

कंगारू के बच्चे को जोय कहा जाता है । एक जोय को जब ख़तरे का एहसास होता है तो यह थैली में अंदर चला जाता है और जिस दिशा में मां बैठी होती है, ये बिल्कुल उसी दिशा में बैठ होते हैं । कंगारू के फर व रोएं चोट तथा धूप से इनकी रक्षा करते हैं और ये रोएं शरीर की नमी को बाहर निकालने तथा इन्हें गर्म रखने का कार्य भी करते हैं ।

एक मादा कंगारू अपने अच्चों को क्रमानुसार जन्म देती है । यानी कि एक बच्चा उसके गर्भाशय में पनप रहा होता है तो दूसरा उसकी थैली में रहता है और एक पूर्ण विकसित होकर थैली से बाहर आकर आत्मनिर्भर हो चुका होता है ।

कोला

कोला आस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक धानी प्राणी है । इन्होंने अपना जीवन पेड़ों पर ही बिताना सीखा लिया है । इनका मनपसंद भोजन ज़्यादातर यूकेलिप्टस की पत्तियां होती हैं । इनके बच्चे मां के शरीर से जुड़ी एक थैली में ही अपना शुरुआती जीवन बिताते हैं । जब ये बड़े हो जाते हैं, थैली से बाहर आकर अपनी मां की पीठ से चिपके रहते हैं । हालांकि इनका आकार-प्रकार भालू जैसा होता है, पर यह भालू की प्रजाति से बहुत भिन्न होते हैं । भालू धानी प्राणी न होकर सिर्फ़ ज़मीन पर रहने वाले स्तनपायी जीव है ।

मोल

बहुत से ऐसे धानी प्राणी हैं, जिसके जीने का तौर तरीक़ा बिल्कुल ज़मीन पर पाये जाने वाले स्तनपायी जैसा होता है । ज़मीन के नीचे रहने वाला धानी प्राणी 'मोल' का आकार-प्रकार उसी तरह होता है जैसे कि ज़मीन पर रहने वाले छछुंदर का । इनका शरीर भोतरा और ज़मीन खोदने वाले शक्तिशाली पांव होते हैं । ज़मीन पर रहने वाले छछुंदर की तरह ज़मीन के नीचे रहने वाले छछुंदर का भोजन भी छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े ही हैं ।

प्लेटिपस

देखने में बतख़ जैसा प्लेटिपस एक अनोखा जीव है । इसके पैर जाल की तरह बुने होते हैं और चोंच एक सामान्य चिड़िया की तरह होती है । वैसे तो यह अण्डे देने वाला जीव है, पर जब एक प्लेटिपस (बच्चा) अण्डे से बाहर आता है तब वह अपनी मां का दुग्धपान करता है । हालांकि प्लेटिपस में दूध पैदा और प्रवाहित करने वाली ग्रन्थियां नहीं होती हैं । प्लेटिपस के बच्चे अपनी मां के फर (रोएं) से निकलने वाले दुग्ध को ग्रहण करते हैं ।

वरज़ीनिया ऑपोमस

धानी प्राणी की श्रेणी में आने वाले वरज़ीनिया ऑपोमस नामक जीव अब पहले की अपेक्षा काफ़ी सुरक्षित हैं । उत्तरी अमेरिका में पेड़ों पर रहने वाले इस प्रजाति के प्राणी की संख्या मैं निरंतर वृद्धि जारी है और अब यह उत्तरी अमेरिका से दूर कनाडा में भी पाये जाने लगे हैं । इसे अब मनुष्यों के बीच रखने की व्यवस्था की गयी है, जहां यह बाग़ -बग़ीचों और घर की छतों पर घूमते रहते हैं । ये प्राणी घर के बचे-खुचे भोजन व कूड़े की टोकरी में अपने भोजन की तलाश करते हैं ।

क्योल

सुन्दर और चित्तीदार क्योल आस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला बिल्ली जैसा किन्तु एक धानी प्राणी है । रात्रि में सक्रिय होने वाले इस जीव का भोजन भी छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े और बहुत छोटे प्राणी ही हैं । पर दुर्भाग्यवश यह ज़मीन पर रहने वाले अपनी तरह के जीवों की तुलना में शिकार पकड़ने में अधिक सक्षम नहीं है । जब से आस्ट्रेलिया में पालतू बिल्ली की तादाद बढ़ी है तब से क्योल की संख्या में कमी आती जा रही है । ज़मीन पर पाये जाने वाले स्तनपायी जीवों की तुलना में इस तरह के धानी प्राणियों का निरंतर पतन होता जा रहा है ।'

मुद्रक एवं प्रकाशक ख़लील अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से मुद्रित ।
फोन: 09818799223, 011-26949430
संपादक : डॉ॰ मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है ।

بسم الله الرحمن الرحيم

''नेकी यह है कि
अल्लाह की मुहब्बत में
अपना दिलपसन्द माल
रिश्तेदारों और यतीमों पर,
मिस्कीनों और मुसाफ़िरों पर,
मदद के लिए हाथ फैलाने
वालों पर और ग़ुलामों की
रिहाई पर ख़र्च करे ।''

(कुरआन)

Late Abdul Jabbar Sb.
Tare Kare (kntk)

Posted on 20-21 June 2014
July 2014
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.06.2014

हिन्दी साहित्यों की मासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2012-2014
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2012-14

HOTEL
Al-Zam Zam
RESTAURANT & LODGING



HOTEL
Al-Zam Zam
RESTAURANT & LODGING

The best taste in Veg. & Non-Veg. dishes



Now At Ajni Square Wardha Road

Comfortable interior, hygienic separate preparation for Veg. and Non-Veg.
Special air conditioned hall for family.
Comfortable lodging in air conditioned and well decorated rooms.

Customer Care No :- 08796466666

Main Branch :- Central Avenue, Chandra Shekhar Azad Square, Nagpur - 4400
Branch 1 :- Plot No. 1 Hindustan Colony, Ajni Square, Beside Chevrolet Showroom, Wardha Road, Nagpur
Branch 2 :- Opp Battuk Bhai Jewellers, Dharampeth, W.H.C. Road, Nagpur

Ph: 0712-2763131, 2732401

E-mail :- hotelalzamzam@gmail.com

Log on to :- www.hotelalzamzam.com
or like us on :- hotelalzamzam.facebook.com